



वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report 2010-2011



तटीय जलकृषि प्राधिकरण Coastal Aquaculture Authority



वार्षिक प्रतिवेदन 2010 - 2011

तटीय जलकृषि प्राधिकरण



भारत सरकार, कृषि मंत्रालय दूसरी मंजिल, शास्त्री भवन एनेक्सी चैन्नै - 600006, तमिलनाडु

दूरभाषा : 91-44-28213785, 28216552

फैक्स : 044-28216552

ई-मेल : aquaauth@vsnl.net वेबसाइट : www.caa.gov.in

तटीय जलकृषि प्राधिकरण तटीय जलकृषि प्राधिकरण

प्रकाशक

अध्यक्ष तटीय जलकृषि प्राधिकरण

संकलन तथा संपादन

आर. पाल राज भास्करण मणिमारन मानस कुमार सिंहा जी. डी. चन्द्रपाल डी. विन्सेंट

मुद्रक

नागराज एंड कंपनी

Published by
Chairman
Coastal Aquaculture Authority

R. Paul Raj
Baskaran Manimaran
Manas Kumar Sinha
G. D. Chandrapal
D. Vincent

Printed by Nagaraj & Co Private Limited

विषय वस्तु

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या				
	प्राक्कथन	\mathbf{v}				
I.	प्राधिकरण का संगठन, परिचालन लक्ष्य तथा उद्देश्य					
	1. 2010-2011 के दौरान प्राधिकरण का संगठन	1				
	2. प्राधिकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य	2				
	3. प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य	3				
	4. भारत में एस पी एफ लिटोपेनस वेन्नमई पालन को नियंत्रित करना	5				
II.	लक्ष्य तथा कार्यनिष्पादन					
	1. वार्षिक लक्ष्य	6				
	2. निष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा	7				
III. व	r. क्रियाकलाप व उपलब्धियाँ					
	1. प्राधिकरण की बैठकें	9				
	2. झींगा फार्मों का पजीकरण	11				
	3. एस पी एफ लिटोपेनस वेन्नामई पालन	17				
	4. जल गुणवत्ता मानिटरिंग प्रयोगशाला	25				
	5. वेबसाइट को अद्यतन बनाया गया	25				
	6. सीएए मुख्यालय के लिए भवन	26				
	7. सीएए द्वारा हिन्दी सप्ताह मनाया जाना	26				
	8. सीएए की बाहरी गतिविधियां	27				
	9. अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/सेमीनारों/विचार–गोष्ठियों में सीएए सदस्यों/अधिकारियों की भागीदार्र	री 34				
III. र	ब्र. वर्ष 2011–12 के दौरान किए जाने वाले कार्यकलाप	39				
IV.	वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा कार्यकलापों का सारांश	40				
V.	प्राधिकरण का स्टॉफ तथा वर्तमान संगठनात्मक संरचना	41				
VI.	सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम	42				
वर्ष 2	010-2011 के लिए वार्षिक लेखा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट					
1.	तुलन पत्र	44				
2.	आय एवं व्यय खाते	45				
	प्राप्ति एवं भुगतान खाते	46				
	तुलन पत्र अनुसूची (1–11)	48 58				
5. 6.						
o. 7.						
8.						

SI No	o. Subject	Page No
	Preface	85
I.	Composition, Operational Goals and Objectives of the Authority	
	1. Composition of the Authority	87
	2. Aims & Objectives of the Authority	88
	3. Powers and Functions of the Authority	88
	4. Regulation of SPF <i>Litopenaeus vannamei</i> culture in India	90
II.	Targets and Performances	
	1. Annual Targets	92
	2. Brief review of Performance	93
III.	A. Activities & Achievements	
	1. Meetings of the Authority	95
	2. Registration of Shrimp Farms	97
	3. SPF <i>Litopenaeus vannamei</i> Farming	103
	4. Water Quality Monitoring Laboratory	111
	5. Website update	111
	6. Building for the Headquarters of CAA	112
	7. Hindi week observed by CAA	112
	8. Outreach Activities of CAA	113
	9. Participation of CAA Members / Officers in meetings / seminars / symposia organised by other organizations	120
III.	B. Activities likely to be taken up during 2011-12	125
IV.	Finance: Summary of Actual Financial Results and Activities	
	during the Financial Year 2010-11	126
V.	Staff and existing Organizational structure of the Authority	127
VI.	Right to Information Act	128
Anne	exure: Annual Accounts and Separate Audit Report of the CAG for the year 2010-1	1
1.	Balance Sheet	130
2.	Income & Expenditure Accounts	131
3.	Receipt & Payment Accounts	132
4.	Schedules of Balance Sheet (1 to 11)	134
5.	Schedules of Income & Expenditure (12-23)	144
6.	Accounting Policies	151
7.	Contingent Liability & Notes on Accounts	155
8	Separate Audit Report of the CAG	157

डो न्यायमृति ए.के राजन

Dr. Justice A.K. RAJAN CHAIRMAN

दरभाष / Phone : (O) +91 44 2823 4672 (R) +91 44 2622 3322

फेक्स / Fax : +91 44 2821 6552 ई-मेइन / e-mail : aguaauth@vsnl.net वेब सेट / website : http://www.caa.gov.in



तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार, कृषि मत्रालय शास्त्री भवन अनेक्स, दूसरी मंजिल सं. 26. हडोस रोड. चेन्नै-600 006, तमिलनाइ, भारत.

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY Government of India, Ministry of Agriculture Shastri Bhavan Annexe, 2" Floor, No. 26. Haddows Road, Chennai - 600 006. Tamilnadu, INDIA.

प्राक्कथन

लवणीय अथवा खारा जल, जिसे तटवर्ती जलकृषि के रूप में जाना जाता है, जलकृषि उत्पादों के निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा की पर्याप्त राशि का अर्जन करने के अलावा भारत के लोगों की खाद्य और पौषणिक आवश्यकता की पूर्ति करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व सतत जलकृषि को बनाए रखना, पर्यावरण के संरक्षण का सुनिश्चय करना है, फिर भी प्राधिकरण यह देखने के लिए प्रतिबद्ध है कि कृषि भूमि अथवा नमक खेतों को जलकृषि फार्मों के रूप में न बदला जाए। तटवर्ती क्षेत्रों में बंजर भूमि को जलकृषि फार्मों के रूप में बदला जा रहा है और उससे यह भूमि भी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने में अपनी भूमिका निभाती है। भारतीय तटों पर बजर भूमि की भारी मात्रा को देखते हुए जलकृषि फार्मों के क्षेत्र को बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। प्राधिकरण मौजुदा और भावी किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके तटीय क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। वायरल महामारी के विगत अनुभव, जिसने कुछ हद तक जलकृषि को प्रभावित किया था, ने अब किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई विशेषज्ञता सलाह का अनुसरण करने में मदद की है। वे अब यह महसूस करते हैं कि विनायमक उपाय उनकी मदद करते हैं और उनके लिए अच्छे हैं।

उत्पादों के व्यापार में हाल ही का वैश्यीकरण कई नए मसलों को सामने लाया है जैसे की उत्पाद की पहचान, खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से जलकृषि की कड़ी गुणवत्ता विशेषकर एंटीबायोटिक, भारी धातु और कीटनाशक के अपशिष्ट, रोग प्रसारण आदि जिस सब के लिए इस क्षेत्र के वास्ते एक ठोस विनायमक ढांचे की जरूरत है और तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम इन समस्याओ का पर्याप्त रूप से समाधान करते हैं।

भारत सरकार ने झींगा के विदेशी किस्म-लिटोपेनियस वैन्नामई के पालन की तत्काल अनुमित दी, तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने ब्रुड स्टाक के आयात की अनुमति, बीजों के उत्पादन और एल वैन्नामई के पालन के लिए किसानो को अनुमति देने के लिए तत्काल कार्यवाही की। किसानों की प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी रही। यह भी एक अच्छी बात है कि जो कई झींगा फार्म कुछ वर्ष पहले बंद हो गए थे, उन्होंने भी झींगा की नई किस्म को पालना शुरू कर दिया है। आने वाले वर्षों में जलकृषि उत्पादों का उत्पादन कई गुणा बढ़ने की उम्मीद है। वास्तव में इसकी वजह से स्थानीय मांग काफी हद तक पूरी हुई है। झींगा के अलावा किसानों द्वारा मछली की अन्य किस्मों तथा केकडों का भी पालन किया जा रहा है।

प्राधिकरण शून्य जल विनिमय प्रणालियों की संकल्पना शुरू करने की भी कोशिश कर रहा है जिससे जल की आवश्यकता भी कम होगी और अपशिष्टों का डिस्चार्ज न्यूनतम हो जाएगा। आने वाले वर्षों में अधिक क्षमता वाले क्षेत्रों के तटवर्ती जलकृषि के तहत आने की संभावना है। इस वर्ष बड़ी संख्या में फार्मों को पंजीकृत किया गया था।

तथापि, रोग निवारण के प्रयोजन के लिए पाले गए जलीय स्टाक से, ब्रूड स्टाक सुविधाओं में, जलीय संगरोध, हैचरियों और फार्मों में तथा समूचे क्षेत्र से विशिष्ट पैथोजन को अलग करने के लिए जैव सुरक्षा की संकल्पना को अत्यन्त सावधानी से लागू किए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि एल वैन्नामई जैसी प्रजातियों के वाणिज्यिक पालन में लगाए गए जैव सुरक्षा उपायों से शुरूआत में कुछ कठिनाई आ सकती है किन्तु दीर्घ काल में इसके लाभ मिलेंगे।

प्राधिकरण हैचरी आपरेटरों को एक साथ मिलने और उत्पादकता बढ़ाने में अपने—अपने अनुभवों का आदान—प्रदान कराने में भी मदद करता है। इसी प्रकार किसानों की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं जिससे किसान फार्मिंग की व्यावहारिक कठिनाईयों को समझने और उन कठिनाईयों को दूर करने के तरीकों को समझते हैं।

माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार और माननीय कृषि राज्य मंत्री प्रो. के.वी. थामस द्वारा दिए गए सक्रिय और निर्बाध समर्थन की वजह से ही तटीय जलकृषि प्राधिकरण का कार्यकरण सफल हो सका जिसके लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। प्राधिकरण के सुचारू कार्यकरण में मंत्रालय, विशेषकर उत्तरवर्ती सचिवों तथा संयुक्त सचिव (माल्स्यिकी) और उनके अधिकारियों ने भी अपना सक्रिय समर्थन दिया जिसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं।

(डा. न्यायमर्ति ए.के.राजन)

I. प्राधिकरण का संगठन, परिचालन लक्ष्य तथा उद्देश्य

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत तटीय जलकृषि प्राधिकरण दिसम्बर, 2005 में अपने प्रारम्भ से ही देश के तटवर्ती क्षेत्रों में उच्च ज्वारभाटा सीमा से दो किलोमीटर के भीतर लवणीय तथा खारा जल जलकृषि में तटीय जलकृषि से संबंधित समस्त गतिविधियों के विनियमित करने का कार्य कर रहा है तािक तटीय वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

1. 2010-2011 के दौरान प्राधिकरण का संगठन

- (i) **डा. न्यायमूर्ती ए. के. राजन** अध्यक्ष मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश (उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त / वर्तमान न्यायाधीश)
- (ii) **डा. ए. जी. पोन्नया** सदस्य निदेशक, केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान, चेन्नै (तटीय जलकृषि के क्षेत्र के विशेषज्ञ)
- (iii) **श्री पी. मदेश्वरन** सदस्य पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञ)
- (iv) **डा. डी. बसु** सदस्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण के क्षेत्र के विशेषज्ञ)
- (v) **श्री तरुण श्रीधर, आई.ए.एस** सदस्य संयुक्त सचिव (माल्स्यिकी) पशुपालन डेयरी एवं माल्स्यिकी विभाग (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)
- (vi) **सुश्री लीना नायर, आई.ए.एस** सदस्य अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण (वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि)

(vii) श्री सत्यव्रत साह्, आई.ए.एस.

सदस्य

प्रधान सचिव मत्स्यपालन तथा पशु संसाधन विभाग उड़ीसा सरकार (श्री जी मोहन कुमार, आई.ए.एस.-जून 2010 तक) (उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि)

(viii) श्री ज्योति लाल, आई.ए.एस.

सदस्य

सचिव (परिवहन तथा मार्त्स्यिकी) केरल सरकार केरल सरकार के प्रतिनिधि

(ix) श्री ए. एस. डागर, आई.ए.एस.

सदस्य

विकास आयुक्त, कृषि मत्स्यपालन, पशु तथा चिकित्सा सेवाएं अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के.सं.शा. क्षेत्र प्रशासन (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के.सं.शा. क्षेत्र प्रशासन के प्रतिनिधि) (श्री तपन मंडल, आई.ए.एस. जनवरी,2011 तक)

(x) श्री पीतांबर एम. तंडेल

सदस्य

कारवार (कर्नाटक राज्य के प्रतिनिधि)

(xi) **डा. आर. पाल राज** (केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य)

सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य

प्राधिकरण का उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित तटवर्ती क्षेत्रों में तटीय जलकृषि गतिविधियों को तथा इससें संबंधित सभी मामलों को विनयमित करना है। प्राधिकरण को तटवर्ती क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और संचालन के लिए विनियम बनाने, फार्मों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए, उनका निरीक्षण करने, जलकृषि फार्मों के पंजीकरण, प्रदूषण फैलाने वाले तटवर्ती जलकृषि फार्मों को हटाने अथवा नष्ट करने तथा सभी तटीय जलकृषि आगतों जैसे बीज, बीज वृद्धि उपकरण तटीय जलकृषि में प्रयुक्त रसायन इत्यादि के लिए मानकों को तय करने की शक्ति दी गई है।

3. प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य

प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के चौथे-अध्याय तथा इसके तहत बनाये गये नियम एवं तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट हैं, तदनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। तटीय जलकृषि क्षेत्र के सुव्यवस्थित तथा सतत विकास के लिए विनियम बनाता है ताकि इस गतिविधि में संलग्न विभिन्न अंशधारकों के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण अनुकूल तथा समाज स्वीकृत तटीय जलकृषि की ओर उन्मुख हुआ जा सके।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व देश में सभी प्रकार के तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण सुनिश्चित करना है। यह एक सतत प्रक्रिया है। प्राधिकरण द्वारा सभी पात्र तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत करने के साथ-साथ उनके प्रचालन की मानिटरिंग करने के लिए कई उपाय किए गए हैं।तटीय क्षेत्रों में जलकृषि करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने फार्म का तटीय जलकृषि प्राधिकरण में पंजीकरण, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम में बताई गई प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार कराएं। पंजीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए किए जाते है जो आगे नवीनीकृत किए जा सकते हैं। भविष्य में तटीय जलकृषि गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण प्रक्रिया को नए फार्मों के लिए तथा मरम्मत किए जाने वाले पुराने फार्मों के लिए जारी रखा जा सकता है। तटीय विनियम ज़ोन के भीतर हाई टाइड लाइन और खाड़ियों में, नदियों तथा पश्च जल से 200 मीटर के भीतर जलकृषि की अनुमति नहीं है। तथापि, यह शर्त तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के विधिकरण से पहले स्थापित मौजूदा फार्मीं तथा सरकार द्वारा अथवा सरकार के किसी भी अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित गैर वाणिज्यिक तथा प्रयोगात्मक जलकृषि फार्मों पर लागू नहीं है। यद्यपि ऐसे सभी फार्म तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास पंजीकृत होने चाहिएं । ऐसे पंजीकरण के बिना किसी व्यक्ति द्वारा तटीय जलकृषि करने पर उसे कारावास का दंड जिसे तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, या जूर्माना अदा करना पड़ेगा जिसे एक लाख रुपए तक बढा़या जा सकता है, या दोनों दंड भुगतने पड़ेंगे। हालांकि मौजूद पारम्परिक जलकृषि फामों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, पर ऐसे फार्मों को भी पंजीकृत किया जा रहा है चुँकि ऐसे फार्मों द्वारा अपने उत्पादों का निर्यात करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, जैसा कि दिनांक 28 अक्तूबर, 2009 के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना के तहत संशोधित की गई ताजा, हिमित और प्रसंस्कृत मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मानिटरिंग) विनियमन, 1995 में परिकल्पित है । तटीय जलकृषि प्राधिकरम की सभी मामलों में सहायता, विशेषतः तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण में, राज्य स्तरीय समितियों (SLCs) एवं जिला स्तरीय समितियों दवारा की जाती हैं। सीएए की सहायता तटीय राज्यों में गठित राज्य स्तरीय समिति (एस.एल.सी.) तथा जिला स्तरीय समितियों (डी.एल.सी.) है।

सीएए को यह भी करना होगा-

- यह सुनिश्चित करना कि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले तटवर्ती समुदाय की आजीविका को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कृषि भूमि, लवण पटल जमीन, कच्छीय वन, नम जमीन, वन भूमि, गांव की आम प्रयोजन की भूमि तथा सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि और राष्ट्रीय उद्यानों तथा मृग वनों को जलकृषि फार्मों में परिवर्तित न किया जाए;
- समूचे तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करना तथा पारिस्थितिकी अनुकूल विकास हासिल करने के लिए उचित नीति तैयार करने हेतु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को सलाह देना;
- सामान्य अवसंरचना लाइन, सामान्य जल अंतर्ग्रहण, निकासी नहर एवं सार्वजनिक बहिस्राव उपचार प्रणाली के निर्माण के लिए राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को सलाह एवं समर्थन देना;
- बीज, आहार, वृद्धि संवर्धकों तथा जल निकायों एवं पाले गए जीवों एवं अन्य जलजीव के रखरखाव के लिए प्रयुक्त रसायनों/दवाओं के लिए मानक निर्धारित करना;
- पर्यावरण संरक्षण एवं परिस्थितिकी के अनुकूल तकनीिकयों के प्रदर्शन से सम्बंधित अध्ययन/योजनाओं एवं अन्वेषणों को प्रायोजित या स्वयं करना;
- तटीय जलकृषि से संबंधित आंकड़ों एवं अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक–आर्थिक सूचना एकत्रित एवं वितरित करना;
- तटीय जलकृषि के सतत विकास एवं तटीय जलकृषि के क्रियाकलापों से संबंधित सामग्री तैयार करना;
- तटीय संसाधनों की सतत उपयोगिता तथा न्याय संगत एवं उचित हिस्सेदारी के संबंध में प्रचार करना तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना;
- तकनीकी मैनुअल तैयार करने के लिए विभिन्न तकनीकी समितियां, उप-समितियां, कार्य दल आदि गठित करना:
- तटीय पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को कम से कम करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए फार्म के मालिकों को निर्देश देना:
- सततता को सुनिश्चित करने के लिए; या पर्यावरणीय चिरस्थाईता को बनाए रखने के हित में एवं तटीय पर्यावरण के हित में आजीविका के संरक्षण के लिए मौसमी बंदी का आदेश देना;
- किसी भी व्यक्ति द्वारा गलत सूचना देकर या पंजीकरण के प्रमाणपत्र में उल्लिखित शर्तों या उन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करके प्राप्त किए गए पंजीकरण को रद्द करना;
- समय-समय पर दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए सरकार को उचित सिफारिशें देना।

4. भारत में एस पी एफ लिटोपेनस वेन्नमई पालन को नियंत्रित करना

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के तहत जारी 15.10.2008 की अधिसूचना द्वारा तटीय जलकृषि प्राधिकरण को एसपीएफ एल. वेन्नामई के ब्रूड स्टॉक के आयात के लिए अनुमित देने के लिए प्राधिकृत किया है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के परामर्श से तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा ब्रूडस्टाक आपूर्तिकर्ता चुने जाते हैं। उक्त दिशानिर्देशों में संगरोध के लिए जैव-सुरक्षा अपेक्षाएं, आयात परिमट, प्रवेश के लिए बंदरगाह, पूर्व-सरहद संगरोध अपेक्षाएं, संगरोध अपेक्षाएं, संक्रमणमुक्त प्रक्रिया इत्यादि का विवरण दिया गया है।

तटीय जलकृषि (संशोधन) नियम, 2009 से एल. वेन्नामई की शुरूआत करने के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों मे वेन्नमई नस्ल के अनुप्रयोग के लिए मानक, तकनीकी आवश्यकताएं, एसपीएफ एल. वेन्नामई के उत्पादन और बिक्री के लिए प्रक्रिया शामिल है और फार्मों के अनुमोदन और प्रचालन के लिए मानक और विनियम विनिर्दिट है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण एल वेन्नमई पालन आरम्भ करने के लिए हैचरियों एवं फार्मों को अनुमित प्रदान करने में और इस उद्यम के सतत विकास के लिए संपूर्ण प्रचालन के निरीक्षण और मानिटरिंग में सावधानीपूर्वक अनुपालन कर रहा है।

II. लक्ष्य तथा कार्यनिष्पादन

1. वार्षिक लक्ष्य

- तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण तथा उनका नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसका न तो लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है और न ही परिणाम बताया जा सकता है। जिला स्तरीय समितियों (DLCs) और राज्य स्तरीय समितियों (SLCs) से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर अगले एक वर्ष के दौरान अतिरिक्त 3000 तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत किए जाने की सम्भावना है।
- वर्ष 2010-2011 के लिए लगभग 1000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करने के लिए SPF एल वेन्नमई पालन का विस्तार ।
- तकनीकी समिति की बैठक में ब्रूडस्टाक आपूर्तिकर्ताओं की समीक्षा और चयन । यह चयन ब्रूडस्टाक आपूर्तिकर्ताओं की संख्या को बढ़ाने के लिए समीक्षा कार्यशालाओं की सिफारशों के आधार पर किया जाएगा ।
- ब्रूड स्टाक के आयात और एसपीएफ बीज के उत्पादन के लिए पर्याप्त जल सुरक्षा सुविधाओं के साथ उत्तरव्यापी हैचरियों के स्वामियों की सूची तैयार करने से पहले आवेदन आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।
- बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए समीक्षा बैठकों की सिफारिशों के अनुसार तकनीकी समिति द्वारा एल वेन्नमई के ब्रडस्टाक की आवश्यकता का पता लगाया जाएगा ।
- कृषकों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्रक्रम में लाना जो पी.मोनोडान, एसपीएफ. एल. वेन्नामई या किसी अन्य प्रजाति को अपने फार्म में अपेक्षित और उपयुक्त जैव सुरक्षा सुविधा और अपशिष्ट उपचार प्रणाली सृजित करते हुए पालन करना चाहते हैं और तत्पश्चात पंजीकरण तथा/या अनुमित प्रमाणपत्र जारी करना ।
- बीज उत्पादन और एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया बिना किसी विलंब के आरंभ की जाएगी ।
- सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दल द्वारा हैचरियों और फार्मों का निरीक्षण किया जाएगा ।
- निरीक्षण दल द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों पर मंजूरी प्रदान करने के लिए विचार करना ।
- हैचरियों और फार्मों की निगरानी सावधिक रूप से करना।

- संगरोध संबंधी क्रियाकलाप की समीक्षा के लिए तकनीकी समिति की बैठक सावधिक रूप से आयोजित की जाएगी।
- चैन्नई में तटीय जलकृषि प्राधिकरण के परिसर में जल गुणवत्ता प्रयोगशाला आरम्भ करना ।
- पालकों को हैचरियों के पंजीकरण, एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन और प्रतिबंधित दवाओं के मुद्दों और अन्य महत्वपूर्ण बातों के विषय में जागरूक बनाने के लिए चुनिंदा तटवर्ती राज्यों में जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- सतत कृषि प्रक्रियाओं को दर्शातें हुए तटीय जलकृषि से संबंधित कार्यशाला और प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

2. निष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा

- अप्रैल, 2010-मार्च, 2011 के बीच, SLC/DLC से प्राप्त 4,843 पंजीकरण के लिए आवेदन पत्रों पर अनुमोदित करने के लिए विचार किया गया। प्राधिकरण ने 4,825 आवेदनों को अनुमोदित किया और शेष को संशोधन के लिए वापस भेज दिया गया।
- सभी ४,825 पंजीकृत फामों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया।
- निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर, तटीय जलकृषि प्राधिकरण के अनुमोदन से आपूर्तिकर्ताओं से SPF एल वेन्नमई ब्रूडस्टाक के आयात के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 21 हैचरियों को अनुमित प्रदान की गई।
- एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए फार्मों से प्राप्त आवेदनों की जांच और निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर 1,351.12 हैक्टेयर जलीय क्षेत्र वाले 168 फार्मों को इस वर्ष एसपीएफ एल वैन्नामई के पालन की अनुमित जारी की गई।
- इस अवधि के दौरान अनुमोदित हैचरियों द्वारा लगभग 1,328.88 मिलियन पोस्ट लार्वा एसपीएफ एल.
 वेन्नामई का उत्पादन किया गया जिसकी आपूर्ति पंजीकृत श्रिंप किसानों को कर दी गई।
- अनुमोदित फार्मों में SPF एल. वेन्नामई का औसत उत्पादन दो फसलों में प्रति वर्ष लगभग 7 से 8 टन था जिसमें स्टॉकिंग घनत्व प्रति वर्ग मीटर 60 से अधिक नहीं है ।
- SPF एल. वेन्नामई पालन में जैव-सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में और उनको अनुपालन करने की आवश्यकता पर किसानों को संवेदनशील बनाने के लिए मार्च 2011 तक राज्य मात्स्यिकी विभागों की सहभागिता से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।



- जलीय संगरोध सुविधाओं के संचालन की देखरेख और निगरानी के लिए सदस्य सचिव की अध्यक्षता
 में गठित तकनीकी समिति ने इस अविध के दौरान 4 बैठकें की हैं और सुविधा के सुचारू संचालन के लिए उपयुक्त निर्णय लिए ।
- फार्मों के पंजीकरण और प्रक्रियाओं की पहलूओं के लिए आवश्यकताओं के आधार पर आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।
- तटीय जलकृषि प्राधिकरण के विनियमों में विनिर्दिष्ट झीगाँ फार्मों के एंटिबायोटिक अपशिष्टों का नमूना,
 परीक्षण और रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को स्पष्ट करने के लिए समुद्री उत्पाद
 निर्यात विकास प्राधिकरण के 26 अधिकारियों के लिए विशेष रूप से एक बैठक आयोजित की गई।
- SPF एल. वेन्नामई ब्रूडस्टाक के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ताओं के चुनाव के समय संभावित SPF एल. वेन्नामई ब्रूड स्टाक के 3 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एक प्रस्तुतिकरण तकनीकी मूल्यांकन समिति के लिए आयोजित की गई।
- तकनीकी मूल्यांकन समिति ने हैचरी प्रचालकों के साथ अक्तूबर, 2010 और जनवरी, 2011 के बीच दो बैठकें आयोजित की, जिन्हें SPF एल. वेन्नामई ब्रूडस्टाक के आयात के लिए अनुमित दी गई थी और ब्रूडस्टाक के आयात के विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श किया।

III. क. क्रियाकलाप व उपलब्धियाँ

1. प्राधिकरण की बैठकें

चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल, 2010 – मार्च, 2011 के दौरान सीएए में अन्य बैठकों के अलावा 5 नियमित बैठकें की । बैठकों व उनमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त ब्यौरा सारणी–1 में दर्शाया गया है । पंजीकरण के लिए दिए गए आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने के अलावा प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे हैचरियों की पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा, युरोपीय यूनियन मिशन के झींगा संबंधी एंटीबायोटिक उपशिष्टों के विषय में सिफारिश, फामों के गंदे जल रिसाव की निगरानी आदि पर विचार–विमर्श किया।







27वीं बैतक

29वीं बैतक

30वीं बैतक

तालिका-1 तटीय जलकृषि प्राधिकरण की बैठकें (अप्रैल, 2010 - मार्च, 2011)

बैठक	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
27वीं बैठक	11 जून, 2010 चेन्नई	 2,138 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन 23 झींगा फार्मों को (डब्ल्यू एस ए-202.24 हैक्टेयर) SPF एल.वेन्नामई पालन के लिए अनुमित देने का निर्णय । जैव सुरक्षा आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए SPF एल.वेन्नामई में DWTS पर अध्ययन आयोजित करने के लिए CIBA को अनुमित प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन । प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए नमूना एकत्रीकरण और परीक्षण संबंधित विशिष्ट अपेक्षाओं और तटीय जलकृषि प्राधिकरण के विनियमनों द्वारा लागू CAA प्रक्रियाओं की रिपोर्टिंग के बारे में एम्पेडा अधिकारियों को जानकारी देने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्णय । कृषकों को सीधे पंजीकरण प्रमाणपत्र भेजना और यदि कोई प्रमाणपत्र प्रेषित न हुआ हो तो राज्यों के एस एल सी सदस्य संयोजक को भेजे जाने का निर्णय ।

बैठक	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
28वीं बैठक	17 सितम्बर, 2010 चेन्नई	 634 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदित किया गया । वर्ष 2010-2011 के लिए ब्रूडस्टाक के आयात और SPF एल. वेन्नामई के बीज उत्पादन के लिए 21 हैचरियों को अनुमति का अनुमोदन SPF एल. वेन्नामई पालन के लिए 40 झींगा फार्मों (डब्ल्यू एस ए-234.14 हैक्टेयर) की अनुमति का अनुमोदन वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन वेश में SPF एल. वेन्नामई के वाणिज्यिक पालन के कार्य निष्पादन के विश्लेषण के लिए 27 अगस्त, 2010 को पणधारियों के साथ SPF एल वैन्नमई पर समीक्षा कार्यशाला के मुख्य अंशों को रिकार्ड किया सी ए ए के नियमों के अन्तर्गत डी एल सी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उपयोगिता प्रमाण और तदुपरान्त व्यय के लिए एक मानक प्रपन्न तैयार करने का निश्चय । नमूनों का एकत्रिकरण और परीक्षण के लिए अपनाई प्रक्रिया में ल्यूकेन के बारे में एम्पेडा के साथ बैठक आयोजित करना और निर्धारित प्रपन्न में सी ए ए को रिपोर्ट प्रस्तुत करना
29वीं बैठक	11 नवम्बर, 2010 हैदराबाद	 SPF एल. वेन्नामई पालन के लिए 09 झींगा फार्मों (डब्ल्यू एस ए-188.50 हैक्टेयर) को अनुमित का अनुमोदन सी ए ए तकनीकी अनुभाग के जल गुणवत्ता मानिटरिंग प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त उपकरणों की खरीद के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन संबंधित कृषकों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के साथ तिमलनाडु में SPF एल. वेन्नामई के गैर कानूनी रूप से पालन के खिलाफ कार्रवाई का अनुमोदन
30वीं बैठक	7 जनवरी, 2011 चेन्नई	 1,140 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदित किया गया SPF एल वैन्नमई पालन के लिए 29 झींगा फार्मों (डब्ल्यू एस ए-332.93 हैक्टेयर) को अनुमित का अनुमोदन एल. वेन्नामई के गैर कानूनी पालन के लिए एक कृषक के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

बैठक	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
3 1वीं बैठक	4 मार्च, 2011 भुवनेश्वर	 570 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदित किया गया SPF एल. वेन्नामई पालन के लिए 67 झींगा फार्मों (डब्ल्यू एस ए-395.39 हैक्टेयर) को अनुमित का अनुमोदन वर्ष 2011-2012 के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई के ब्रूडस्टाक की वार्षिक आवश्यकता के संबंध में हैचरी प्रचालकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक गैर कानूनी रूप से हैचरी बीज उत्पादन क्रियाकलापों को बंद करने के लिए सी ए ए की कार्रवाई के बारे में मीडिया (स्थानीय समाचार पत्रों) के जिरए तथा सी ए ए वेबसाइट में शामिल करने के साथ-साथ व्यापक प्रचार-प्रसार हैचरियों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण दल गठित किया गया ।

2. झींगा फार्मों का पंजीकरण

- क. राज्य और जिला स्तरीय समितियों, जिन्हें इसी कार्य के लिए गठित किया गया है, उनकी सिफारिशों पर झींगा फार्मों का पंजीकरण कार्य सीएए द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य है।
- ख. प्राधिकरण ने हर दो महीनों में एक बार नियमित रूप से हुई अपनी बैठक में झींगा फार्मों के पंजीकरण के लिए जिला स्तरीय समितियों और राज्य स्तरीय समितियों द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों पर विचार किया और मार्च, 2011 तक (सी ए ए के आरंभ होने से) झींगा पालन के पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान कर 23,338 प्रमाण पत्र जारी किए।








ग. सभी समुद्रतटीय राज्यों में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण सारणी-2 में दिया गया है और प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत क्षेत्रवार फार्मों को दर्शाने वाला चार्ट भी चित्र-1 में दिया गया है। सीएए ने झींगा फार्मों के पंजीकरण पर डाटाबेस को पूरा कर लिया है जो प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। पंजीकृत फार्मों का विवरण भी उपयोगकर्ताओं के लिए प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध करवाया गया है, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

तालिका 2: सीएए द्वारा 31वीं बैठक (दिसम्बर, 2005 - मार्च, 2011) तक जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों का विवरण


豖.	राज्य/संघ शासित	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)					
न्न. सं.	प्रदेश का नाम	0.00 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.00 से अधिक	कुल
1	प. बंगाल	1,230	143	0	0	0	1,373
2	उड़ीसा	3,740	362	26	10	0	4,138
3	आंध्र प्रदेश	13,642	965	91	39	9	14,746
4	तमिलनाडु	803	569	107	15	1	1,495
5	पुदुचेरी	5	1	0	0	0	6
6	केरल	375	87	13	2	0	477
7	कर्नाटक	253	36	2	2	0	293
8	गोवा	19	12	1	1	0	33
9	महाराष्ट्र	80	112	23	18	6	239
10	गुजरात	136	383	2	0	1	522
11	दमन एवं दीव	0	12	0	0	0	12
12	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	1	0	0	0	4
	कुल	20,286	2,683	265	87	17	23,338



क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	20,286
2.01 - 5.00	2,683
5.01 - 10.00	265
10.01 - 40.00	87
40.00 से अधिक	17

चित्र 1 तटीय जलकृषि प्राधिकरण के आरंभ होने से 31 वीं बैठक तक सभी तटीय राज्यों में फार्मों का पंजीकरण

घ. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने 4,825 पर विचार किया और अनुमोदन दिया । प्राधिकरण की 27वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, पंजीकरण प्रमाण-पत्र किसानों को सीधे जारी किए गए थे और सुपुर्द न किये जाने के कारण वापस लौटे प्रमाण-पत्रों को राज्यों के एसएलसी के सदस्य संयोजकों को भेज दिया गया था। क्षेत्रानुसार अनुमोदित फार्मों को चित्र-2 में प्रदर्शित किया गया हैं।



क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	4,515
2.01 - 5.00	259
5.01 - 10.00	31
10.01 - 40.00	18
40.00 से अधिक	2

चित्र 2: अप्रैल 2010-मार्च 2011 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों का पंजीकरण


ङ. 9 समुद्र तटीय राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 के दौरान प्राधिकरण में पंजीकृत फार्मों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण तालिका-3 में दिया गया है। 8 समुद्र तटीय राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के प्राधिकरण के साथ पंजीकृत क्षेत्रवार फार्मों को दर्शाने वाली सूची आकृति 3 से 12 में दर्शाया गया है।

तालिका 3: अप्रैल, 2010-मार्च, 2011 के दौरान प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र का ब्यौरा

		कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)					
त्र. सं.			2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.00 से अधिक	कुल
1	प. बंगाल	251	0	0	0	0	251
2	उड़ीसा	1,755	27	7	7	0	1,796
3	आंध्र प्रदेश	2,313	89	14	8	0	2,424
4	तमिलनाडु	77	55	7	2	0	141
5	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
6	केरल	73	13	1	0	0	87
7	कर्नाटक	22	0	0	0	0	22
8	गोवा	4	2	0	0	0	6
9	महाराष्ट्र	7	7	1	1	2	18
10	गुजरात	12	65	1	0	0	78
11	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
12	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0	0	0	2
	कुल	4,515	259	31	18	2	4,825

वर्ष 2010-11 के दौरान सीएए में पंजीकृत झींगा फार्मों का राज्यवार ब्यौरा (आरेख 3 से 12)


पश्चिम बंगाल




क्षेत्र	फार्मों की संख्या
(हैक्टेयर में)	
0 - 2.00	251
2.01 - 5.00	0
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0

उड़ीसा

क्षेत्र	फार्मों की संख्या
(हैक्टेयर में)	
0 - 2.00	1,755
2.01 - 5.00	27
5.01 - 10.00	7
10.01 - 40.00	7
40.00 से अधिक	0




आंध्र प्रदेश



क्षेत्र	फार्मों की संख्या
(हैक्टेयर में)	
0 - 2.00	2,313
2.01 - 5.00	89
5.01 - 10.00	14
10.01 - 40.00	8
40.00 से अधिक	0


तमिलनाडु




क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	77
2.01 - 5.00	55
5.01 - 10.00	7
10.01 - 40.00	2
40.00 से अधिक	0

केरल

क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	73
2.01 - 5.00	13
5.01 - 10.00	1
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0




कर्नाटक



क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	22
2.01 - 5.00	0
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0


गोवा




क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	4
2.01 - 5.00	2
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0

महाराष्ट्र

क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	7
2.01 - 5.00	7
5.01 - 10.00	1
10.01 - 40.00	1
40.00 से अधिक	2




गुजरात



क्षेत्र	फार्मों की संख्या
(हैक्टेयर में)	
0 - 2.00	12
2.01 - 5.00	65
5.01 - 10.00	1
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह



क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	1
2.01 - 5.00	1
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0

3. एस पी एफ लिटोपेनस वेन्नामई पालन

(i) एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का चयन

- सीएए ने सीआईबीए, एनएफडीबी और एम्पेडा के परामर्श से सम्भावित आपूर्तिकर्ताओं के साथ गहन विचारविमर्श करके अनुवांशिक और रोग की स्थित के आधार पर एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक की आपूर्त्तिकर्ताओं की सूची बनाने और चयन का कार्य पूरा कर लिया। एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक की आपूर्त्ति के लिए दो अन्य आपूर्त्तिकर्ताओं को चयन सूची में रखा गया और चयन किया गया। कुल मिलाकर अब तक निम्नलिखित आठ आपूर्त्तिकर्ताओं को चयन सूची में रखा गया और चयन किया गया है-
 - मे. ओसैनिक इंस्टीच्यूट, हवाई
 - 2 मे. कोना बे मैरिन रिसोर्सेज, हवाई
 - 3 मे. श्रिम्प इंप्रूवमेंट सिस्टम, फ्लोरिडा
 - 4 मे. साइक्वा, थाईलैंड
 - 5 मे. वेन्नामई 101 कं. लि. (के साथ संयुक्त उद्यम), थाईलैंड
 - मं. चेरियन पोकफंड फूड्स पब्लिक कं. लि., थाईलैंड
 - गे. श्रिम्प इंप्रवमेंट सिस्टम प्रा. लि. सिंगापुर
 - 8 मे. श्रिम्प इंप्रूवमेंट सिस्टम प्रा. लि. हवाई







एल. ब्रूडस्टॉक के इच्छुक आपीर्तिकर्ताओं की प्रस्तुती का तकनीकी समिति मूल्यांकन करते हुये।

(ii) बीज उत्पादन के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात की अनुमति

हैचरियों को अनुमित प्रदान करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों जिन्हें सीएए ने भी अनुमोदित किया था, के अनुसार एसपीएफ एल. वेन्नामई के ब्रूडस्टॉक के आयात और उसके बीजों के उत्पादन के लिए वर्ष 2010-11 में 21 हैचरियों (आंध्र प्रदेश में 14 और तिमलनाडु में 7) को अनुमित पत्र जारी किए गए थे। जिसका राज्यवार विवरण चित्र 13 तथा हैचरियों का जिल्लावार वितरण चित्र-14 में दर्शाया गया है। इस अनुमित की वैधता 31.3.2011 तक थी।



चित्र 13 एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों का राज्यवार वितरण



चित्र 14 2010-11 में तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी गई हैचरियों का जिल्लावार वितरण

(iii) वर्ष 2010-11 में एसपीएफ एल. वेन्नामई के ब्रूडस्टॉक का आयात और बीज उत्पादन

- कृषि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशानिदेशों के अनुसार एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक और बिक्री के लिए पोस्ट लार्वा के आयात के लिए हैचरियों को अनुमित देने का कार्य तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) को सौपा गया।
- तद्नुसार, सीएए ने सीआईबीए, एनएफडीबी और एम्पेडा के परामर्श से ग्लोबल विज्ञापन के माध्यम से एसपीएफ एल. वेन्नामई के आठ ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की जिनसे हैचरी मालिकों को ब्रूडस्टॉक आयात करने की अनुमित दी गई।
- एसपीएफ एल. वेन्नामई के ब्रूर्डस्टॉक के आयात के लिए हैचरी मालिकों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रमुख समाचारपत्रों और सीएए की वेबसाइट पर दिनांक 11.1.2011 को विज्ञापन जारी किए गए थे।
- हैचरी संचालकों से कुल 80 आवेदन प्राप्त हुए थे; जांच के बाद जैव सुरक्षा, ईटीएस और प्रयोगशाला सुविधाओं को पता लगाने के लिए एक चैक लिस्ट तैयार की गई। सीएए द्वारा गठित निरीक्षण सिमित ने हैचरियों की सुविधाओं के मूल्यांकन और उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए रिपोर्टोंधीन वर्ष के दौरान 11 हैचरियों (आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में दो, पूर्वी गोदावरी जिले में 3 और विशाखापट्टनम जिले में 2 और तिमलनाडु के विल्लुपुरम जिले में 3 और कांचीपुरम जिले में 1) का निरीक्षण किया। वर्ष 2010-11 की अविध के दौरान किसी नई हैचरी को अनुमित जारी नहीं की गई।







निरीक्षण समिति द्वारा हैचरियों का निरीक्षण

हैचरी में ईटीएस

 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीएए द्वारा 21 हैचरियों को एसपीएफ एल. वन्नामई ब्रूड स्टॉक का आयात करने और बीज का उत्पादन करने के लिए अनुमित प्रदान की गई । यद्यपि इस अविध के दौरान, ब्रूड स्टाक की कुल संख्या 17,100 की अनुमित दी गई थी, लेकिन मात्र 19 हैचरियों ने 10,733 ब्रूडस्टॉक का

आयात किया । उन्होंने 1,328.88 मिलियन बीज (लार्वा के बाद) उत्पादित किए । हैचरियों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों से यह पता चलता है कि नौपली से पोस्ट लार्वा तक जीवित रहने की औसत दर 30.18 प्रतिशत है।



आयातित एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक



हैचरी में उत्पादित एसपीएफ एल. वेन्नामई बीज

(iv) ब्रूडस्टॉक के आयात पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठकें

 2011 के दौरान हैचरी ऑपरेटर, जिन्हें एस सी एफ एल. वेन्नामई की आयात करने की अनुमित दी गई है, के साथ तकनीकी मूल्याँकन समिति ने दो बैठकों की एवं ब्रीडस्टाक के आयात से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।





तकनीकी मूल्याँकन समिति की बैठक

(v) एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए झींगा फार्मों को अनुमति

- सीएए ने एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए अनुमित प्रदान करने के लिए फार्मों के निरीक्षण के लिए एक निरीक्षण दल गठित किया।
- निरीक्षण के दौरान एल. वेन्नामई पालन के लिये सत्यापित की गई जैव सुरक्षा आवश्यकताएं इस प्रकार हैं
 - i) फार्मों की घेराबंदी (केकड़ा पालन सहित);
 - ii) जलशायों के माध्यम से जल उपभोग:
 - iii) पक्षी डरावा/पक्षी स्ररक्षा जाल लगाना;
 - iv) सक्षम उपचार तंत्र। (ईटीएस)





एल. वेन्नामई पालन के लिये प्रस्तावित फार्मों का निरीक्षण



फार्म और क्रैब बाड







क्रैब बाड

The same





पक्षी जाल

पक्षियों को डराने के लिए

जलाशय

ईटीएस


निरीक्षण समिति की सिफारिशों और आगे किए गए विचार और सीएए के सदस्य सचिव द्वारा समर्थन के आधार पर प्रस्तावों को प्राधिकरण के समक्ष विचार के लिए रखा गया। सीएए के अनुमोदन के पश्चात् अनुमित पत्रों (एलओपी) को किसानों को जारी किया गया। एल. वेन्नामई की शुरूआत से मार्च 2011 तक तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने ऐसे 275 अनुमित पत्रों का अनुमोदन किया है एवं श्रिंप किसानों को जारी किया है। जिसका विवरण तालिका-4 में दिया जा रहा है तथा चित्र-15 में चित्रित किया गया है।

तालिका 4: शुरूआत से मार्च, 2011 तक एल. वेन्नामई फार्मों के पंजीकरण का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्यों के नाम	फार्मों की सं	टीएफए (है.)	एमडब्ल्यूएसए (है.)
1.	आंध्र प्रदेश	192	2,425.59	1,645.31
2.	तमिलनाडु	38	414.73	258.82
3.	गुजरात	10	251.00	174.99
4.	महाराष्ट्र	13	442.57	260.12
5.	कर्नाटक	16	47.04	37.38
6.	उड़ीसा	5	136.08	83.78
7.	गोवा	1	5.6	2.80
	कुल	275	3,722.61	2,463.20








चित्र 15 मार्च, 2011 तक तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान किये गये फार्म

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने 168 एल. वेन्नामई फार्मों पर विचार करते हुए उन्हें अनुमोदन प्रदान किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुमत एल. वेन्नामई फार्मों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका-5 और चित्र 16 में प्रदर्शित है।

तालिका 5: अप्रैल 2010 से मार्च 2011 के दौरान अनुमित प्रदान किये गये एल. वेन्नामई फार्मों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्यों के नाम	फार्मों की सं	डब्ल्यूएसए (है.)
1.	आंध्र प्रदेश	105	835.25
2.	तमिलनाडु	32	203.41
3.	गुजरात	6	97.00
4.	महाराष्ट्र	3	91.50
5.	कर्नाटक	16	37.38
6.	उड़ीसा	5	83.78
7.	गोवा	1	2.80
	कुल	168	1,351.12


अप्रैल 2010 से मार्च 2011 के दौरान एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) द्वारा अनुमति प्रदान किये गये फार्मों की संख्या



31-03-2011 तक तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा 2,463.20 हैक्टयर के जल में फैले हुए के 275 फार्मों को, जिन्हें अनुमित दी गई, उनका जिलावार वितरण चित्र 17 में दिया जा रहा हैं।

अनुमित प्रदान किये गये एसपीएफ एल. वेन्नामई झींगा फार्मों का ब्यौरा समय-समय पर प्राधिकरण की वेबसाइट पर अद्यतन किया जाता है।

चित्र 16 2010-11 के दौरान तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अनुमित प्रदान किये गये फार्मों का राज्यवार वितरण



चित्र 17: मार्च 2011 को भारत के एल. वेन्नामई फार्मों का जिलावार वितरण

(vi) एसपीएफ एल. वेन्नामई का उत्पादन

वर्ष 2010-11 के दौरान तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा कुल 168 फार्मों को एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन की अनुमित प्रदान की, जिसके 31.03.2011 तक 2,463.20 हैक्टर के जल फैलाव क्षेत्र (WSA) को मिलाते हुये फार्मों की कुल संख्या 275 हो गई। भारत में एल. वेन्नामई पालन के आरंभ होने से एवं रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 124 फार्मों ने 2 फसल एवं 13 फार्मों 4 फसलों की पैदावार की। 2,931 हैक्टयर से 18,247 MT श्रिंप के उत्पादन को प्राप्त किया गया। जीवित रहने की दर सीमा 25-98% तथा पालन की अवधि 32 से 173 के बीच में थी। शरीर का औसत भार 6.5 ग्राम से 32.94 ग्राम तथा खाद्य परिवर्तन अनुपात 1.02-2.0 के बीच रहा। प्रति हैक्टयर उपज 1.8 से 15.04 मी.टन के बीच रही।





एल. वेन्नामई की फार्म की ताजा फसल

(vii) एसपीएफ एल. वेन्नामई के हैचरियों और फार्मों की निगरानी

 एसपीएफ एल. वेन्नामई के बीज के उत्पादन के लिए सीएए द्वारा अनुमित प्रदान की गई 19 हैचरियों (तिमलनाड़ में 13 और आंध्र प्रदेश में 6) की निगरानी सीएए के अधिकारियों द्वारा की गयी।





एल. वेन्नामई हैचरियों की मॉनीटरिंग

आंध्रप्रदेश के एक क्रीक से जल नमूना का संग्रह

- एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए सीएए द्वारा अनुमित प्रदान किये 198.05 है. जल फैलाव क्षेत्र WSA के आंध्रप्रदेश के 4 फार्मों की निगरानी भी सीएए के अधिकारियों द्वारा की गई।
- उत्पादन सुविधाओं की जांच की गई और रिकार्ड का सत्यापन किया गया। हैचरियों और फार्मों को कृषि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार उचित रिकार्ड के रख-रखाव की सलाह दी गई।
- हैचिरयों से निकलने वाले गंदे जल की गुणवत्ता की जांच के लिए ईटीएस के अंतिम डिस्चार्ज प्वांइंट से गंदे जल के नमूने एकत्र किए गए तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि गंदे जल का मानक सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।
- नियमित निगरानी के अलावा 13 हैचरियों (आंध्र प्रदेश में 10 और तमिलनाडु में 3) का भी निरीक्षण किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि हैचरियों में एल. वेन्नामई के बीजों का अवैध उत्पादन तो नहीं किया जा रहा।

4. जल गुणवत्ता मानिटरिंग प्रयोगशाला

हैचरियों और फार्मों से बेकार जल की नियमित रूप से मानीटरिंग करने के लिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये सीएए अधिनियम एवं नियमों द्वारा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत हैं, सीएए के तकनीिक अनुभाग में एक जल गुणवत्ता मानीटरिंग प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला को पूर्णतः सुसज्जित करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त उपकरणों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।





प्रयोगशाला में बेकार जल नमूनों का विश्लेषण

5. वेबसाइट को अद्यतन बनाया गया

तटीय जलकृषि प्राधिकरण की वेबसाइट का पता www.caa.gov.in है और यह साइट राष्ट्रीय सूचना केन्द्र चेन्नई द्वारा अपलोड की जाती है । इसमें वैश्विक स्तर पर आंकड़े देखे जा सकते हैं और विदेशी विक्रेताओं की जानकारी के लिए झींगा का पूरा ब्यौरा उपलब्ध होता है । इसके अलावा, झींगा पालक तथा हैचरी आपरेटर पंजीकरण के आवेदन फार्म तथा फार्मिंग तथा बीज उत्पादन के दिशा-निर्देशों के संबंध् में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट का उपयोग करते हैं। इन्होंने तटीय परिवेश तथा तटीय क्षेत्रों की आजीविका की सुरक्षा की दृष्टि से तटीय जलकृषि कार्य-कलापों को विनियमित करने के लिए वेबसाइट पर विस्तृत सूचना प्रस्तुत की है। इसलिए, आंकड़ों को निरन्तर तथा जरूरी तौर पर अपलोड किया जाता है। इसके अलावा, वेबसाइट पर प्राधिकरण की शक्तियों एवे कार्यों, बजट एवं लेखों को व्यक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें झींगा हैचरियों, झींगा फार्मों के पंजीकरण तथा विनियमन, ब्रूड स्टाक तथा एल. वन्नामई पालन संबंधी क्रियाकलापों के जलीय संगरोध के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है।

6. सीएए मुख्यालय के लिए भवन

इस समय, प्राधिकरण हेड़ोज रोड, चेन्नई— 600 006 स्थित शास्त्री भवन के एक छोटे से हिस्से में कार्य कर रहा है और इसे जितना स्थान आवंटित किया गया है वह वर्तमान मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस कारण, प्राधिकरण का तकनीकी अनुभाग वेपेरी के किराए पर लिए गए भवन में कार्य कर रहा है। जगह की कमी के कारण विशेष बैठकें और कार्यशालाएं बाहर आयोजित की जाती हैं। प्राधिकरण ने चेन्नई स्थित इसके मुख्यालय के स्टाफ के लिए रिहायशी आवास के अलावा कार्य संबंधी सुविधाओं जिनमें प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षण कक्षाएं, सूचना केन्द्र, पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष/समिति कक्ष आदि शामिल हैं, के लिए भव्य योजनाएं बनाई हैं। इसलिए, चेन्नई में प्राधिकरण के एक राष्ट्रीय मुख्यालय काम्पलैक्स का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रयोजन हेतु सरकारी जमीन के आवंटन के मामले पर राज्य सरकार के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की जा रही है। इस प्रयोजन के लिए किए गए अनवरत प्रयासों के कारण ही राज्य सरकार द्वारा सीएए को आवंटन हेतु दक्षिणी चेन्नई (आई टी कॉरीडार के नजदीक) में लगभग चार एकड़ जमीन निर्धारित की गई है। राज्य सरकार द्वारा इस जमीन के आवंटन और इस जमीन का यथाशीघ्र पट्टे पर अथवा निःशुल्क हस्तान्तरण करने के लिए केन्द्र में अनुसचिवीय स्तर पर पर प्रयास भी शुरू किए गए हैं।

आवंटन के पश्चात् सक्षम एजेंसी को अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार निर्माण कार्य सौंपे जाने से पूर्व जैसे कि खड्डों को भरना, अहाते की दीवार का निर्माण करना आदि जैसें अन्य पुनः सुधार कार्यों को निपटाना होगा। इस कार्य की अनुमानित लागत लगभग 40.00 करोड़ रूपए होगी और इस कार्य को जमीन का आवंटन होने के समय से 1 से 1/2 वर्ष की अविध में पूरा किया जाएगा। बारहवीं योजना के दौरान योजना में आवश्यक बजटीय प्रावधानों की व्यवस्था की जाएगी।

7. सीएए द्वारा हिन्दी सप्ताह मनाया जाना

सीएए ने 20.09.2010 से 26.09.2010 तक हिन्दी सप्ताह मनाया । श्री आशीष कुमार खरे, हिन्दी अनुवादक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, चेन्नई द्वारा प्राधिकरण के स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण/दिशा–निर्देश प्रदान करने के लिए 24.09.2010 को एक कक्षा का आयोजन किया गया । इस सप्ताह

के दौरान इन पाठ्यक्रमों नामतः (i) श्रुतिलेख और (ii) निबंध लेखन पर दो प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई और इनमें सफलता पाने वाले अधिकारियों/स्टाफ को पुरस्कार प्रदान किए गए । कुल पन्द्रह स्टाफ सदस्यों ने इन प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया ।

8. सीएए की बाहरी गतिविधियां

(i) मेला/प्रदर्शनियों में भागीदारी

सीएए ने 9 से 12 जुलाई, 2010 तक हैदराबाद में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा आयोजित इनिफस-2010 में भाग लिया और स्टॉल लगाया। इसमें किसानों और हैचरी संचालकों के लाभ के लिए स्टॉल पर जल कृषि में एंटीबायोटिक, रसायन और दवाओं के प्रयोग के प्रति जागरूकता और एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए दिशा-निर्देश और जैव सुरक्षा आवश्यकताओं के अलावा झींगा पालकों द्वारा अपनाये जाने वाले झींगा पालन संबंधी दायित्व, कार्यकलाप और बेहतर प्रबंधन प्रैक्टिस को दर्शाने वाले पोस्टर लगाये गये।







इनफ़िष-2010 में सीएए का स्टाल

सीएए के अधिकारी स्मृतिचिह्न प्राप्त करते हये

• सीएए ने 26 से 28 दिसम्बर, 2010 तक मुम्बई में महाराष्ट्र मात्स्यिकी विकास परिसंघ द्वारा आयोजित मत्स्यगंधा महा फिश फेस्टिवल में भाग लिया और पोस्टरों के माध्यम से सीएए की गतिविधियों को प्रदर्शित किया।






मत्स्यगंधा महा फिश फेस्टिवल-2010 में सीएए का स्टाल



• सीएए ने 6 से 8 फरवरी, 2011 तक चैन्नई में एम्पेडा द्वारा आयोजित एक्वा एक्वेरिया में भी हिस्सा लिया। इसमें स्टॉल और संगठन के कार्यों और गतिविधियों को दर्शाने वाले पोस्टर भी लगाए गए। उदघाटन के दौरान सीएए के चेयरमैन ने सम्बोधित किया।









एक्ना एक्नेरिया. 2011 में सीएए का स्टॉल

(iii) तटीय जलकृषि प्राधिकरण आयोजित किये गये जागरूकता कार्यक्रम एवं संवेदनशीलता कार्यशालायें

सीएए द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम और सुग्राहीकरण कार्यशालाओं का आयोजन रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सीएए द्वारा 4 जागरूकता कार्यक्रम और 3 सुग्राहीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। विवरण

इस प्रकार है:-

• उड़ीसा के 3 जिलों में (ककटपुर, केन्द्रापारा जिले में 21.4.2010 को. जयदेव कसवपाही. बलसौरे जिले में 22.4.2010 को और भद्रक जिले में 23.4.2010 को) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 278 किसान, भद्रक जिले के जिला कलेक्टर. उडीसा झींगा पालक संघ के सचिव, एम्पेडा और राज्य मारिस्यकी अधिकारियों ने हिस्सा लिया।



केंद्रापारा में आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम





बालासोर में आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम





भद्रक शहर में आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम

 13.1.2011 को तिमलनाडु के थूथुकुडी में िफशरिज कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीच्यूट में इमर्जिंग अपोर्च्युनिटीज इन श्रिम्प फार्मिंग नामक एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें सीएए के माननीय चैयरमैन मुख्य अतिथि तथा अध्यक्ष राज्यस्तरीय समिति सह जिला कलेक्टर, टूटीकोरिन ने अध्यक्षता की । पूरे तिमलनाडु से 104 किसानों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लाभ उठाया ।





एफसीआरआई, थूथुरुड़ी में अध्यक्ष, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुये।

 6.7.2010 को गुजरात के भरूच जिले में सीआईबीए के सहयोग से, 20.7.2010 को आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा में एसआईएफटी में, और 28.7.2010 को चैन्नई स्थित सीआईबीए मुख्यालय में एल. वेन्नामई पर 3 सुग्राहीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें राज्य मात्स्यिकी विभाग के करीब 102 अधिकारियों ने हिस्सा लिया।







एसपीएफएल एल. वेन्नामई फार्मिंग पर आयोजित संवेदनशीलता कार्यशाला भरुच







एल. वेन्नामई फार्मिंग पर काकीनाडा में आयोजित संवेदनशीलता कार्यशाला



जागरूकता कार्यक्रम के दौरान सीएए अधिकारियों द्वारा सीएए के उद्देश्यों, शक्तियों और कार्यों, एंटीबायोटिक अपशिष्टों, जिम्मेदार जलकृषि के लिए एफएओं की आचार संहिता और एल. वेन्नामई के पालन को आरंभ करने के लिए हैचरियों और फार्म के विनियमन के लिए दिशानिर्देश के विषय में किसानों को स्थानीय भाषा में विस्तार से बताया गया। स्थानीय भाषा में तैयार किए गए हैंडआउट भी किसानों एवं अधिकारियों में बांटे गए।







एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन का सेंसिटाईजेशन कार्यक्रम चेन्ने में आयोजित किया

(iii) भारत में एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन पर कार्यशाला की समीक्षा

देश में आरंभ किए गए, विदेशी झींगे, एसपीएफ एल. वेन्नामई के वाणिज्यिक पालन के कार्यनिष्पादन और इसकी संभावनाओं की समीक्षा के लिए 27 अगस्त, 2010 को चैन्नई में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में आईसीएआर और कुछ सरकारी संगठनों के वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारी तथा केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के अलावा हैचरी संचालकों, झींगा पालकों, आहार विनिर्माताओं, निर्यातकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में लगभग 136 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और लाभान्वित हुये। इस कार्यशाला का उद्घाटन कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री तरूण श्रीधर (मा.) ने किया। सीएए निदेशक (तक.) और सहायक निदेशक(तक.) द्वारा क्रमशः बीज उत्पादन और फार्मिंग विषय पर दो समीक्षा पत्र प्रस्तुत किए गए। हैचरी संचालकों और पालकों द्वारा बीज उत्पादन और पालन पर की कुछ सफलता कहानियां सुनाई गई। सीएए द्वारा कार्यशाला की कार्यवाही को प्रकाशन भी किया गया। भारत में एसपीएफ एल. वेन्नामई के आरंभ और पालन पर एक सार संग्रह जिसे सीएए द्वारा तैयार किया गया। था, को भी जारी किया गया।



श्री तरुण श्रीधर, संयुक्त सचिव (मा.), पशुपालन डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय, कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए ।



भारत में एसपीएफ एल. वेन्नामई का आरंभ एवं पालन पर संग्रह जारी करते हुये





कार्यशाला में स्टेकहोल्डरों की भागीदारी

(iv) एम्पेडा और राज्य के मात्स्यिकी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

एंटीबायोटिक जांच के लिए नमूनों को एकत्र करने और विश्लेषण के लिए प्रिक्या और इसके रिपोर्टिंग की प्रिक्रिया के संबंध में एम्पेडा के चैयरमैन के अनुरोध पर 28.5.2010 को सीएए द्वारा सीएए मुख्यालय चैन्नई में एम्पेडा के अधिकारियों के लिए एक प्रिशक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रिशक्षण कार्यक्रम में एम्पेडा के विभिन्न क्षेत्रों के 26 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्हें सीएए के विनियमन और सीएए विनियमों के अनुरूप एंटीबायोटिक के नमूने एकत्र करने और उनकी जांच की प्रक्रिया के विषय में विस्तार से बताया गया।





तटीय जलकृषि प्राधिकरण में एमपीडा के अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए।

 02.02.2011 को आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा स्थित एसआईएफटी (राज्य मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संसाधन) में राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था





प्रस्तृति में आंध्रप्रदेश राज्य के मात्स्यिकी अधिकारियों की सिक्रय भागीदारी



जिसमें 25 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यह प्रशिक्षण मुख्यतः एल. वेन्नामई फार्मों के निरीक्षण और निगरानी पर केन्द्रित था। ब्रूडस्टाक के निर्यात, बीज उत्पादन एवं एसपीएफ एल. वेन्नामई की खेती के लिये दिशा-निर्देशों पर एक विस्तृत प्रस्तृती दी





क्षेत्र में आंध्रप्रदेश राज्य के मात्स्यिकी अधिकारियों की सिक्रय भागीदारी

गई तथा विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों को सीएए द्वारा अनुमित प्राप्त फार्मों पर भी ले जाया गया जहां उन्हें निरीक्षण और निगरानी के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताया और दिखाया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सीएए के निदेशक द्वारा किया गया और इसकी अध्यक्षता एसआईएफटी के प्रधान ने की।

(v) खाद्य एवं पशु-चिकित्सा कार्यालय मिशन के वर्ष 2008 के दौरे के उपरांत की गई सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई

नवम्बर, 2008 में किए गए एफवीओ निरीक्षण की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के संबंध में अपेक्षित सूचना फार्म के पंजीकरण एवं प्राधिकरण की स्थिति तथा खाद्य की पैदावार वाले पशुओं के लिए औषध वैज्ञानिक रूप से सक्रिय तथा अन्य प्रकार के पदार्थों के प्रयोग के संबंध में भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद को भेजी गई।

(vi) यूएस एफडीए ऑडिट

यूएस एफडीए ऑडिट की टीम ने 27 अप्रैल से 7 मई 2010 तक भारत का दौरा किया। सदस्य सचिव ने प्रथम एवं अंतिम बैठकों में भाग लिया। तथा तटी.य जलकृषि प्राधिकरण की गतिविधियों विशेषतः एक्वाफार्मों का पंजीकरण एवं जलकृषि में फांर्मेजी के रूप में सिक्रय तथा अन्य पदार्थों के उपयोग को प्राधिकृत करने की जानकारी दी। टीम में तटीय जलकृषि प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व श्री मानस कुमार सिंहा, सहायक निदेशक (तकनीकी) ने किया एवं 30.4.2010 से 05.05.2010 के दौरान आंध्रप्रदेश के पश्चिम गोदावरी एवं नेल्लूर जिलों में फार्मों में दौरों के दौरान उनके साथ रहे एवं टीम को भारत में तटीय जलकृषि के सम्बंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई।





यूएस एफडीए दल के फार्म दौरा के दौरान तटीय जलकृषि प्राधिकरण की भागीदारी।

(vii) मत्स्य रोगों के उपचार के लिए औषधि निर्धारित करने के लिए पैथालॉजिस्ट के पैनल से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक

पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग की ओर से, मत्स्य पैथोलाजी, पशुचिकित्सा औषिध में विशेषज्ञ वर्गों और केन्द्रीय औषिध मानक नियंत्रण संगठन (दिक्षणी क्षेत्र), चेन्नई के साथ-साथ मात्स्यिकी और पशुचिकित्सा विज्ञान के शिक्षक संकाय इत्यादि के साथ 29 अप्रैल, 2010 को चेन्नई में एक बैठक, सदस्य सचिव, सीएए द्वारा आयोजित की गई जिससे कि जलकृषि मछली एवं शेल फिश रोगों के उपचार के लिए औषिध निर्धारित करने के लिए उपयुक्त परामर्श दाताओं का पैनल बनाने के कार्य में सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें की जा सकें।

- जलकृषि के लिए औषधि का अनुमोदन,
- रोग का पता लगाने और जलकृषि औषधि निर्धारित करने के लिए व्यक्तियों की सक्षमता और कानूनी प्रावधान,
- जलकृषि औषधियों को विकसित और मानकीकृत करने के लिए प्रक्रिया अपनाना इत्यादि ।

बैठक में की गई प्रमुख सिफारिशों में शामिल है :

- उपयुक्त विधायी के जिए भारतीय पशुचिकित्सा परिषद की तर्ज पर मात्स्यिकी/जलकृषि परिषद स्थापित करना.
- मात्स्यिकी विज्ञान (बी.एस.एफ.सी) के पाठ्यक्रम को पुन: तैयार करना,
- जलकृषि औषधि बनाने के लिए मत्स्य पैथोलाजिस्ट के लिए जलकृषि औषधियों पर रिफ्रेशर पाठ्यक्रम,
- ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इण्डिया के अनुमोदन के लिये जलकृषि दवाइयों की सूची बनाना
- प्रत्येक प्रजातियों के लिए प्रोटोकाल के साथ राष्ट्रीय मात्स्यिकी संस्थानों के लिए मानकीकरण द्वारा जलकृषि औषधियों का क्लिनिकल परीक्षण इत्यादि ।

इन सिफारिशों को उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मंत्रालय को भेजा गया है।







पैथालॉजिस्ट के पैनल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा

(viii) श्रिंप जलकृषि वार्ता द्वारा प्रस्तावित जिम्मेदार श्रिंप जलकृषि के लिये मानक मसौदा पर टिप्पणियों को अंतिम रूप देने के लिये कार्यदल की बैठक

वर्ल्ड वार्डडलाईफ फंड की अगुवाई में 2007 में बनाई गई श्रिंप जलकृषिवार्ता द्वारा प्रस्तावित जिम्मेदार श्रिंप जलकृषि के लिये मानक मसौदा पर टिप्पणियों को अंतिम रूप देने के लिये सदस्य सचिव, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, की अध्यक्षता में तथा एनएफडीबी, सीबा, एमपीडा, सैप तथा निदेशक (एफडी), पशुपालन डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग के प्रतिनिधियों को मिलाकर पशुपालन डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग ने एक कार्यदल का गठन किया है। कार्यदल की तीन बैठकें हुई जिसमें श्रिंप जलकृषि वार्ता द्वारा प्रस्तावित जिम्मेदार श्रिंप जलकृषि के लिये सभी सूचक मानकों, विभिन्न सिद्धांतों पर तर्क तथा मानक मसौदा के मापदण्ड पर विस्तार से चर्चा की गई एवं कार्यदल की अनुसंदानों को मंत्रालय को भेज दिया गया।

9. अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/सेमीनारों/विचार-गोष्ठियों में सीएए सदस्यों/ अधिकारियों की भागीदारी

• कोस्टल एक्वाकल्चर सोसायटी ऑफ इण्डिया, चेन्नई, सीबा एवं फिशरीज, टेक्नोक्रैट्स फोरम, चेन्नई द्वारा सीबा, चेन्नई में 29 एवं सितम्बर 2010 को ''तिमलनाडु में कैप्चर एवं कल्चर फिशरीज के सतत विकास'' पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन अध्यक्ष, तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा किया गया एवं उद्घाटन भाषण दिया गया।







कार्यशाला का उद्घाटन समारोह

- अध्यक्ष, सीएए ने मात्स्यिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, थुथुकुड़ी, तिमलनाडु में 13.01.2011
 को आयोजित ''झींगा पालन में उभरते अवसर'' से संबंधी जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और उद्घाटन भाषण दिया ।
- अध्यक्ष, सीएए ने एमपीईडीए द्वारा 6 से 8 फरवरी, 2011 के दौरान चेन्नई में आयोजित एक्वा एक्वारया–
 2011 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और भाषण दिया ।

- सदस्य सचिव ने 20 अप्रैल, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित एनएफडीबी की 15वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने समुद्री जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव-विविधता संरक्षण सम्मेलन में भाग लिया और राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन, आईसीएआर, लखनऊ द्वारा 21 और 22 अप्रैल, 2010 को आयोजित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा में मात्स्यिकी एवं जलकृषि संबंधी विनियामक ढांचे पर भाषण दिया ।
- सदस्य सचिव ने निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) नई दिल्ली में 27.04.2010 को यूएसएफडीए दल की उद्घाटन बैठक में एवं 07.05.2010 को समापन बैठक में भाग लिया ।
- सदस्य सचिव ने 07.05.2010 को राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा आयोजित मोआना जंप स्ट्राट कार्यक्रम संबंधी तीसरी उप समिति बैठक में भाग लिया ।
- सदस्य सचिव ने 26-27.05.2010 को केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई में इंडियन एक्वा इन्वेस्ट कांग्रेस और एक्सपो 2010 में भाग लिया तथा मात्स्यिकी नीति के सह की सह अध्यक्षता की।
- सदस्य सचिव, निदेशक, सहायक निदेशक और जी.एस. रमेश कुमार, विष्ठ तकनीकी सहायक, सीएए ने राष्ट्रीय माल्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा 9 से 12 जुलाई, 2010 के दौरान हैदराबाद में आयोजित भारतीय मत्स्य समारोह ''इनिफश-2010'' में भाग लिया ।
- सदस्य सचिव ने 18.08.2010 को नई दिल्ली में आयोजित एनएफडीबी, हैदराबाद की 16वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने 1 से 4 सितम्बर, 2010 के दौरान जेजु, कोरिया में आयोजित तीसरे एशिया पेसिफिक फिशरी कमीशन (एपीएफआईसी) कंसलटेटिव फॉरम की बैठक में भाग लिया ।
- सदस्य सचिव, निदेशक (तक.), सहायक निदेशक (तक.) और सलाहकार ने मात्स्यिकी टेक्नोक्रेट्स फोरम, चेन्नई, सीआईबीए और भारतीय तटीय जलकृषि समिति द्वारा 29-30 सितम्बर, 2010 को सीआईबीए, चेन्नई में आयोजित 'तमिलनाडु में कैप्चर और कल्चर मात्स्यिकी के सतत विकास संबंधी कार्यशाला' में भाग लिया । सदस्य सचिव ने समापन भाषण दिया ।



सदस्य सचिव, जेजु में तीसरी एशिया-पेशिफिक फिशरी कमीशन की कंसलटेटिव फोरम में भाग लेते ह्ये।



सदस्य सचिव, कार्यशाला के समापन समारोह में भाग लेते हुये।



- सदस्य सचिव ने 18.10.2010 को उद्घाटन समारोह में भाग लिया और समुद्री विज्ञान संकाय, समुद्री जीव विज्ञान उच्च अध्ययन केन्द्र, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, परांजीपेट्टी में मैरीन आरनामेंटल फिश कल्चर पर प्रशिक्षण के संबंध में विशेष भाषण दिया ।
- सदस्य सचिव, निदेशक (तक), सहायक निदेशक (तक), सलाहकार और जी. प्रिया, वरिष्ठ तकनीकी सहायक ने जलकृषि व्यवसायिक सोसायटी द्वारा 29-30 अक्तूबर, 2010 को चेन्नई में आयोजित एक्वा इंडिया, 2010 में भाग लिया। सदस्य सचिव ने मुख्य भाषण दिया।





एक्टा इंडिया 2010 में तटीय जलकृषि प्राधिकरण के अधिकारियों की भागीदारी

- सदस्य सचिव ने 30.12.2010 को कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित एनएफडीबी, हैदराबाद की 17वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया ।
- सदस्य सचिव ने संयुक्त सचिव (मा.) द्वारा मात्स्यिकी संबंधी खाद्य एवं कृषि संगठन समिति की कार्यसूची पर विचार करने के लिए 12.01.2011 को कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया ।
- सदस्य सचिव, निदेशक और सहायक निदेशक ने विश्व जलकृषि सोसायटी द्वारा 17 से 20 जनवरी,
 2011 को कोचीन में आयोजित एशियाई-प्रशान्त जलकृषि, 2011 में भाग लिया । सदस्य सचिव ने ''भारत में नीति एवं विनियामक ढांचे संबंधी तकनीकी सत्र'' की अध्यक्षता की और ''भारत में तटीय जलकृषि का विनियमन'' के संबंध में एक प्रस्तुति पेश की । निदेशक ने ''भारत में जैविक रूप से सुरक्षित एसपीएफ एल. वन्नामई फार्मिंग'' के संबंध में एक प्रस्तुति पेश की ।
- सदस्य सचिव ने अखिल भारतीय झींगा हैचरी संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन पर चर्चा करने के लिए कृषि मंत्री द्वारा 28.01.2011 को कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया ।
- सदस्य सचिव ने 8 फरवरी, 2010 को चेन्नई में आयोजित केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान की अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया ।
- सदस्य सचिव ने ताज़े जल में एल. वन्नामई फार्मिंग के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए 9.02.2011
 को एनएफडीबी, हैदराबाद में आयोजित की गई विशेषज्ञ समूह की प्रारम्भिक बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने 15.02.2011 को पूसा, नई दिल्ली में आयोजित कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की बैठक में भाग लिया ।

- सदस्य सचिव ने 16-17 फरवरी, 2011 को आयोजित केन्द्रीय ताज़ा जल जलकृषि संस्थान, भुवनेश्वर की अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया ।
- सदस्य सचिव ने 18.02.2011 को नई दिल्ली में आयोजित जलीय पशु रोग प्रबंधन संबंधी प्रथम विशेषज्ञ समूह बैठक में भाग लिया ।
- सदस्य सचिव ने ताज़े जल में एल. वन्नामई फार्मिंग के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए
 25.03.2011 को एनएफडीबी, हैदराबाद में विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक में भाग लिया।
- निदेशक (तक.) ने एमपीईडीए द्वारा आयोजित जलकृषि फार्मों के पंजीकरण के लिए 9 जून, 2010 को कोलकाता में आयोजित बैठक में भाग लिया ।
- निदेशक (तक.) ने नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय (अन्तरराष्ट्रीय सम्पर्क विभाग) द्वारा 23 जून, 2010 को पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी सी-वेट केन्द्र, चेन्नई में आयोजित भारत-स्काटलैण्ड अपतटीय पवन ऊर्जा का अवलोकन संबंधी कार्यशाला की बैठक में भाग लिया।
- निदेशक (तक.) ने पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग द्वारा 22-23 जुलाई, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित निष्पादन मानीटरिंग एवं मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) के भाग के रूप में परिणाम ढांचा प्रलेख (आरएफडी) के लिए कार्यशाला में भाग लिया ।
- निदेशक ने समुद्री जल में फार्मिंग के लिए नीति तैयार करने के लिए 21–22 अक्तूबर, 2010 को एमएसएसआरएफ, चेन्नई में ''विनिंग, अगमेंटेशन एण्ड रेनोवेशन (डब्ल्यूएआर) ऑन वाटर'' नामक कार्यक्रम में भाग लिया ।
- निदेशक (तक.) ने 27-28 अक्तूबर, 2010 को एनसीएसए मुख्यालय, काकीनाडा में एक्वा सोसाइटी अंतिम कार्यशाला के समूह प्रमाणन संबंधी एमपीईडीए-एनसीएसए-एनएसीए परियोजना में भाग लिया ।
- निदेशक (तक.) ने राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद द्वारा 16 दिसम्बर, 2010 को आयोजित ''राज्यों में मत्स्य रोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना'' की बैठक में भाग लिया ।
- निदेशक (तक.) ने 27 दिसम्बर, 2010 से 1 जनवरी, 2011 को केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान में ''तटीय जलकृषि उद्यमवृत्ति विकास'' संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और ङ्ग तटीय जलकृषि के सतत विकास के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के दिशा-निर्देश विषय पर एक प्रस्तुति पेश की ।
- निदेशक, सीएए ने 13 जनवरी, 2011 को मात्स्यिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, थूथुकुडी, तिमलनाडु में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में ''जैविक रूप से सुरक्षित एसपीएफ एल. वन्नामई फार्मिंग की स्थिति'' विषय पर एक प्रस्तुति पेश की और जी. प्रिया, विषय तकनीकी सहायक ने भी तटीय जलकृषि प्राधिकरण और फार्म पंजीकरण, पर्यावरिणक सुरक्षा तथा खाद्य सुरक्षा के लिए इसके दिशा-निर्देश के संबंध में एक प्रस्तुति पेश की ।



- निदेशक (तक.) ने परिणाम ढांचा प्रलेख (आरएफडी): निष्पादन प्रबंधन प्रभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार द्वारा 22 फरवरी, 2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित सरकार के निष्पादन में सुधार के लिए एक लिखत संबंधी कार्यशाला में भाग लिया ।
- सहायक निदेशक (तक.), एस रमेश कुमार, विरष्ठ तकनीकी सहायक, सीएए ने महाराष्ट्र मात्स्यिकी विकास निगम द्वारा 26 से 28 दिसम्बर, 2010 के दौरान मुम्बई में आयोजित मत्स्य गंध महा मत्स्य उत्सव, 2010 में भाग लिया और पोस्टरों के माध्यम से सीएए के कार्यों को प्रदर्शित किया।
- श्रीमती जी. प्रिया, विरष्ठ तकनीकी सहायक, सीएए ने निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा ईयू के सहयोग से 15 और 16 नवम्बर, 2010 को कोचीन में आयोजित ''खाद्य सुरक्षा के लिए ईयू का त्विरत चेतावनी तंत्र (आर ए एस एस) कार्यक्रम'' संबंधी प्रशिक्षण में भाग लिया।
- श्रीमती जी. प्रिया, विश्व तकनीकी सहायक, सीएए ने मात्स्यिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, थूथुकुडी तिमलनाडु द्वारा 11 और 12 जनवरी, 2011 को आयोजित ''मछुआरों की आजीविका सुधारने के लिए कोबिया पर संकेन्द्रित समुद्री फिनफिश फार्मिंग'' संबंधी कार्यशाला में भाग लिया।
- श्री एस. रमेश कुमार, विश्व तकनीकी सहायक ने आई आई टी, खड़गपुर द्वारा 8 से 16 दिसम्बर,
 2010 को आयोजित ''माल्स्यिकी एवं जलकृषि इंजीनियरी एवं प्रबंधन'' से संबंधित एक अल्पाविध पाठ्यक्रम में भाग लिया ।
- सीएए अधिकारियों ने समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण, कोचीन द्वारा 6 से 8 फरवरी, 2011 को चेन्नई
 में आयोजित जलकृषि एवं आर्नामेंटल फिश संबंधी अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी ''एक्वा एक्वारिया इंडिया 2011'' में भाग लिया।

III ख. वर्ष 2011-12 के दौरान किए जाने वाले कार्यकलाप

- i) पंजीकरणः तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण एवं नवीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है। आशा की जाती है कि अप्रैल, 2011 और मार्च, 2012 की अवधि के दौरान देश के और अधिक जलकृषि फार्मों और हैचरियों को पंजीकृत किया जाएगा।
- ii) **एल. वेन्नामई कल्चर के लिए अनुमोदन**ः एल. वेन्नामई कल्चर के तहत लगभग 2000 हैक्टयर अतिरिक्त पोखर क्षेत्र लाया जाएगा ।
- iii) निरीक्षण एवं मानीटरिंगः प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं, विशेष रूप से फार्मों से निकलने वाले अपजल की गुणवत्ता की आवधिक मानीटरिंग की जाएगी। इसके अलावा, शिकायत प्राप्त होने पर नियमित जांच, विशेष परीक्षण भी किए जाएंगे।
- iv) जलकृषि आदानों के लिए मानकः झींगा आहार के लिए मानकों का प्रारूप तयार किया गया।
- v) जागरूकता कार्यक्रमः पर्यावरण सुरक्षा, तटीय जलकृषि कार्यकलापों के सतत विकास और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- vi) विज्ञापन एवं प्रकाशनः स्टेकधारकों को सतर्क करने और एहतियाती उपाय करने के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाएंगे । प्राधिकरण का सूचना-पत्र प्रकाशित किया जाएगा।
- vii) मैनुअल/ब्रोशर तैयार करनाः मंत्रालय द्वारा जारी किए गए समस्त विनियमों, दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं को शामिल करते हुए तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, नियमों, दिशा-निर्देशों से संबंधित सार-संग्रह सम्पादित किया जाएगा । किसानों के हित में अच्छी प्रबंध प्रणालियों संबंधी एक मैनुअल प्रकाशित किया जाएगा ।
- viii) कार्यशालाएं एवं बैठकें: तटीय जलकृषि कार्यों में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए स्टेकधारकों की बैठकें आयोजित की जाएंगी जहां प्रौद्योगिकीय सुधारों तथा अन्य पहलुओं के संबंध में विभिन्न समूहों का अनुभव भी प्राप्त होगा।
 - तटीय जलकृषि प्राधिकरण, तटीय जलकृषि के संबंध में अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, समुद्री आहार मेलों और एक्वा प्रदर्शनियों में जब भी संभव होगा, प्रतिनिधित्व करेगा ।
- ix) **क्षमता निर्माण**ः तकनीकी और प्रशासनिक स्टॉफ द्वारा विनियामक उपायों के कारगर कार्यान्वयन के लिए और अपने–अपने कार्य क्षेत्र में जानकारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं अध्ययन दौरे आयोजित किए जाएंगे।

IV. वित्त

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा कार्यकलापों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2010-11 से संबंधित लेखों की प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा), तिमलनाडु एवं पांडिचेरी, चेन्नई द्वारा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अधीन लेखा परीक्षा की गई और उनकी रिपोर्ट संलग्न है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 16 और 17 के अनुसार, सीएए द्वारा दिए गए बजट अनुमान के आधार पर सहायता अनुदान चार किश्तों में प्रदान की गई । प्रशासनिक मंत्रालय ने अपने पत्र सं0 33036/5/2007-मा. (टी-2) दिनांक 1 अप्रैल, 2010 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 275 लाख रूपए के बजट अनुमान की मंजूरी दी है । लेकिन, नवम्बर, 2010 में इस कार्यालय ने 260 लाख रूपए का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया है लेकिन प्रशासनिक मंत्रालय ने 245 लाख रूपए की स्वीकृति दी है ।

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए बजट अनुमान/ संशोधित अनुमान तथा व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:-

मुख्य शीर्ष 2405

उप शीर्ष-090031 सहायता अनुदान (लाख रूपए में)

मंत्रालय द्वारा स्वीकृत	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत	प्राप्त	खर्च की गई	खर्च न की गई
बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	धनराशि	धनराशि	बकाया धनराशि
275	245	245	245	शून्य

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	उप–शीर्ष	ब.अ. 2011-12
1	तटीय जलकृषि प्राधिकरण	090031 सहायता अनुदान	300

v. प्राधिकरण का स्टॉफ तथा वर्तमान संगठनात्मक संरचना

इस समय, सीएए को 21 पदों की मंजूरी दी गई है और वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान स्टॉफ की स्थिति निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	समूह	पद	स्वीकृत पद संख्या	प्रारम्भ में स्टाफ की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित स्टाफ की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान नए स्टाफ की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में स्टाफ
1	क	निदेशक	1	1	-	-	1
		सहायक निदेशक	1	1	-	-	1
		वरिष्ठ प्रशा. अधिकार	1	1	-	-	1
	ख	निजी सचिव	2	2	-	-	2
		अधीक्षक	1	-	-	1	1
		लेखापाल	1	1	1	-	-
		वरिष्ठ तकनीकी सहायक	2	2	-	-	2
		आशुलिपिक ग्रेड 'ग'	2	2	2	-	-
	ग	वरिष्ठ लिपिक	2	1	-	-	1
		कनिष्ठ लिपिक	2	1	-	-	1
		आशुलिपिक ग्रेड 'घ'	1	-	-	1	1
		कार ड्राइवर	1	-	-	1	1
	घ	एम टी एस	4	4	-	-	4
		कुल	21	16	3	3	16

इसके अलावा, तीन लिपिकीय स्टाफ, दो प्रयोगशाला तकनीकीविद और सहायक स्टाफ की जनशक्ति एजेंसी के माध्यम से संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है। लेखापाल, विरष्ठ लिपिक और आशुलिपिक ग्रेड 'ग' के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके वर्ष 2011 तक पूरा होने की आशा है।

VI. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

वर्ष 2010-11 के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत कुल ग्यारह आवेदन प्राप्त किए गए । अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर दी गई थी ।

अनुबंध

वर्ष 2010-2011 के लिए वार्षिक लेखा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31-3-2011 का तुलन पत्र

(राशि- ₹)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
मूल/पूंजी निधि और देनदारियां			
मूल/पूंजी निधि	1	1,11,19,378	57,81,487
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	2	0	0
निर्धारित/स्थाई निधियां	3	49,90,275	31,04,452
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	0	0
असुरक्षित ऋण एवं देनदारियां	5	0	0
आस्थगित क्रेडिट देनदारियां	6	0	0
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	7	2,71,530	2,38,154
कुल		1,63,81,183	91,24,093
आस्तियां			
अचल आस्तियां	8	1,01,86,573	45,07,448
निवेश – निर्धारित/स्थाई निधियों से	9	16,11,362	15,00,000
निवेश – अन्य	10	0	0
वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	45,83,248	31,16,645
विविध व्यय (जहां तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है अथवा समायोजित नहीं किया गया है)			
,		1 (2 01 102	01 24 002
कुल		1,63,81,183	91,24,093
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देनदारियां एवं लेखों पर टिप्पणयां	25		

ह/-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ह/-सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2011 को समाप्त अविध वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा (राशि- ₹)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
क. आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	0	0
अनुदान/सब्सिडियां	13	2,45,00,000	75,18,000
शुल्क/अभिदान	14	7,530	3,450
निवेश से आय (निर्धारित/स्थायी निधियों से निवेश			
पर आय – निधियों को अंतरित)	15	0	0
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	0	0
अर्जित ब्याज	17	2,23,181	0
अन्य आय	18	1,582	0
निर्मित्त वस्तुओं के स्टॉक और चालू कार्यों में वृद्धि/(कमी)	19		
कुल (क)		2,47,32,293	75,21,450
ख. व्यय			
स्थापना व्यय	20	94,39,742	80,87,126
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	86,93,845	70,31,938
अनुदानों, सब्सिडियों आदि पर व्यय	22	0	0
ब्याज	23	0	0
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत मे निवल जोड़			
अनुसूची 8 के तदनुरूप)		12,60,815	6,78,036
कुल (ख)		1,93,94,402	1,57,97,100
व्यय से अधिक आय के कारण शेष राशि/(क-ख)		53,37,891	82,75,650
विशेष प्रारक्षित निधि को अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)			
सामान्य प्रारक्षित निधि को/से अंतरण			
अधिशेष राशि/(घाटा) जिसे मूल/पूंजी निधि में ले जाया गया			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देनदारियां और लेखों पर टिप्पणियां	25		

ह/-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/− सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि भारत सरकार,

द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी,

31-03-2011 को समाप्त अवधि/

	I	(राशि-₹)
प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. अथ शेष		
क) रोकड़ जमा	3,000	
ख) बैंक जमा		
i) चालू खाता	19,05,772	2,61,128
ii) जमा खाता		
iii) बचत खाता		
2. प्राप्त अनुदान		
क) भारत सरकार से ख) राज्य सरकार से	2,45,00,000	75,18,000
य) राज्य सरकार स ग) अन्य स्रोतों से		
र्प) अन्य स्नाता स (पंजी एवं राजस्व व्याय के लिए अनदानों को		
(पूंजी एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को पृथक रूप से दर्शाया जाए)		
3. निवेश से आय		
क) निर्धारित/स्थाई निधियां(शुल्क)	1,11,362	
ख) निजी निधियां (अन्य निवेश)		
4. प्राप्त ब्याज		
क) बैंक जमा पर	2,21,111	
ख) ऋण, अग्रिम आदि	2,070	
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)		
जांच शुल्क		3,450
टेंडर शुल्क	7,500	
अन्य आय	1,582	
आरटीआई शुल्क	30	
6. उधार ली गई धनराशि 		
7. कोई अन्य प्राप्तियां (ब्यौरा दें)	1.00.700	1 41 000
जमा राशि	1,30,530	1,41,000
कंप्यूटर अग्रिमवसूली 	30,000	
हस्तगत स्टैंप	28,248	
साख पत्र निर्धारित/स्थायी निधियाँ (फार्म शुल्क)	11,21,000	20 42 224
• •	21,83,141	28,43,324
जोड़	3,02,45,346	1,07,66,902

प्राधिकरण कृषि मंत्रालय

26 हेडीज रोड, चेन्नई-600006 वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(रा9ा-₹)

0 111-11-		(साश-र)
भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
 व्यय क) स्थापना खर्च (अनुसूची 20 के समरूप) ख) प्रशासन खर्च (अनुसूची 21 के समरूप) 	94,39,742 86,93,845	11,27,768 23,26,472
 विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि के विरुद्ध किए गए भुगतान (परियोजना अथवा कोष का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के साथ दिखाया जाना चाहिए) 		
 किए गए निवेश और जमा क) निर्धारित/स्थाई निधि में से (आईओबी में एफडीआर) ख) अपनी निधियों में से 	1,11,362	15,00,000
 स्थाई परिसंपत्तियों और चालू पूंजी कार्य पर खर्च क) स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद ख) चालू पूंजी कार्य पर खर्च 	18,93,933 50,46,007	27,52,890
 अधिशेष राशि/ऋण की वापसी क) भारत सरकार को ख) राज्य सरकार को ग) अन्य निधि दाताओं को 	, ,	
6. वित्त प्रभार (ब्याज)		
 अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें) क) साख पत्र (इंडियन ओवरसीज बैंक) ख) कंप्यूटर अग्रिम ग) त्योहार अग्रिम घ) राज्यों के लिये कटौती एवं भुगतान ङ) निर्धारित/स्थायी निधियों के अंतर्गत व्यय च) चिकित्सा अग्रिम 	4,12,916 21,600 97,154 4,08,680 29,096	11,21,000 30,000
8. अंत शेष क) रोकड़ जमा		3,000
ख) बैंक जमा i) चालू खाते में ii) जमा खाते में iii) बचत खाते में	40,91,011	19,05,772
जोड़	302,45,346	107,66,902

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31-3-2011 को तुलन पत्र के भाग के रूप मे अनुसूचियां

अनुसूची 1 - मूल/पूंजी निधि

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत	न वर्ष
1.4.2010 की स्थिति के अनुसार			
आस्तियों की लागत		36,03,643	
घटाएं: 31.3.2010 तक मूल्यह्रास		25,72,826	10,30,817
हस्तगत स्टाम्प			1,44,753
			11,75,570
वर्ष 1.4.2010 की शुरुआत में शेष	57,81,487		
जोड़ें: मूल/पूंजी निधि में अंशदान			128,81,567
	57,81,487		140,57,137
कमी/(घटाया) : शुद्ध आय का शेष/आय एवं			
व्यय लेखा स्थानांतरित (खर्च)	53,37,891		82,75,650
वर्ष के अंत में शेष राशि	111,19,378		57,81,487

अनुसूची 2 - प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

	चालू वर्ष	ग	त वर्ष
1. पूंजी प्रारक्षित निधिः			
पिछले लेखा के अनुसार			
वर्ष के दौरान वृद्धि			
घटाएं: वर्ष के दौरान मूल्यह्रास			
2. सामान्य प्रारक्षित निधिः			
पिछले लेखा के अनुसार			
वर्ष के दौरान वृद्धि			
घटाएं: वर्ष के दौरान मूल्यहास			
कुल	(0

तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई

31-3-2011 को तुलन पत्र के भाग के रूप मे अनुसूचियां

(राशि - ₹)

अनुसूची 3 – निर्धारित/स्थाई निधियां

2,61,128 21,83,141 28,43,324 53,98,955 31,04,452 31,04,452 गत वर्ष 49.90.275 1,37,268 2,71,412 चालू वर्ष 1,11,362 31,04,452 कुल 4,08,660 शुल्क (एल. वेन्नामई हेचरी) 1,20,000 1,60,000 2,80,000 2,80,000 प्रसंस्करण निधिवार ब्यौरा शुल्क (एल. वेन्नामई फार्म) 7,42,332 5,98,642 प्रसंस्करण 13,40,974 13,40,974 33,69,301 37,77,981 1,37,268 2,71,412 14,24,499 22,42,120 1,11,362 4,08,680 फार्म पंजीकरण शुल्क एल. वेन्नामई की समीक्षा कार्यशाला पर खर्च – वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि – फार्मों के निरीक्षण इत्यादि पर यात्रा व्यय वर्ष के अंत में निवल राशि (क+ख+ग) निधियों के लक्ष्यों के लिए उपयोग/व्यय **निधियों में वृद्धिः** i) दान/अनुदान ii) निधियों में निवेश से आय कुल (क + ख) कुल (ग) ट कें केंज निधि का प्रारंभिक शेष – अचल आस्तियां ii) राजस्व व्यय i) पूंजी व्यय – अन्य iii) शुल्क ख **=**

Parinh

¹⁾ प्रकटीकरण अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर सुसंगत शीषों के तहत किया जाएगा

²⁾ केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को पृथक निधियों के रूप में दशीया जाएगा और उन्हें किसी अन्य निधि के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31-3-2011 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण एवं उधार

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्र सरकार		
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
क) सावधि ऋण		
ख) ब्याज अर्जित एवं देय		
4. बैंकः		
क) सावधि ऋण		
– ब्याज अर्जित एवं देय		
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
– ब्याज अर्जित एवं देय		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6. ऋण पत्र एवं बाण्ड		
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल	0	0

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31-3-2011 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण एवं उधार

(राशि - ₹)

		चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	केन्द्र सरकार		
2.	राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)		
3.	वित्त संस्थान		
4.	बैंक:		
	क) सावधि ऋण		
	ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
5.	अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6.	ऋणपत्र एवं बाण्ड		
7.	सावधिक जमा राशियां		
8.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल	0	0

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 6 - आस्थगित क्रेडिट देनदारियां

3 6	चालू वर्ष	गत वर्ष
 पूंजी उपकरण एवं अन्य आस्तियों को बंधक रखकर सुरक्षित ऋण 		
2. अन्य		
कुल	0	0

टिप्पणी : वर्ष के अंदर देय राशि

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31-3-2011 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 7 - वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान

(राशि - ₹)

जनुराता । - परानान पनवारपा १५ प्रापवान				(< < - <)
	चालू	वर्ष	गत	वर्ष
क. वर्तमान देनदारियां				
1. मंजूरियां				
2. विविध लेनदार				
क) वस्तुओं के लिए				
ख) अन्य				
 निष्पादन प्रतिभूति जमा 		1,41,000		1,41,000
क) मैसर्स अक्षय सेल्स, चेन्नई	25,000		25,000	
ख) मैसर्स फॉस इंडिया (प्रा.) लि., मुम्बई	57,000		57,000	
ग) मैसर्स रेंड्स इंस्ट्रुमेंट्स कंपनी, चेन्नई	5,000		5,000	
घ) मैसर्स सिंसेयर ट्रेडर्स, चेन्नई	5,000		5,000	
ङ) मैसर्स समर्थ लेबटेक प्रा. लि.,	44.000		44.000	
हैदराबाद > भैक्क किन्न के न	44,000		44,000	
च) मैसर्स सिस्ट्रॉनिक्स, चेन्नई	5,000		5,000	
4. बयाना जमा:		1,30,530		
क) मेरिट इन्टरप्राइस	20,280			
ख) आर्बिट टेक्नॉलाजिइस	44,250			
ग) मैसर्स सारोटोरियसम प्रा. लि.	4,500			
घ) एस.वी. इन्स्ट्रमेंट अ. प्रा. लि.	61,500			
5. अर्जित परन्तु निम्नलिखित पर देय नहीं:				
क) सुरक्षित ऋण/उधार				
ख) आर्बिट टेक्नॉलाजिइस				

(जारी)

अनुसूची 7 - वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान (जारी)

(राशि - ₹)

36		चाल्	ू वर्ष	गत	वर्ष
7. 3	सांवधिक देनदारियां: क) नई पेंशन योजना (कर्मचारी अंशदान) ख) नई पेंशन योजना (नियोक्ता अंशदान) ा) अंशदायी भविष्य निधि (सदस्य सचिव) ङ) सामान्य भविष्य निधि श्री मानस कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक (टी) श्रीमती दुर्गा, निजी सचिव श्री टी. एस. राव, आशुलिपिक व) सीजीईजीआईएस श्री मानस कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक(टी) श्री टी. एस. राव, आशुलिपिक अन्य वर्तमान देनदारियां क) कंप्यूटर अग्रिम वसूली (श्री मानस कुमार सिन्हा) ख) सामान्य भविष्य निधि अग्रिम वसूली (श्री मानस कुमार सिन्हा) ा) मोटर साइकिल अग्रिम वसूली	0	0 14,496	14,496 13,802 14,000 20,000 10,000 240 120 1,000 8,000	42,794 44,000 360 10,000
	(श्री मानस कुमार सिन्हा) कुल (क)		2,71,530	1,000	2,38,154
2. 5 3. 3 4. 3	_				
	कुल (ख)		0		0
	कुल (क+ ख)		2,71,530		2,38,154



भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडीज रोड, चेन्नई-600006 31-3-2011 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 8 - अचल आस्तियाँ

			ज	सकल ब्लॉक				मूल्यहास	ग्रस		निवल	निवल ब्लॉक
	मुद्ध	वर्ष के	वर्ष के दो	वर्ष के दौरान वृद्धि	\ 	च्यू स्ट		व <u>र्ष</u> के	वर्ष के	व्य भ		
บ เ	स का	प्रारम म लागत / मूल्य निर्धारण	30-09-09 तक	30-09-09 के बाद	वष क दौरान कटौती	अत म लागत मूल्य निर्धारण	वर्ष के प्रारंभ में	दौरान वृद्धि होने प्र	क्षर्ति क्षोने पर	अंत तक कुल जाड़	चालू वर्ष के अंत में	गत वर्ष के अंत में
भूमि	I	0	0	0		0	0	0		0	0	0
संयंत्र एवं मशीनरी	15%	5,93,327	12,24,868	0		18,18,195	44,500	2,66,054		3,10,554	15,07,641	5,48,827
कार्यालय उपकरण	15%	19,21,565	12,272	0		19,33,837	8,19,053	1,67,218		9,86,271	9,47,566	11,02,512
कार	15%	3,30,860	0	0		3,30,860	2,76,742	8,118		2,84,860	46,000	54,188
फर्नीचर एवं जुड़नार	10%	27,80,488	1,12,232	32,920		29,25,640	7,13,160	2,19,602		9,32,762	19,92,878	20,67,328
कंप्यूटर एवं पेरिफ रल्स	%09	13,63,361		3,91,283		17,54,644	6595666	3,38,006		13,33,665	4,20,979	3,67,702
पुस्तकालय पुस्तके	%09	7,68,709	18,442	1,01,916		8,89,067	4,01,748	2,61,817		6,63,565	2,25,502	3,66,961
क. चालू वर्ष का कुल		77,58,310	13,67,814	5,26,119		96,52,243	32,50,862	12,60,815		45,11,677	51,40,566	45,07,448
गत वर्ष												
ख. कार्य-प्रगति की पूंजी											50,46,007	
कुल (क + ख)											1,01,86,573	45,07,448

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31-3-2011 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 9 - निर्धारित/स्थायी निधियों से निवेश

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. ऋणपत्र एवं बाण्ड		
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम		
6. सावधिक जमा राशि से प्राप्तियां (आई ओ बी)	16,11,362	15,00,000
कुल	16,11,362	15,00,000

अनुसूची 10 - निवेश - अन्य

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. ऋणपत्र एवं बाण्ड		
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम		
 अन्य (विनिर्दिष्ट करें) 		
कुल	0	0

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31-3-2011 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 11 - वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि - ₹)

3 3 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			`
	चालू वर्ष	ग्	त वर्ष
 क. वर्तमान परिसम्पत्तियां 1. माल सूची: क) स्टोर एवं अतिरिक्त पुर्जे ख) औजार ग) व्यापारगत स्टॉक - निर्मित वस्तुएं - चालू कार्य - कचा माल 2. विविध देनदार: क) छः माह से अधिक की अविध के लिए 			
बकाया ऋण ख) अन्य 3. रोकड़ शेष (चैक/ड्राफ्ट और पेशगी सहित) 4. बैंक में जमा राशिः क) अनुसूचित बैंकों में: - चालू खातों में (इंडियन ओवरसीज बैंक) - साख पत्र (इसमें मार्जिन राशि भी शामिल है) - बचत खातों में ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में - चालू खातों में - जमा खातों में	40,91,011		3,000 19,05,772 11,21,000
- बचत खातों में 5. डाकघर – बचत खाते 6. हस्तगत स्टाम्प क) स्टाम्प (अंकन मशीन) ख) स्टाम्प (डाक) जोड (क)	25,545 3,080 41,19,636	34,020 22,853	34,020 22,853

(जारी)

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31-3-2011 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 11 - वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पितयां 1. ऋण: क) स्टाफ ख) कंपनी के कार्यकलापों/लक्ष्यों में संलग्न अन्य कंपनियां ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) 2. नकद अथवा वस्तु रूप में अथवा प्राप्य मूल्य के बराबर वसूल की जाने वाले अन्य धनराशि क) श्री टी. एस. राव को कंप्यूटर अग्रिम ख) पूर्व भुगतान (अनुलग्न-1) ग) कर्मचारी वर्ग को त्योहार अग्रिम घ) चिकित्सा अग्रिम (एस. प्रिया आशुलिपिक 'ग') 3. अर्जित आय: क) निर्धारित/स्थाई निधिययों से निवेश पर ख) निवेश पर अन्य ग) ऋण एवं अग्रिम घ) अन्य (वसूल न की गई आय सहित – ₹)	0 4,12,916 21,600 29,096	गत वर्ष
4. प्राप्य दावे जोड (ख)	4,63,612	30,000
जोड (क + ख)	45,83,248	31,16,645

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31-3-2011 को समाप्त अविध वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

अनुसूची 12 - बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. बिक्री से आय		
क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री		
ख) कची सामग्री की बिक्री		
ग) स्क्रेपों की बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
क) मजदूरी एवं प्रसंस्करण प्रभार		
ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं		
ग) एजेंसी की कमीशन ओर दलाली		
घ) रखरखाव सेवाएं (उपस्कर/सम्पत्ति)		
ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़	0	0

अनुसूची 13 - अनुदान/सब्सिडी

(वसूल न किए गए अनुदान एवं प्राप्त सब्सिडी)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्र सरकार	2,45,00,000	75,18,000
2. राज्य सरकार		
3. सरकारी एजेंसियां		
4. संस्थाएं/कल्याणकारी बोर्ड		
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़	2,45,00,000	75,18,000

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31-3-2011 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

अनुसूची 14 - शुल्क/अभिदान

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क अभिदान		
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क		
4. परामर्श शुल्क		
5. परीक्षा शुल्क	0	3,450
6. टेंडर शुल्क	7,500	
7. आरटीआई शुल्क	30	
जोड़	7,530	3,450

टिप्पणी : प्रत्येक मद से संबंधित लेखाकरण नीतियां दर्शायी नहीं जाएंगी।

अनुसूची 15 - निवेश से आय

(निर्धारित/स्थाई निधियों से निवेश पर आय - अन्य निधियों में अंतरण)

		निर्धारित निधि	वें से निवेश	निवेश –	अन्य
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	ब्याज				
	क) सरकारी प्रतिभूमियों पर				
	ख) अन्य बाण्ड/ऋण पत्र				
2.	लाभांश:				
	क) शेयरों पर				
	ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3.	किराया				
4.	इंडियन ओवरसीज बैंक (एफडीआर)	1,11,362	0		
	जोड़	1,11,362	0		
	निर्धारित/स्थाई निधियों में अंतरण	1,11,362	0		

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31-3-2011 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन, आदि से आय

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. रॉयल्टी से आय		
2. प्रकाशनों से आय		
3. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़	0	0

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

	चालू वर्ष	गत वर्ष
 सावधि जमा राशि पर क) अनुसूचित बैंकों में ख) गैर अनुसूचित बैंकों में ग) संस्थाओं में घ) अन्य 		
 बचत खाते पर क) अनुसूचित बैंक में ख) गैर अनुसूचित बैंकों में ग) डाकघर बचत खाता घ) अन्य 	2,21,111	
3. ऋण पर क) कर्मचारी/स्टाफ ग) अन्य	2,070	
4. देनदारों पर ब्याज और अन्य प्राप्य		
जोड़	2,23,181	0

टिप्पणी : स्रोत पर कर की कटौती को दर्शाया जाए

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई-600006

31-3-2011 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

अनुसूची 18- अन्य आय

(राशि - ₹)

		चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	असल आस्तियाँ बिक्री पर आय		
	क) स्वामित्व में ली गई परिसम्पत्तियां		
	ख) अनुदानों के रूप में अर्जित अथवा		
	निःशुल्क प्राप्त की गई परिसम्पत्तिया		
2.	वसूल किया गया निर्यात प्रोत्साहन		
3.	विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
4.	विविध आय (रद्दी कागज़ बिक्री)	1,582	
	जोड़	1,582	0

अनुसूची 19 - निर्मित वस्तुओं के भण्डार और चालू कार्यों में वृद्धि/(कमी)

		चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	अंत भण्डार		
	- निर्मित वस्तुएं		
	- चालू कार्य		
2.	घटाइए – अथ शेष		
	- निर्मित वस्तुएं		
	- चालू कार्य		
	निवेल वृद्धि/(कमी) (क–ख)	0	0

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31-3-2011 को समाप्त अविध वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय

(राशि - ₹)

		चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	वेतन एवं मजदूरी	94,39,742	80,87,126
2.	भत्ते एवं बोनस		
3.	भविष्य निधि मे अंशदान		
4.	अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)		
5.	स्टाफ कल्याण व्यय		
6.	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं टर्मिनल लाभों		
	पर व्यय		
7.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	जोड़	94,39,742	80,87,126

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31-3-2011 को समाप्त अविध वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. विज्ञापन एपं प्रचार	5,69,711	3,98,494
2. प्रकाशन	2,09,746	2,01,432
3. घरेलू यात्रा व्यय	18,98,824	17,09,500
4. चिकित्सा व्यय	87,382	37,500
5. सप्लाई एवं मेटिरियल	230,841	
6. कार्यालय व्यय		
- मरम्मत एवं रख–रखाव (वाहन)	67,220	16,633
- बिजली एवं विद्युत (पावर)	1,36,915	32,614
- किराया, दर और कर	13,20,748	4,50,889
- फोटोस्टेट खर्चे	2,543	1,469
- डाक, टेलीफ़ोन और संचार प्रभार	2,77,374	99,880
- मुद्रण एवं स्टेशनरी	3,99,947	1,05,513
- जल प्रभार	21,610	3,853
- पुस्तकालय संबंधी खर्चे	3,902	2,375
- वर्दी (यूनिफार्म्)	1,268	2,228
- टेलीफोेन् खर्च	2,03,230	50,817
- व्यावसायिक प्रभार	4,96,710	1,02,581
- वाहन् भांडा प्रभार	9,97,946	4,34,893
- बैठकों में खर्च	1,57,045	31,16,019
- टेलीफान एवं मोबाइल प्रतिपूर्ति खर्च	55,759	17,077
- विविधि व्यय	2,25,028	50,198
- सेमीनार ्र कार्यशाला ्र प्रशिक्षण खर्च	5,05,422	500
- अन्य संविदात्मक सेवा	6,39,004	1,76,102
- वेबसाईट रख–रखाव प्रभार	63,422	0
- वार्षिक रख–रखाव खर्च		
(ए.सी., कम्प्यूटर, कार्यालय उपकरण इत्यादि)	1,18,664	0
- वार्षिक पी.आर.ए.रख–रखाव प्रभार (एनएसडीएल)	2,219	0
- बैंक प्रभार	1,365	6,481
जोड़	86,93,845	70,31,938

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31-3-2011 को समाप्त अविध वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

अनुसूची 22 - अनुदानों, सब्सिडियों आदि पर व्यय

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		
2. संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडियां		
जोड़	0	0

टिप्पणी : कम्पनियों और उनके क्रियाकलापों के नाम अनुदान/सब्सिडियों की राशि सहित व्यक्त किए जाएं।

अनुसूची 23 - ब्याज

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सावधि ऋणों पर		
2. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		
3. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़	0	0

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई-600006

अनुसूची-24

लेखा नीति

1. लेखा समझौता

सामान्य स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), आईसीएआई द्वारा जारी अनिवार्य रूप से लागू लेखा मानक (एएस) और सीजीए द्वारा निर्धारित केंद्रीय स्वयत्त निकायों के लिए संबंधित प्रस्तुतीकरण आवश्यकताओं के अनुसार ऐतिहासिक लागत समझौते के अंतर्गत वित्तीय विवरण तैयार किए गए है। प्राधिकरण द्वारा अन्यथा उल्लेख न किए जाने के अलावा व्यय और आय के सभी मदों के लिए उपचय लेखा प्रक्रिया अपनाइ जाती है।

2. नियत परिसंपत्तियां

- (क) विधिवत निरीक्षण के बाद भार लेने के बाद ही नियत परिसंपत्तियों का लेखा-जोखा तैयार किया जाता है।
- (ख) नियत परिसंपत्तियों को संचित मूल्यहास को कम करके बताया जाता है जिसमें खरीद मूल्य, मालभाड़ा, सीमा शुल्क और कर या परिसंपत्ति को इसके प्रयोजन के लिए कार्यकरण स्थल तक लाने के लिए किसी प्रकार का खर्च शामिल है। चुने गए नियत परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण से संबंधित वित्त पोषण लागत को भी शामिल किया जाता है उस समयावधि के लिए जब तक ऐसे परिसंपत्ति उनके प्रयोग करने के स्थान तक पहुंच नहीं जाती है।
- (ग) पूर्व जलकृषि प्राधिकरण के नियत परिसंपत्तियों को भी मूल्यह्रास लागत को घटाकर लेखाबद्ध किया गया है जो मूल्य निर्धारित परिसंपत्ति के लिए सीएए द्वारा खरीदने से अधिग्रहण करने की अविध के लिए होती है। मूल्य निर्धारित नहीं की गई परिसंपत्तियों की स्थिति में, सीएए के लेखों के खाते में प्रयोग करने के लिए 1/-रुपए के कल्पित मूल्य पर विचार किया जाता है।
- (घ) गैर-आर्थिक अनुदानों द्वारा प्राप्त नियत परिसंपत्तियों को प्राधिकरण के खाते में निर्धारित परिसंपत्ति के रूप में रखा जाएगा। अनुदान-सहायता द्वारा तैयार परिसंपत्तियों की लागत पूंजीगत कोष के

खाते में डाला जाएगा। इन परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को भी आय कर अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित दर पर परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवनकाल के लिए लागू होगा और इसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाएगी।

3. मूल्यहास

- (क) आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यह्रास बट्टे खाते मूल्य प्रक्रिया से प्रदान किया जाएगा।
- (ख) वर्ष के दौरान निर्धारित परिसंपत्तियों को जोड़ने/घटाने के संबंध में, वित्तीय वर्ष के प्रथम भाग में खरीदे गए परिसंपत्तियों पर आयकर अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर संपूर्ण मूल्यह्रास लागू होगा और वित्तीय वर्ष के दूसरे भाग में खरीदे गए परिसंपत्तियों पर 50% तक का मूल्यह्रास होगा।
- (ग) 5000/-रुपए या इससे कम लागत के निर्धारित परिसंपत्तियों की प्रत्येक वस्तु का खरीद वर्ष में मूल्यहास होगा।

4. पट्टा/किराया

पट्टे के नियम एवं शर्तों के अनुसार पट्टा/किराया भाड़े को व्यय के रूप में माना जाएगा।

खराब परिसंपत्तियां

किसी परिसंपत्ति को खराब तब माना जाएगा जब उसको चलाने की लागत उसकी अपनी मूल्य से अधिक हो। खराब हानि को उस वर्ष के लिए आय और व्यय विवरण में डाला जाये जिसमें परिसंपत्ति को खराब माना गया है। खराब हानि मान्य या वापस पाने योग्य राशि है।

6. सरकारी अनुदान/राजसहायता

पूंजीगत व्यय यानि सहायता–अनुदान द्वारा तैयार मूल्यहास हुई परिसंपत्ति की लागत को पूंजीगत कोष खाते में जमा किया जाएगा। सहायता–अनुदान से हुए राजस्व व्यय को आय और व्यय खाते से निकाला जाएगा। व्यय से अधिक अनुदान को वर्ष के अंत में पूंजीगत कोष खाते में जमा करा दिया जाएगा।

7. सेवा निवृत्ति लाभ

(क) नई पेंशन योजना में वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा जमा/जमा करने योग्य अंशदान को आय और व्यय विवरण में दर्शाया जाएगा। (ख) उपदान से संबंधित देयताओं को, जिसे प्रति वर्ष, वर्ष के अंत तक बीमांकक मूल्य पर निकाला जाता है और इसे अलग से प्रदान तथा वित्तपोषित किया जाएगा।

8. कर

प्राधिकरण अपने धन, आय, प्राप्तियों से लाभ से संबंधित धन कर, आय कर, सेवा कर, सीएसटी या किसी अन्य कर के लिए संघ/राज्य को भुगतान करने के लिए पात्र नहीं है। अतः चालू और आस्थिगत आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

परिमाण में व्यापक मात्रा के अनुमान के प्रावधान को रखा गया है जहां पर विगत किसी मसले के परिणाम स्वरूप कोई मौजूदा दायित्व है और यह भी संभावित है कि संसाधन का प्रवार हो। आकस्मिक देयताओं को दर्शाया नहीं गया है परंतु लेखों में अंश के रूप में नोट में दर्शाया जाता है।

10. आय और व्यय

वर्ष के सभी आय और व्यय को, सिवाय उनके जिन्हें इस पैरा में विनिर्दिष्ट किया गया है, लेखों के विनिर्दिष्ट सीधे शीर्षों के अंतर्गत बीमांकक आधार पर जमा किए जाते है:-

- (क) विगत वर्ष का आय या व्यय, जो प्रावधान बनाने में हुई गलती/एक या इससे अधिक बार देयता सृजित करने से हुई है, पूर्ण अविध समायोजन खाते के अंतर्गत डाला जाएगा।
- (ख) यदि वास्तविक व्यय या आय तैयार देयता/व्यय के आधार पर प्रावधान से अधिक हो तो, इसे रोकड के आधार पर डाला जाता है।
- (ग) वार्षिक लेखा और असाधारण मदों को अंतिम रूप देने की तारीख के बाद लिए गए निर्णय से, यदि कोई जिसका भूतलक्षी प्रभाव हो प्राधिकरण को हुई आय/व्यय, को रोकड़ आधार पर डाला जाएगा।
- (घ) तुलन पत्र और/या आय और व्यय लेखा में लेखा प्रक्रिया और प्रकट करने के तरीके का पता लगाने के लिए, वस्तुतः सिद्धांत पर विचार किया जाता है और अतः प्रत्येक मामले में 1000 रुपए तक के पूर्व भुगतान/पूर्व अविध वस्तुओं को रोकड़ आधार पर स्वाभाविक शीर्ष के लिए माना जाएगा।

11. राजस्व

- (क) प्राधिकरण को डीएलसी/सीएलसी द्वारा फार्मों के पंजीकरण के लिए एकत्रित शुल्क डीएलसी/ सीएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा लिटोपेनस वेन्नमई फार्मों और हैचिरयों से प्रक्रम शुल्क एकत्रित किया जाता है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार, इस शुल्क को प्राप्ति के वर्ष में प्राधिकरण के लिए आवंटित/अक्षय निधि में डाला जाएगा और विशिष्ट या निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु प्राधिकरण द्वारा रखा जाएगा।
- (ख) शेष राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए रोकड़ आधार पर ब्याज आय को रखा जाएगा।
- (ग) निर्धारित/स्थायी निधियों से निवेश से अर्जित ब्याज को निर्धारित/स्थायी निधियों में जोडा जाएगा तथा उसका भी उपयोग विशिष्ट प्रायोजन हेतु किया जाएगा ।

12. अलग प्रकटन

निम्नलिखित के लिए आय और व्यय खाते में अलग प्रकटन किए जाते है:

- (क) एक या इससे अधिक अविध में वित्तीय विवरण तैयार करने में हुई गलतियों के परिणामस्वरूप चालू अविध में हुई गलती या व्यय के परिणामस्वरूप चालू अविध में आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल करने वाले पूर्व अविध मदें।
- (ख) असाधारण मदें, जो अस्तित्व के साधारण गतिविधियों से स्पष्टतः अलग है और जो परिस्थितियों या लेन-देन से होने वाले आय या व्यय के वस्तुतः मदों से है।
- (ग) विविध आय शीर्ष के अंतर्गत कोई भी वस्तु जो 50,000/ रुपए से अधिक है तथा आय और व्यय लेखों में उपयुक्त लेखा शीर्ष में दर्शाए जाते है।

ह/-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ह/-सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

अनुसूची - 25

आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणियां

आकस्मिक देयता

31 मार्च, 2011 को आकस्मिक देयता का कोई मामला नहीं है।

नियत परिसंपत्तियां

पूर्व के जलकृषि प्राधिकरण की नियत परिसंपत्ति को मूल्य ज्ञात परिसंपत्तियों के लिए सीएए द्वारा खरीददारी की तारीख से अधिकार में लेने की तारीख की अवधि के लिए लागत रहित मूल्य ह्वास को भी ध्यान में रखा गया था। मूल्य अज्ञात परिसंपत्तियों के मामले में सीएए के लेखों की पुस्तिकाओं में पंजीकृत करने के लिए कल्पित मूल 1/- रुपए माना जाता है। आयकर नियमों में निर्धारित दर पर सभी परिसंपत्तियों के मूल्य ह्वास को वित्त वर्ष 2010-11 के आयकर और व्यय लेखा के लिए संगठित और प्रभारित किए गए है। आयकर अधिनियम के अनुसार पुस्तकालय की पुस्तकों को 60% की दर से मूल्य ह्वासित किया गया है।

चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम

प्राधिकरण ने डाकघर से फ्रैकिंग मशीन लिया है और इसे एकमुश्त राशि के लिए टिकटों से भर दिया गया है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने डाकघर से सरकारी डाक टिकट खरीदा है, इसके लिए अदा की गई राशि को स्टांप इन हैंड के रूप में दर्शाया गया है। टिकट की दैनिक खपत के लिए रखे जा रहे रजिस्टर के आधार पर टिकटों पर खर्च किए गए कुल व्यय को वार्षिक आधार पर स्टांप इन हैंड के समरूप क्रेडिट द्वारा संबंधित व्यय शीर्ष में डेबिट कर दिया जाता है। 31 मार्च, 2011 को 28,625/- रुपए की राशि का स्टांप इन हैंड था। दैनिक प्रकृति के व्यय के वहन के लिए 3,000/- रुपए की अग्रदाय राशि डीडीओ को संस्वीकृत कर दी गई है।

चालू देयताएं

2,71,530/- रुपए का प्रतिभूति जमा कार्यनिष्पादन गारंटी के रूप में वारंटी अविध पूर्ण होने तक जमा रखा गया है।

कराधान

प्राधिकरण अपने संपत्ति, आय, लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर अथवा अन्य किसी भी प्रकार का कर का देनदार नहीं है। अतः चालू और अस्थिगत आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

सरकारी अनुदान/ एकत्र शुल्क

पूंजीगत व्यय यानि सहायता अनुदान में से बनाई गई अवक्षय योग्य परिसंपत्ति की लागत को पूंजीगत कोष खाते में क्रेडिट किया जाता है। सहायता अनुदान में से किए गए राजस्व व्यय को आय और व्यय खाते में डेबिट किया जाएगा। व्यय के ऊपर अनुदान की अधिकता को 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के अंत में पूंजीगत लागत खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

प्राधिकरण को सीएए और डीएलसी/एसएलसी के बीच 70:30 के अनुपात में हिस्सेदारी से डीएलसी/ एसएलसी द्वारा फार्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा प्राधिकरण एलवी फार्मों और हैचरियों के लिए प्रसंस्करण फीस प्राप्त कर रहा है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार शुल्क को प्राप्ति वर्ष में प्राधिकरण के विशेष रूप से इयरमार्क्ड/इन्डाउमेंट फंड के रूप में खाते में रखा जाता है और इसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट और इअरमार्क्ड प्रयोजनों में उपयोग के लिए रखा जाता है। इस वर्ष निर्धारित/स्थायी निधियों में जमा राशी से 2,71,412/- रुपये भारत में एसपीएफ एल. वेन्नामई के लिये 27.8.2010 को आयोगित समीक्षा कार्यशाला हेतु उपयोग लिये गए व 1,37,218/- रुपये का यात्रा व्यय फार्म तथा हैचरियों के निरीक्षण हेतु उपयोग में लिया गया।

विगत वर्ष के आंकड़े

स्वायत्त निकायों के लिए कैग द्वारा किए गए लेखागत प्रक्रिया, इसमें संलग्न विभिन्न अनुसूची के साथ तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्ति और भुगतान लेखा में विगत वर्ष के आंकड़ें दर्शाने के लिए विनिर्दिष्ट करता है।

ह/-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-सदस्य सचिव



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) तमिलनाडु एवं पुदुचेरी लेखा परीक्षा भवन 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (CIVIL AUDIT)

Tamil Nadu & Puducherry, "LEKHA PARIKSHA BHAVAN" 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

सीएबी/I/28-125/2011-12/153

Received

Dated: 23-12-2011

सेवा में,

कृषि मंत्रालय पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली-110 001. 28 12 201 STATE OF LOUIS THE POLICE OF LIGHT OF LOUIS THE POLICE O

महोदय,

विषय:- तटीय जलकृषि प्राधिकरण,चैन्नई के वर्ष 2010-11 के लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

मुझे एतद्द्वारा तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चैन्नई के वर्ष 2010-11 के लेखों की एक पृथक रिपोर्ट वर्ष 2010-11 की लेखा विवरणी के साथ प्रस्तुत करने का निदेश हुआ है ।

संसद को प्रस्तुत वर्ष 2010-11 की रिपोर्ट की तीन प्रतियां भी यथा समय भेज दें । कृपया संलग्नकों सहित इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,

ह./−

उप महालेखा पाल/आईएससी-II

Sho super

दूरभाष / Phone : 2431 6400, 2431 6401, 2431 6402

2431 6403, 2431 6404, 2431 6405

तार / Telegram : "AUDITONE" Chennai

फैक्स / Fax : 044 - 2433 0012

तार / E-mail: pagciviltnp@bsnl.in

प्रति प्रमाणित लेखो की प्रति, संसद सदस्य, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चैन्नई 600006 को प्रेषित लेखा परीक्षा की प्रति सहित। उनसे अनुरोध है कि लेखा परीक्षा के हिन्दी रूपान्तरण की तीन प्रतियां तथा वार्षिक रिपोर्ट की तीन प्रतियां यथाशीध्र भेज दें।

उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वर्ष 2010-11 के लेखो को संसद में प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें।

उप महालेखा पाल/आईएससी-II

अनुबंध-V

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हम लोगों ने लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के (सेवा के कर्तव्य, शक्ति और शर्त) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के तहत तटीय जलकृषि प्राधिकरण के 31 मार्च 2011 के लिए संलग्न तुलन-पत्र (बैलेंस सीट) और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा की परीक्षा की। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय लेखों पर अपनी राय देना है।

- इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उत्कृष्ट लेखा व्यवहार की अनुरूपता, वर्गीकरण और डिसकुलोजर मानकों, आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ हैं । विधि, नियम और शर्तें और कार्यक्षमता-कार्यनिष्पादन संबंधी पहलुओं आदि, यदि कोई हो, से संबंधित वित्तीय लेनदेन के संबंध में लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ निरीक्षण रिपोर्ट/कैंग की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से पृथक रूप से बताई जाती है।
- 3. हम लोगों ने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा किया है। इन मानकों के तहत् हम लोग इस विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा विनियोजित और निष्पादित करते हैं कि वित्तीय विवरण मेटेरियल मिसस्टेटमेंट से मुक्त है अथवा नहीं। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण में राशि और डिसकुलोजर को सपोर्ट करने वाले साक्ष्य के आधार पर परीक्षा किया जाता है। लेखा परीक्षा में प्रयोग किये गये लेखा सिद्धांतों का आंकलन और प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण आंकलन और वित्तीय विवरण के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करेगी।
- 4 अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क) हमने अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक संपूर्ण जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।
 - ख) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन-और आय और ट्रयय लेखा/और भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूर प्रारूप में रखा गया है।
 - ग) हमारी राय में लेखे की उचित पुस्तकों और अन्य संबंधित रिकॉर्ड के संबंध में हमारी जांच से यह पता लगता है कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई ने प्राधिकरण के नियम और विनियम के अनुसार इन पुस्तकों का रखरखाव किया है।

iv) हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) आय और व्यय लेखा

लेखा का न्यूनोक्ति

तटीय जल कृषि प्राधिकरण नियम के नियम 15 के अनुसार प्राधिकरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष से जुड़े सभी प्राप्ति और व्यय का हिसाब-रखना होगा। तथापि लेखे से जिला स्तीय समितियों से प्राप्त योग्य प्राधिकरण का केवल 30 प्रतिशत हिस्सा ही प्रदर्शित होता है। 2010-11 तक एकत्र वास्तविक पंजीकरण शुल्क ₹ 78,54,254 था, जबिक 31-03-2011 तक प्राधिकरण के पास लेखाबद्ध प्राप्ति ₹ 50,26,465 थी।

वार्षिक लेखे में प्राधिकरण की संपूर्ण प्राप्ति को लेखाबद्ध न किये जाने के कारण ₹ 28,27,789 के आय की न्यूनोक्ति हुई है।

(ख) सामान्य

प्रोद्भवन प्रणाली के तहत् लेखों का रखरखाव नहीं

लेखे के प्रोद्भवन प्रणाली के तहत् लेखें तैयार नहीं किए गये, जैसा कि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा संबंधी एक रूप प्रारूप में आवश्यक है।

प्रोद्भवन आधार के तहत लेखों के रखरखाव न होने के कारण डी.सी.एस.सी.से प्राप्ति योग्य पंजीकरण शुल्क की तीस प्रतिशत हिस्सेदारी प्राधिकरण के लेखे में नहीं दिखाई गयी।

(ग) सहायता-अनुदान

वर्ष 20.10-11 के दौरान प्राप्त ₹ 2.68 करोड़ (आयोजना : 2.45 और आंतरिक प्राप्ति: 0.23 करोड़) में से, और विगत वर्ष के ₹ 0.31 करोड़ की खर्च न होने से शेष बची राशि में से प्राधिकरण ने 31 मार्च 2011 तक ₹ 2.99 करोड. उपयोग में ला सकी,जबिक ₹ 0.003 करोड़ की राशि बच गयी।

- v) विगत पैराग्राफ में हमारी टिप्पणी के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन-पत्र और आय और व्यय लेखा/ प्राप्ति और भूगतान लेखा से संबंधित लेखा पुस्तकों से हम सहमत हैं।
- vi) हमारी राय में हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गयी जानकारी के आधार पर उक्त वित्तीय विवरण एकाउंटिंग नीतियों और नोट्स ऑफ एकाउंट्स के अनुरूप हैं और उक्त में वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में वर्णित मामलों के अधीन है और ये भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूपता की दृष्टि से सत्य और स्वच्छ हैं।
 - क) यह तुलन-पत्र तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई से 31 मार्च 2011 से संबंधित है ; और
 - ख) यह उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखे के अधिशेष से संबंधित है।

कृते और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

रुथान : चेन्नई

तिथि : 23.12.2011

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा)

तमिलनाडु और पुदुचेरी

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :

प्राधिकरण के पास कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है जिसके कारण आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का को आंकलन या समीक्षा नहीं है। लेखा परीक्षा में एकाउंटिंग रिकॉर्डों के पूर्णत: और उसकी परिशुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

संगठन के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभाव है।

3 स्थाई परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन :

2011-11 तक स्थाई परिसंपत्तियों का वास्तविक का वास्तविक सत्यापन किया जा चुका है।

4 वैधानिक बकायों के भुगतान में नियमितता:

प्राधिकरण उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ आयकर और सेवाकर जमा कराने में नियमित है।

लेखा परीक्षा अधिकारी

Inalhe. m. J. 3/12/11

सहायता अनुदान

(एस.ए.आर. की टिप्पणी संख्या 4सी का संदर्भ ले)

वर्ष के दौरान सहायता अनुदान की प्राप्ति और उनके उपयोग से संबंधित परियोजनावार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

रुपये में

क्र. सं.	परियोजना के लिए प्राप्त सहायता अनुदान अथवा सामान्य अनुदान	विगत वर्ष से अग्रेषित	वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान	प्राप्त सहायता अनुदान	वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई अनुदान राशि	31.03.2010 को अगले वर्ष में अग्रेषित	1 परियोजना की लक्षित तिथि 2 बिलम्ब आदि पर लेखा परीक्षा टिप्पणी
1	योजना	-	-	-	-	-	-
2	आयोजना	30,174	2,45,00,000	2,45,30,174	2,45,00,000	30,174	-
3	आंतरिक प्राप्ति	31,04,452	22,94,503	53,98,955	*53,98,955	-	-
	कुल	31,34,626	2,67,94,503	2,99,29,129	2,98,98,955	30,174	-

अांतरिक प्राप्ति में से वर्ष के दौरान उपयोग की गयी राशि में एन्डाउमेंट फंड में ट्रांसफर की गयी ₹49,90,275 की राशि शामिल है।

लेखा परीक्षा अधिकारी

अनुबंध-VI

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण,चेन्नई के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग आडिट रिपोर्ट के लिए उत्तर

1 प्रस्तावना

नियंत्रक एवं महालेखाकर (कर्तव्य, शक्ति और सेवा नियम)अधिनियम, 1971 की धारा 10(2) के अन्तर्गत हमने संलग्न किए गए 31 मार्च, 2011 को तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त हुए उस वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के लिए प्राधिकरण प्रबन्धन उत्तरदायी होंगे। हमारा उत्तरादायित्व है कि हम लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी व्यक्त करें।

- 2 इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट मे वर्गीकरण, अनुरूपता के साथ सर्वोत्तम लेखा प्रणालियों, लेखा मानकों और प्रकटन मानकों इत्यादि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियम एवं विनियमनों (और नियमित करना) का अनुपालन करते हुए वित्तीय लेनदेनों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों और कार्यकुशलता-कार्यीनिष्पादन पहलू इत्यादि की जानकारी यदि कोई हो, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/के लेखा परीक्षा रिपोर्टों के जरिए दी जाती है।
- 3 हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना और इसे कुछ इस प्रकार करें तािक यह आश्वासन मिल सके कि सभी वित्तीय विवरण वस्तुतः असंगतियों से मुक्त हैं। एक लेखा परीक्षा में शािमल है जाँच, परीक्षण आधार पर, वित्तीय विवरणों में बताई गई रािश को दर्शाने वाले प्रमाण। किसी लेखा परीक्षा में लेखा नियमों का मूल्यांकन और प्रबन्धन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों, के साथ-वित्तीय विवरणों का संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शािमल है। हम यह विश्वास रखते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा में हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार पर मौजूद है।
- 4 हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि:
 - i) हमने लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारी विश्वास एवं जानकारी के अनुसार आवश्यक सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है।
 - ii) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति और व्यय को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किया गया है ।
 - iii)हमारी राय में, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई द्वारा बही खाते और अन्य संबंधित रिकार्ड सही प्रकार बनाए गए है जैसािक प्राधिकरण के नियम एवं विनियमों के अनुसार अपेक्षित है, जो इन खातों की जांच करने प्रतीत होता है।

iv) हम आगे रिपोर्ट करते है कि:

लेखा परीक्षा टिप्पणी

उत्तर/टिप्पणियां

क. आय और व्यय लेखा मौजूदा परिसम्पत्तियों का कम अंकन

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा प्रदुयेक वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा रखना अपेक्षित है। तथापि, लेखों में प्राधिकरण के हिस्से में मात्र 30% दर्शाया गया है जो डीएलसी से प्राप्त होने योग्य है। 2010–11 तक एकत्रित वास्तविक पंजीकरण शुल्क 78,54,254 रूपए है, जबिक प्राधिकरण ने 31.03.2011 तक प्राप्तियों को लेखे में 50,26,465 रूपए तक दर्शाया है।

प्राधिकरण के वार्षिक लेखों में संपूर्ण प्राप्तियों को नहीं दर्शाए जाने के कारण आय को 28,27,789 रुपए कम दर्शाया गया है। जिला स्तरीय समिति (डीएनसी) तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) का एक अंश है, चूंकि दोनों डीएलसी और एसएलसी तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत बने तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 (नियम 9(1) और 9(4) के अनुसार स्थापित किए गए हैं।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 13 की उप धारा (4)द्वारा गठित तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम 9(3) के अनुसार पंजीकरण के लिए शुल्क को प्राधिकरण द्वारा गठित डीएलसी के सदस्य संयोजक के पास भुगतान किया जाए।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने अपनी 17 वीं बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

क. 17.04.01 यह निश्चय किया गया था कि डीएलसी द्वारा एकत्रित पंजीकृत शुल्क को डीएलसी/और सीएए द्वारा 70:30 के अनुपात से लिया जाए। सीएए के हिस्से का 30% छह महीने में एक बार डिमांड ड्राफ्ट के जिरए डीएलसी द्वारा सीएए को प्रेषित किया जाए।

क. 17.04.02 यह भी निश्चय किया गया था कि डीएलसी को उनके संबंधित जिले के "तटीय जलकृषि प्राधिकरण जिला स्तरीय समिति" के नाम से एक संयुक्त खाता खोलने के लिए सुझाव दिया गया है और इस खाते को कलक्टर के नामिती और जिला मात्स्यिकी अधिकारी के नाम से संयुक्त रूप से रखा जाएगा।

क.17.04.03 यह निर्णय लिया गया था कि डीएलसी द्वारा सीएए को मासिक जमा और शेष राशि को दर्शाने वाला विवरण वर्ष में दो बार भेजा जाए।

चूंकि डीएलसी/आवेदनों का प्रक्रम, फार्मों का निरीक्षण, नमूना एकत्रिकरण उ और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित पुस्तिकाएं/पैमफलेट का अनुवाद कार्य द्वारा आबंटित अनुय क्रियाकलापों में संलग् उनके द्वारा लिया जाता है। 70 प्रतिशत शुल्क का उपयोग करने मानदण्ड भी सीएए द्वारा तय किया गया प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार तटीय क को शुल्क 30% प्राप्त होता है और व के लेखा खातों में इसे शामिल किया गय					
मानदण्ड भी सीएए द्वारा तय किया गया प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार तटीय ज को शुल्क 30% प्राप्त होता है और व के लेखा खातों में इसे शामिल किया गय	और परीक्षण बैठक त करना, विस्तार इत्यादि और सीएए				
को शुल्क 30% प्राप्त होता है और व के लेखा खातों में इसे शामिल किया गय					
	वर्ष के दौरान सीएए				
ख. सामान्य					
उपार्जन प्रणाली के तहत लेखों का रखरखाव किया जाना					

गया है जैसाकि वित्त मंत्रालय द्वारा विहित एकसमान लेखा प्रपत्र में अपेक्षित है।

उपार्जन के आधार पर लेखों का रखरखाव न होने के कारण डीएलसी/एसएलसी से प्राप्त होने वाले पंजीकरण शुल्क के 30 प्रतिशत हिस्से को प्राधिकरण के खातों में शामिल नहीं किया गया है।

लेखों को लेखाकरण की उपार्जन | जैसाकि 'क' में उत्तर दिया गया है पंजीकरण शुल्क की प्रणाली के तहत तैयार नहीं किया राशि को उपार्जन के आधार पर शामिल नहीं किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा टिप्पणी	उत्तर/टिप्पणियां
ग. अनुदान सहायता	
वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त की गई 2.68 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता (गैर योजना: 2.45 और आन्तरिक प्राप्तियां: 0.23 करोड़ रुपए) और पिछले वर्ष की खर्च न की गई 0.31 करोड़ रुपए की शेष राशि में से प्राधिकरण 2.99 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग नहीं कर सका जिससे 31 मार्च, 2011 को 0.03 करोड़ रुपए की राशि शेष बच गई।	बताई गई 30,174 रुपए की उपयोग न की गई राशि 7 अक्तूबर, 2011 को ही मंत्रालय को वापस कर दी गई है।

- v) विगत पैराग्राफों में हमारी टिप्पिण्यों के अधीन हम यह सूचित करते हैं कि तुलन-तथा आय एवं व्यय लेखा/एवं भुगतान लेखा जिन पर इस रिपोर्ट द्वारा कार्रवाई की जाती है, खाता बहियों के अनुरूप है।
- vi) हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाकरण की नीतियों तथा लेखा टिप्पणियों के साथ पठित वित्तीय तथा बताए गए मामलों और इस लेखा परीक्षा के साथ संलग्न अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन उक्त वित्तीय विवरणियां भारत में सामान्य रूप से मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा वास्तविक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।
 - क. जहां तक इसका संबंध तटीय जलकृषि प्राधिकरण,चैन्नई के 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तैयार किए गए तुलन-पत्र से है; और
 - ख. जहां तक इसका संबंध इस तारीख को समाप्त वर्ष की अधिशेष राशि के आय एवं व्यय लेखे से है।

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2010-11 से संलग्न अनुबंध के संबंध में उत्तर

	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	उत्तर/टिप्पणी
1.	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता:	
	प्राधिकरण की कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं है जिस कारण आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों का कोई मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण नहीं होता। लेखा परीक्षा में लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता तथा पूर्णता सुनिश्चित नहीं की जा सकी है।	आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली के लिए कोई प्रावधान अथवा नियम नहीं है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 20(3)के अनुसार इस कार्यालय के लेखों की लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण द्वारा की जाती है।
2.	आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता:	
	संगठन में उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभाव है।	सभी खर्च तथा भुगतान इनके लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही किए जाते है। समस्त खरीद सभी कोडल औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही की जाती है।
3.	चल परिसमात्तियों का वासुतविक सत्यापन:	
	चल परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन वर्ष 2010-11 तक किया गया था।	
4.	सांविधिक देयराशि के भुगतान में विनियमितता: प्राधिकरण नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों में आय कर तथा सेवा कर जमा करता है।	



Annual Report 2010 - 2011

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY



Government of India

Ministry of Agriculture 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe Chennai - 600 006, Tamil Nadu

Tel.: 91-44-28213785, 28216552 Fax: 044-28216552 E-mail: aquaauth@vsnl.net website: www.caa.gov.in

डी न्यायमूर्ति ए.के. राजन अध्यक्ष

Dr. Justice A.K. RAJAN

CHAIRMAN

दूरभाष / Phone : (O) +91 44 2823 4672 (R) +91 44 2622 3322

फेक्स / Fax : +91 44 2821 6552 ई-मेइल / e-mail : aquaauth@vsnl.net विश्व तेष्ट / website : http://www.caa.gov.in



तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार. कृषि मंत्रालय शास्त्री भवन अनेक्स. दूसरी मंजिल सं. 26, हडोस रोड. चेन्नै-600006, तमिलनाइ, भारत.

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY Government of India, Ministry of Agriculture Shastri Bhavan Annexe, 2" Floor, No. 26, Haddows Road, Chennai - 600 006. Tamilnadu, INDIA.

PREFACE

The Coastal Aquaculture Authority (CAA) was established in December, 2005. The objectives of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 are to regulate all aquaculture activities in the coastal areas, ensuring development of aquaculture and sustaining coastal environment. Coastal areas are notified by the Central Government. Varieties of species of shrimps, fishes, crabs, molluscs etc., are cultured in the coastal areas. The 'black tiger' shrimp (*Penaeus monodon*) culture contributes to the bulk of the coastal aquaculture production in the country. But, there was a gradual decline in the culture area and consequently in production, due to recurring uncontrollable viral diseases. Under these circumstances, Government of India paved way for revitalizing the shrimp culture. The introduction of a disease free SPF *Litopenaeus vannamei*, resulted in substantial increase in the production of shrimps during the year 2010-11. This is also reflected in the increase in the export of shrimp, resulting in considerable increase in foreign exchange earnings. The introduction of SPF *L. vannamei* also paved way for revival of a large number of abandoned shrimp farms, especially in the state of Andhra Pradesh.

The CAA grants approvals, for import of SPF *L. vannamei* broodstock and the seed production in biosecured hatcheries and also for farming of SPF *L. vannamei* in biosecured farms. It also regularly conducts inspections of the farms and the hatcheries and monitor to ensure the quality of waste waters discharged from the Effluent Treatment System, conforms to the standards prescribed by CAA.

These acts of CAA play a significant role in attaining optimum progress, particularly in the context of a complex coast line, with varied ecosystems and multi-dimensional user groups. Thus, the CAA, carries on the crucial task of enforcing the Coastal Aquaculture Authority Act,

Rules and Regulations. The aquaculture activities need to be further streamlined and expanded for overall improvement.

With the active support of the Ministry of Agriculture, Government of India, the Authority will continue its endeavor to accomplish the task entrusted.

(Dr. Justice A.K. Rajan)

Chairman

I. Composition, Operational Goals and Objectives of the Authority

The Coastal Aquaculture Authority (CAA), established under the Coastal Aquaculture Authority Act 2005 is carrying out the functions of regulating the entire activities connected with coastal aquaculture in saline and brackish waters within two kilometers from High Tide Line, since its inception in December, 2005 in order to ensure sustainable development without causing damage to the coastal environment.

1. Composition of the Authority during 2010 –2011

- (i) **Dr Justice A K Rajan** ... Chairperson Retired Judge of the Madras High Court (Retired / Sitting judge of the High Court)
- (ii) Dr A G Ponniah ... Member
 Director, Central Institute of
 Brackishwater Aquaculture, Chennai
 (Expert in the field of Coastal Aquaculture)
- (iii) Shri P Madeswaran ... Member
 Ministry of Earth Sciences, Govt. of India
 (Expert in the field of Coastal Ecology)
- (iv) **Dr D D Basu** ... Member Central Pollution Control Board (Expert in the field of Environment Protection / Pollution)
- (v) Shri Tarun Shridhar, IAS ... Member Joint Secretary (Fisheries)
 Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (Representative of the Ministry of Agriculture, Govt. of India)
- (vi) Ms Leena Nair, IAS ... Member
 Chairman, The Marine Products
 Export Development Authority
 (Representative of the Ministry of Commerce, Govt. of India)
- (vii) Shri Satyabrata Sahu, IAS

 Principal Secretary, Dept. of Fisheries &

 Animal Resources Department

 Govt. of Orissa

 (Representative of Orissa State)

 (Shri G Mohan Kumar, IAS till June, 2010)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

(viii) Shri Jyothi Lal, IAS

... Member

Secretary (Transport & Fisheries) Govt. of Kerala (Representative of Kerala State)

(ix) Shri A S Dagar, IAS

Development Commissioner, Department of Agriculture, ... Member Fisheries, Animal Husbandry & Veterinary Services UT Administration of Andaman & Nicobar Islands (Representative of UT of Andaman & Nicobar Islands) (Shri Tapan Mondal, IAS – till January 2011)

(x) Shri Pitambar M Tandel

Member

Karwar, Karnataka (Representative of Karnataka State)

(xi) Dr R Paul Raj

Member Secretary

(Member appointed by the Central Government)

2. Aims & Objectives of the Authority

The objective of the Authority is to regulate all 'coastal aquaculture' activities in the coastal areas notified by the Central Government and for matters connected therewith. The Authority is empowered to make regulations for the construction and operation of aquaculture farms in coastal areas, inspection of farms to ascertain their environmental impact, registration of aquaculture farms, removal or demolition of coastal aquaculture farms which cause pollution, fixing standards for all coastal aquaculture inputs, *viz.*, seed, feed, growth supplements, chemicals, etc.

3. Powers and Functions of the Authority

The powers and functions of the Authority are specified in Chapter IV of the Act, the Rules framed there under, and the Regulations framed by Coastal Aquaculture Authority (CAA). Accordingly the Authority exercises the following powers and perform the functions as stated below:

The Coastal Aquaculture Authority, shall *inter alia* make regulations for the orderly and sustainable development of the coastal aquaculture sector to lead to environmentally responsible and socially acceptable coastal aquaculture for the socio-economic benefits of the various stakeholders involved in the activity. The major responsibility of CAA towards achieving these goals, is to ensure registration of all kinds of coastal aquaculture farms

in the country. This is an ongoing process. A number of measures have been initiated by the Authority for registering all eligible coastal aquaculture farms as well as monitoring their operations. It is mandatory for all persons carrying on coastal aquaculture to register their farms with the CAA, as per the procedures laid down in the Coastal Aquaculture Authority Act and Rules. Registration is made for a period of five (5) years, which can be renewed further. The registration process would be continued in respect of new farms as well as for farms that may be renovated for taking up coastal aquaculture activities in future

Aquaculture is not permitted within 200 m from the High Tide Line of the sea (the creeks, rivers and backwaters within the Coastal Regulation Zone). However, this condition is not applicable to the 'existing farms', that is farms set up before the commencement of the Act and to the non-commercial and experimental aquaculture farms operated by the Government or to any research institute of the Government. However, all such farms need to be registered with the CAA. Any person carrying on, coastal aquaculture without such registration is liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.

Although the then 'existing' traditional aquaculture farms need no registration, such farms are also registered since registration of such farms is required for the purpose of exporting their products, as envisaged in the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality control, Inspection and Monitoring) Rules, 1995 as amended vide Notification of Ministry of Commerce and Industry No. D.O. 2714 (E) dated 28th October, 2009.

CAA is assisted by the State Level Committees (SLCs) and District Level Committees (DLCs) on all matters, especially in the registration of coastal aquaculture farms.

The Coastal Aquaculture Authority also has the power and the duty to -

- ensure that the agricultural lands, salt pan lands, mangroves, wet lands, forest lands, land for village common purposes, the land meant for public purposes and national parks and sanctuaries are not converted as aquaculture farms in order to protect the livelihood of coastal community living in coastal areas;
- survey the entire coastal area and advise the Central Government and the State / UT Governments for formulating suitable strategies for achieving eco-friendly development;
- advise and extend support to the State / UT Governments for constructing common infrastructure like, common water intake, discharge canals and common effluent treatment systems;

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY



- fix standards for seed, feed, growth supplements and chemicals / medicines used for the maintenance of the water bodies and the organisms reared and other aquatic life;
- carryout or sponsor investigations and studies / schemes relating to environment protection and demonstration of eco-friendly technologies;
- collect and disseminate the data and other scientific and socio-economic information related to coastal aquaculture;
- prepare materials relating to sustainable development of coastal aquaculture and activities relating to coastal aquaculture;
- give publicity and train personnel regarding sustainable utilization and fair and equitable sharing of the coastal resources;
- constitute various technical committees, sub-committees, working groups, etc., for preparation of technical manuals etc;
- direct the owners of the farm to carry out modifications to minimize the impacts on coastal environment;
- order seasonal closure for ensuring sustainability; or in the interest of maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods in the interest of coastal environment;
- cancel the registration where any person has obtained registration by furnishing false information or contravened any of the provisions of these rules or of the conditions mentioned in the certificate of registration;
- make suitable recommendations to the Government for amending the guidelines from time to time.

4. Regulation of SPF Litopenaeus vannamei culture in India:

Government of India, vide Notification dated 15th October, 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DAHD&F), Ministry of Agriculture, under the Livestock Importation Act, 1898, (as amended by Livestock Importation Act, 2001), has authorized CAA to grant permission for importing broodstock of SPF *Litopenaeus vannamei*. The broodstock suppliers are selected by CAA in consultation with National Fisheries Development Board (NFDB), Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) and the Marine Products Export Development Authority (MPEDA). The biosecurity requirements for the quarantine, import permit, port of entry, pre-border quarantine requirements, quarantine requirements, disinfection methods etc., are detailed in the said Guidelines.

Thereafter, vide the Coastal Aquaculture (Amendment) Rules, 2009, Guidelines were issued for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L. vannamei*. These Guidelines contain the criteria for application to breed *L. vannamei*, the technical requirements, procedures for production and sale of SPF *L. vannamei* seed and specifies the norms and regulations for approval and operation of farms.

Coastal Aquaculture Authority is meticulously following these Guidelines in permitting hatcheries and farms to take up SPF *L. vannamei* farming and in the inspection and monitoring of the entire operation for the sustainable development of this venture.

II. Targets and Performance

1. Annual targets

- Registration of coastal aquaculture farms / renewal are a continuous process, which can not be specifically quantified or targeted. An additional 3,000 coastal aquaculture farms are expected to be registered during the next one year subject to the recommendations received from the DLCs and SLCs.
- Extension of SPF *L. vannamei* culture, covering an additional area of about 1,000 hectares for the year 2010-11.
- Reviewing and selection of broodstock suppliers in the meetings of the Technical Committee
- Such selection will be done in the light of the recommendations made at the Review Workshops to increase the number of broodstock suppliers.
- Public Notice will be issued inviting applications from prospective hatchery owners with adequate biosecurity facilities for granting permission to import SPF broodstock and to produce SPF seed for supplying to the farmers.
- The broodstock requirement for SPF *L. vannamei* farming would be worked out by the Technical Committee in accordance with the recommendations of the Review Meetings to increase the seed production.
- Processing all the applications received from farmers, who intend to culture *Penaeus monodon*, SPF *L. vannamei* or any other species, in their farms after creation of necessary and adequate biosecurity facilities and Effluent Treatment Systems (ETS) in the farms and issuing Certificate of Registration and / or permission therefor.
- Processing of the applications received for seed production and farming operations without delay.
- Inspection of hatcheries and farms will be done by the Inspection Team to ascertain the biosecurity requirements and other facilities.
- Consideration of the applications recommended by the Inspection Team for granting approval.
- · Monitoring of hatcheries and farms periodically.
- Convening of meetings of the Technical Committee to review the functioning of the Quarantine periodically.
- Commissioning of a water quality laboratory in the premises of CAA at Chennai.

- Organising awareness programmes in maritime states to sensitize the farmers on registration of *P. monodon*, SPF *L. vannamei*, fishes and crab farms and on issues of banned drugs and other substances.
- Participation in workshops and exhibitions relating to coastal aquaculture depicting sustainable farming practices.

2. Brief review of Performance

- Between April 2010 March 2011, a total of 4,843 applications for registration of shrimp farms received from SLCs / DLCs were considered for approval. The Authority approved 4,825 applications, the balance were returned for rectification.
- Registration Certificates were issued to all the 4,825 approved farms.
- On the basis of the Inspection Team's report, 21 hatcheries were permitted during the current year, for importing broodstock of SPF *L. vannamei* from suppliers approved by CAA.
- After scrutinizing the applications received from the farms, for culture of SPF *L. vannamei* and based on the Inspection Team's report, 168 farms with a water spread area (WSA) of 1,351.12 ha were issued permission for culturing SPF *L. vannamei* during the year.
- Approximately, 1,328.88 million post larvae of SPF *L. vannamei* were produced by the approved hatcheries and supplied to registered shrimp farmers during this period.
- The average production of SPF *L. vannamei* in the approved farms was about 7-8 MT per year in two crops with a stocking density not exceeding 60 numbers/m².
- Awareness programmes were organised in collaboration with the State Fisheries
 Departments till March, 2011 to sensitize the farmers about the biosecurity
 requirements in farming of SPF L. vannamei and on the need to comply with them.
- The Technical Committee, constituted under the chairmanship of Member Secretary to oversee and monitor the functioning of the Aquatic Quarantine Facility (AQF), met on four occasions during the period and took appropriate decisions for its smooth functioning.
- Specific training programmes were organised for the State Govt. officials of Andhra Pradesh on the basic requirements for registration of farms and the procedural aspects.
- A meeting was exclusively convened for 26 officers of the Marine Products Export
 Development Authority to clarify the various procedural requirements for the



COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

sampling, testing and reporting of antibiotic residues in shrimp farms as specified in the Regulations of CAA.

- Organised and arranged for Technical Evaluation Committee to meet and evaluate the presentations by 3 intended suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock, while shortlisting additional suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock.
- Technical Evaluation Committee held two meetings between October, 2010 and January, 2011 with the hatchery operators, who were permitted to import SPF *L. vannamei* broodstock to discuss various issues concerning import of broodstock.

III.A. Activities and Achievements

1. Meetings of the Authority

During the current year, *i.e.*, from April, 2010 - March, 2011, the CAA convened five regular meetings, in addition to other meetings for specific purposes. The details of the Authority meetings and important decisions taken are summarized in Table 1. Besides approving the applications for registration, the Authority discussed many vital issues such as review of the registration process of hatcheries, European Union FVO Mission's recommendation on antibiotic residues in shrimp, monitoring of farm waste water discharge, etc.







27th Meeting

29th Meeting

30th Meeting

Table 1 Meetings of the Coastal Aquaculture Authority (April, 2010 – March, 2011)

Meetings	Date & Venue	Important decisions taken in the meeting
Twenty Seventh Meeting	11 th June, 2010 Chennai	 Approved the registration of 2,138 shrimp farms. Resolved to grant permission to 23 shrimp farms (WSA- 202.24 ha) to culture SPF <i>L. vannamei</i>. Approved the proposal to allow CIBA for conducting the study on Discharge Water Treatment System (DWTS) in selected SPF <i>L. vannamei</i> farms keeping in view the biosecurity requirements. Resolved to convene a meeting of the MPEDA officers to appraise them about the specific requirements of collecting and testing of samples for banned substances and reporting procedures to CAA as laid out in the Regulations of CAA. Resolved to send the registration certificates directly to the farmers and the certificates, if any, returned undelivered shall be sent to the Member Conveners of the SLCs of the states.

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Meetings	Date & Venue	Important decisions taken in the meeting
Twenty	17 th	Approved the registration of 634 shrimp farms.
Eighth Meeting	September, 2010 Chennai	• Approved permission to 21 hatcheries for import of broodstock and seed production of SPF <i>L. vannamei</i> for the year 2010-2011.
		 Approved permission to 40 shrimp farms (WSA-234.14ha) to culture SPF L. vannamei.
		 Approved the Annual Report for the year 2009-10.
		 Recorded the highlights of the Review Workshop on SPF L. vannamei with the stakeholders held on 27th August, 2010 to assess the performance of commercial culture of SPF L. vannamei in the country.
		 Resolved to prepare a standard format for the utilization certificate to be submitted by DLCs on the receipts under the CAA rules and the expenditure thereon.
		 Conveyed to the Authority the outcome of the meeting with MPEDA officers about the lacunae in the procedure adopted for collecting and testing of samples and submission of report to CAA in the prescribed format.
Twenty Ninth	11 th November,	• Approved permission to 9 shrimp farms (WSA-188.50 ha) to culture SPF <i>L. vannamei</i> .
Meeting	2010 Hyderabad	 Approved the proposal for purchase of additional equipment for the water quality monitoring laboratory of CAA technical section.
		• Approved action against illegal culture of SPF <i>L. vannamei</i> in Tamil Nadu by issuing show cause notice to the concerned farmer.
Thirtieth	7 th January,	 Approved the registration of 1,140 shrimp farms.
Meeting	2011 Chennai	• Approved permission to 29 shrimp farms (WSA-332.93 ha) to culture SPF <i>L. vannamei</i> .
		• Cancelled the registration certificate of a farmer for illegal culture of <i>L. vannamei</i> in the farm.

Meetings	Date & Venue	Important decisions taken in the meeting
Thirty First Meeting	4 th March, 2011 Bhuba- neswar	 Approved the registration of 570 shrimp farms. Permission granted to 67 farms (WSA-395.39 ha) to culture SPF <i>L. vannamei</i>. Deliberations of the meeting with the representatives of hatchery operators regarding annual requirement of broostock of SPF <i>L. vannamei</i> for the financial year 2011-2012 were briefed to the Authority. Resolved to put up in the CAA website to give wide publicity about CAA's action to stop illegal hatchery seed production activities. Constituted Inspection Team to inspect hatcheries.

2. Registration of Shrimp Farms

- a. One of the major tasks accomplished by the CAA was the registration of large number of shrimp farms on the recommendations of the DLCs and SLCs constituted for this purpose.
- b. The Authority considered the applications recommended by the DLCs and SLCs for registration of shrimp farms in its meetings held regularly and has approved and issued in all, 23,338 registration certificates to shrimp farmers till March 2011 (since inception of the CAA).








c. A statement showing the total numbers of certificates of registration issued by the Authority in all the maritime States and Union Territories since inception of CAA is given in Table 2 and the area-wise farms registered with the Authority is depicted in Figure-1. The data base on registration of shrimp farms and the details of registered farms are made available to the end users in the Authority's website, which is being updated periodically.



Table 2: Details of Registration Certificates issued by CAA up to 31st Meeting (December 2005 to March 2011)


Sl.	Name of	Total Area (ha)					
No.	States / UTs	0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.00	Total
1	West Bengal	1,230	143	0	0	0	1,373
2	Orissa	3,740	362	26	10	0	4,138
3	Andhra Pradesh	13,642	965	91	39	9	14,746
4	Tamil Nadu	803	569	107	15	1	1,495
5	Puducherry	5	1	0	0	0	6
6	Kerala	375	87	13	2	0	477
7	Karnataka	253	36	2	2	0	293
8	Goa	19	12	1	1	0	33
9	Maharashtra	80	112	23	18	6	239
10	Gujarat	136	383	2	0	1	522
11	Daman & Diu	0	12	0	0	0	12
12	A & N Islands	3	1	0	0	0	4
	Total	20,286	2,683	265	87	17	23,338



Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	20,286
2.01 - 5.00	2,683
5.01 - 10.00	265
10.01 - 40.00	87
above 40.00	17

Figure-1 Registration of farms in all coastal states since inception of CAA till 31st meeting

d. During the year under report, the Authority has considered and approved 4,825 applications. The registration certificates were issued and despatched directly to the farmers and the certificates returned undelivered were sent to the Member Conveners of the SLCs of the states as resolved in the 27th meeting of the Authority. The area-wise break up of the farms approved are depicted in Figure-2.



Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	4,515
2.01 - 5.00	259
5.01 - 10.00	31
10.01 - 40.00	18
above 40.00	2

Figure-2 Registration of farms in all the coastal states during April 2010-March 2011


e. A statement showing the total number of farms registered with the Authority during April 2010 to March, 2011 in the 9 maritime States and 3 Union Territories is given in Table 3 and the area-wise farms registered with the Authority in 8 maritime States and 2 Union Territories are depicted in Figures 3-12.

Table 3: Details of Registration Certificate issued by CAA during April 2010–March 2011

Sl.	Name of States / UTs	Total Area (ha)					
No		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.00	Total
1	West Bengal	251	0	0	0	0	251
2	Orissa	1,755	27	7	7	0	1,796
3	Andhra Pradesh	2,313	89	14	8	0	2,424
4	Tamil Nadu	77	55	7	2	0	141
5	Puducherry	0	0	0	0	0	0
6	Kerala	73	13	1	0	0	87
7	Karnataka	22	0	0	0	0	22
8	Goa	4	2	0	0	0	6
9	Maharashtra	7	7	1	1	2	18
10	Gujarat	12	65	1	0	0	78
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0
12	A & N Islands	1	1	0	0	0	2
	Total	4,515	259	31	18	2	4,825

State-wise break up of Shrimp farms registered with CAA during the year 2010-2011 (Figures 3 to 12)


West Bengal




Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	251
2.01 - 5.00	0
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0

Orissa

Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	1,755
2.01 - 5.00	27
5.01 - 10.00	7
10.01 - 40.00	7
above 40.00	0



Andhra Pradesh



Area (ha)	No. of farms	
0 - 2.00	2,313	
2.01 - 5.00	89	
5.01 - 10.00	14	
10.01 - 40.00	8	
above 40.00	0	


Tamil Nadu




Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	77
2.01 - 5.00	55
5.01 - 10.00	7
10.01 - 40.00	2
above 40.00	0

Kerala

Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	73
2.01 - 5.00	13
5.01 - 10.00	1
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0



Karnataka




Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	22
2.01 - 5.00	0
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0




Goa

Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	4
2.01 - 5.00	2
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0




Maharashtra



Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	7
2.01 - 5.00	7
5.01 - 10.00	1
10.01 - 40.00	1
above 40.00	2


Gujarat

Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	12
2.01 - 5.00	65
5.01 - 10.00	1
10.01 - 40.00	1
above 40.00	0



Andaman & Nicobar Islands

Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	1
2.01 - 5.00	1
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0



3. SPF L. vannamei Farming

(i) Selection of SPF L. vannamei Broodstock Suppliers

- CAA carried out the exercise of shortlisting and selecting the suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock, based on the genetic base and disease status, by holding intensive discussions with the prospective suppliers in consultation with other related organizations like CIBA, NFDB and MPEDA. Two more suppliers were short-listed and selected for supply of SPF broodstock of *L. vannamei*. Altogether till date, the following eight suppliers were shortlisted and selected:
 - 1. M/s. Oceanic Institute, Hawaii
 - 2. M/s. Kona Bay Marine Resources, Hawaii
 - 3. M/s. Shrimp Improvement Systems, Florida
 - 4. M/s. SyAqua, Thailand.
 - 5. M/s. Vannamei 101 Co. Ltd. (with joint venture), Thailand.
 - 6. M/s. Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd., Thailand.
 - 7. M/s. Shrimp Improvement Systems Pte. Ltd. Singapore.
 - 8. M/s. Shrimp Improvement Systems Pte. Ltd. Hawaii





Technical Committee evaluating the presentations of intended suppliers of L. vannamei broodstock

(ii) Permission to import SPF L. vannamei broodstock for seed production

As per the recommendation of the committee constituted for granting permission to hatcheries which were also approved by CAA, the Letters of Permission (LoP) were issued to 21 hatcheries (14 in Andhra Pradesh and 7 in Tamil Nadu) for the year 2010-2011 to import the permitted quantity of broodstock and production of seed of SPF *L. vannamei*, their percentage distribution is given in Figure-13 and their district-wise distribution is depicted in Figure-14. The validity of the permit is up to 31-03-2011.




Figure-13 State-wise distribution of SPF L. vannamei hatcheries




Figure-14 District-wise distribution of CAA permitted hatcheries (2010-11)

(iii) Import of SPF L. vannamei Broodstock and Seed production in the year 2010-11

- According to the guidelines notified by the Ministry of Agriculture, CAA was entrusted with the task of granting permission to hatcheries for import of SPF *L. vannamei* broodstock and production of post larvae for sale.
- Accordingly, CAA, in consultation with NFDB, CIBA & MPEDA identified eight broodstock suppliers of SPF *L. vannamei* through global advertisement, from whom the hatchery owners were allowed to import broodstock.
- An advertisement dated 11-01-2011 was issued in the leading newspapers and in the CAA website, inviting applications from hatchery owners for import of SPF *L. vannamei* brood stock.
- A total of 80 applications were received from the hatchery operators; after scrutinizing, a check-list was prepared for ascertaining the essential components such as biosecruity, ETS and lab facilities. The Inspection Committee constituted by the CAA inspected 11 hatcheries during the period under report (2 in Nellore District, 3 in East Godavari District and 2 in Visakhapatnam District of Andhra Pradesh; and 3 in Villupuram District and 1 in Kancheepuram District of Tamil Nadu) to evaluate their facilities and ascertain their suitability. However, no new hatcheries were permitted during the period 2010-11.







Inspection of hatcheries by the Inspection Committee

ETS in a Hatchery

• During the year under report, 21 hatcheries were permitted by CAA, to import SPF *L. vannamei* broodstock and produce seed. Even though the total number

of broodstock permitted during the period was 16,100 pairs, only 19 hatcheries have imported 10,733 pairs of broodstock.



Imported SPF *L. vannamei* broodstock



SPF *L. vannamei* seed produced in a Hatchery

They have produced 1,328.88 million seed (post larvae). The average survival rate from nauplii to post larvae is observed to be 30.18% from the reports submitted by the hatcheries.

(iv) Meetings of the Technical Evaluation Committee on Import of Broodstock

• The Technical Evaluation Committee held two meetings between October, 2010 and January, 2011 with the hatchery operators, who were permitted to import SPF *L. vannamei* broodstock and discussed various issues concerning import of broodstock.





Technical Evaluation Committee Meeting in progress

(v) Permission to shrimp farms to culture SPF L. vannamei

- An Inspection Team was constituted by CAA for inspection of farms for granting permission to culture SPF *L. vannamei*. The biosecurity requirements for *L. vannamei* culture verified during inspections are:
 - i) fencing of farms (including crab fencing);
 - ii) water intake through reservoirs;
 - iii) installation of bird scares / bird netting;
 - iv) Effluent Treatment System (ETS).





Inspection of farms proposed for L. vannamei culture



Farm & Crab fencing







Crab fencing Bird netting







Bird scare Reservoir ETS

On the basis of the recommendations of the Inspection Committee and further consideration and endorsement by the Member Secretary CAA, the proposals were placed before the Authority for consideration. After the approval by CAA, the LoPs were issued to the farmers. CAA has approved and issued such LoPs to 275 shrimp farmers since the introduction of *L. vannamei* till March 2011, the details are given in Table-4 and depicted in Figure 15.

Table-4 State-wise details of Registration of *L. vannamei* Farms from starting till March 2011

Sl. No.	Name of the State	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	192	2,425.59	1,645.31
2	Tamil Nadu	38	414.73	258.82
3	Gujarat	10	251.00	174.99
4	Maharashtra	13	442.57	260.12
5	Karnataka	16	47.04	37.38
6	Orissa	5	136.08	83.78
7	Goa	1	5.6	2.80
	Total	275	3,722.61	2,463.20




Figure 15 CAA permitted L. vannamei farms till March, 2011

During the year under report, the Authority has considered and approved 168 farms with water spread area (WSA) of 1,351.12 ha for SPF *L. vannamei* farming, its state-wise details are depicted in Table 5 and Figure 16.


Table 5 State-wise details of *L. vannamei* farms permitted during April 2010 - March 2011

Sl. No.	Name of the State	No. of Farms	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	105	835.25
2	Tamil Nadu	32	203.41
3	Gujarat	6	97.00
4	Maharashtra	3	91.50
5	Karnataka	16	37.38
6	Orissa	5	83.78
7	Goa	1	2.80
	Total	168	1,351.12

No. of farms permitted by CAA for culturing SPF *L. vannamei* during April 2010-March 2011

Till 31-03-2011, a total of 275 farms covering WSA of 2,463.20 ha have been permitted by CAA, their district-wise distribution is given in Figure 17. The details of permitted SPF *L. vannamei* shrimp farms are being updated periodically in the Authority's website.

Figure 16 State-wise distribution of CAA permitted L. vannamei farms during 2010-2011






Figure 17 District-wise distribution of L. vannamei farms in India as on March, 2011

(vi) Production of SPF L. vannamei

During the year 2010-11 a total number of 168 farms were permitted by CAA to culture SPF *L. vannamei* which made the total number of farms to 275 covering WSA of 2,463.20 ha till 31-03-2011. During the period under report 124 farms have harvested 2 crops and 13 farms have taken 4 crops since inception of *L. vannamei* culture in India. A production of 18,247 MT of shrimps was achieved from these farms. The survival rate ranged from 25-98% and the culture duration varied from 32 to 173 days. The average body weight (ABW) ranged from 6.5 g to 32.94 g and the Food Conversion Ratio (FCR) varied between 1.02-2.0. The yield per hectare varied between 1.8 to 15.04 MT.





Farm-fresh harvested L. vannamei

(vii) Monitoring of Hatcheries & Farms of SPF L. vannamei

- Nineteen hatcheries (13 in Tamil Nadu and 6 in Andhra Pradesh), permitted by CAA to produce SPF *L. vannamei* seed were monitored by the CAA officials.
- Four farms having WSA of 198.05 ha in Andhra Pradesh permitted by CAA to undertake SPF *L. vannamei* culture were also monitored by CAA officials.
- The production facilities were inspected and the records were also verified. The
 hatcheries and the farms were advised to maintain proper records as per the guidelines
 notified by the Ministry of Agriculture.
- Wastewater samples discharged from permitted hatcheries were collected from final discharge point of ETS in order to test and ensure that waste water parameters conform to the standards prescribed by CAA.

• Apart from regular monitoring, 13 hatcheries (10 in Andhra Pradesh and 3 in Tamil Nadu) were also inspected to find out whether any illegal seed production of *L. vannamei* is carried out by them.







Monitoring of L. vannamei hatcheries

Collection of water sample at a creek in AP

4. Water Quality Monitoring Laboratory

A water quality monitoring laboratory has been established in the Technical Section of CAA for regular monitoring of the waste water discharged from hatcheries and farms to ensure that they are within the standards prescribed by CAA Act and Rules. To fully equip this laboratory some additional equipment required were approved by the Authority.





Analysis of waste water samples in the Laboratory

5. Website updation

The website of CAA viz., www.caa.gov.in is uploaded through National Informatic Centre, Chennai. Data are viewed globally and buyers in foreign countries get the full details of

shrimps for traceability. Further, shrimp farmers and hatchery operators access the website to get the application forms for registration and full information on guidelines for farming and seed production. Detailed information are furnished and are frequently and exigently uploaded in order to regularize the coastal aquaculture activities with a view to protect the coastal environment and livelihood of coastal people. It furnishes full details about registration and regulation for shrimp hatcheries, shrimp farms, broodstock and aquatic quarantine on *L. vannamei* cultivation activities also. Further, the website describes the powers & functions of the Authority, budget and accounts.

6. Building for the Headquarters of CAA

At present, the Authority is functioning in a small portion of the Shastri Bhawan Annexe in Haddows Road, Chennai-6 and the space allotted is hardly adequate to meet the current demands. Therefore, the Technical Section of the Authority is functioning in a rented building in Vepery. Due to inadequacy of space, special meetings and workshops are to be conducted outside. The Authority has ambitious future plans to set up functional facilities including laboratories, training halls, information centre, library, conference hall / committee room, etc. for its headquarters at Chennai besides residential accommodation for the staff. It is therefore, proposed to construct a National Headquarters Complex of the Authority at Chennai. The matter regarding allocation of Government land for this purpose has been actively pursued with the State Government. Due to the strenuous efforts put up for this purpose, about four acres of land in south Chennai (near IT Corridor) has been identified by the State Government for allotment to CAA. Steps have also been initiated at the Ministerial level at the Centre for allocation of this piece of land by the State Government and for alienation of the land on lease or free of cost at the earliest.

After allocation, other reclamation works like filling up of earth, erection of compound wall, etc. are to be taken up before construction work is entrusted to the competent agency as per approved procedures. The approximate cost for this purpose is estimated to be about ₹40.00 crores and the project is to be completed in a span of 1-1½ years from the time of land allotment. Necessary budgetary provisions are to be provided in the plan budget during the 12th Plan.

7. Hindi Week observed by CAA

CAA observed Hindi Week from 20th to 26th September 2010. On 24.09.2010 a class was conducted to impart training / guidelines to the staff members of the Authority by availing the service of Shri Ashish Kumar Khare, Hindi Translator, Fishery Survey of

India, Chennai. Also, during the Week two competitions were conducted on the curriculum *viz*. (i) Dictation and (ii) Essay writing and awards were presented to the successful officers / staff. A total of 15 staff members participated in the competitions enthusiastically.

8. Outreach Activies of CAA

(i) Participation in Fairs / Exhibitions

• CAA participated and put up a stall in the INFISH-2010 organised by NFDB during 9th to 12th July 2010 at Hyderabad. Posters highlighting the mandate, functions, and the Good Management Practices (GMPs) to be adopted by the shrimp farmers / hatchery operators including awareness on abuse of antibiotics, chemicals and drugs in aquaculture and guidelines and biosecurity requirements for SPF *L. vannamei* seed production and farming were displayed in the stall for the benefit of the farmers and hatchery operators. Shri Madi Krishna Rao, Hon'ble Minister for Fisheries, Puducherry presented a memento as a token of appreciation.







CAA stall in the INFISH-2010

CAA officials receiving

 CAA participated in Matsyagandha Maha Fish Festival, 2010 organised by Maharastra Fisheries Development Corporation at Mumbai during 26th - 28th December, 2010 and exhibited the activities of CAA through posters.






CAA stall in Matsyagandha Maha Fish Festival, 2010

CAA also participated in Aqua Aquaria, 2011 organised by MPEDA during 6th to 8th February, 2011 at Chennai. A stall was put up and posters depicting the objectives, functions and activities of CAA were displayed. Chairman CAA delivered the key-note address during the inauguration.









CAA stall in Aqua Aquaria, 2011

(ii) Awareness programmes and Sensitization workshops conducted by CAA

Four awareness programmes and three sensitization workshops were conducted by CAA during the period under report. The details are as follows:

Three awareness programmes in three districts of Orissa at Kakatpur. Kendrapara District 21.04.2010, on Jaidev Kasavapahi. Balasore District on 22.04.2010 and Bhadrak town of Bhadrak District on 23 04 2010 in which 278 farmers, District Collector of Bhadrak, Secretary of Orissa Shrimp Farmers Association, MPEDA and State fisheries officials participated.



Awareness programme conducted at Kendrapara






Awareness programme conducted at Balasore





Awareness programme conducted at Bhadrak town

• One awareness programme titled "Emerging Opportunities in Shrimp Farming" was organized at the Fisheries College and Research Institute, Thoothukudi, Tamil Nadu on 13.01.2011 wherein Chairman, CAA was the Chief Guest and Chairman, District Level Committee-cum-District Collector, Thoothukudi presided over the programme. About 104 farmers from all over Tamil Nadu attended and benefitted by the programme.





Awareness Programme at FCRI, Thoothukudi



Gujarat, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The workshops were held at Bharuch on 06.07.2010, State Institute of Fisheries Technology (SIFT), Kakinada on 20.07.2010 and at CIBA head quarters, Chennai on 28.07.2010 respectively in which a total of 102 state fisheries officials from the concerned states participated.







Sensitization workshop on SPF L. vannamei farming conducted at Bharuch







Sensitization workshop on SPF L. vannamei farming conducted at Kakinada

During the awareness programme, Coastal Aquaculture Authority Act, the objectives, powers and functions of the CAA, Antibiotic residues, FAO's Code of Conduct for Responsible Aquaculture and guidelines for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L. vannamei* were explained to the farmers in the local language by the CAA officials. Handouts prepared in the local languages were also distributed to the farmers and officials.







Sensitization workshop on SPF L. vannamei farming conducted at Chennai

(iii) Review workshop on SPF L. vannamei farming in India

A workshop was conducted on 27th August 2010 at Chennai to review the performance and prospects of the commercial culture of SPF *L. vannamei*, the exotic shrimp, introduced in the country. The workshop was attended by hatchery operators, shrimp farmers, feed manufactures, exporters, besides the scientists and technical personnel from ICAR and some officers from the Central and State Government organisations. Around 136 delegates participated in the workshop and benefitted. The workshop was inaugurated by Shri Tarun Shridhar, Joint Secretary (Fy), DAHD&F, Ministry of Agriculture. Two review papers on seed production and farming were presented by the Director (Tech.) and Asst. Director (Tech.) of CAA respectively. A few success stories on seed production and farming were presented by the hatchery operators and farmers. The proceedings of the workshop was also brought out by CAA. A compendium on Introduction and Farming of SPF *L. vannamei* in India, compiled by the staff of CAA, was released in the workshop.



Shri Tarun Shridhar, Joint Secretary (Fy) inaugurating the Workshop



Releasing of Compendium on Introduction and Farming of SPF L. vannamei in India





Participation of stakeholders in the Workshop

(iv) Training programme to MPEDA and State Fisheries officials

- A training programme on the procedure for collecting and analysing the samples for antibiotic testing and the procedures for its reporting was organized for the MPEDA officials at CAA head quarters, Chennai on 28.05.2010 as per the request of Chairman, MPEDA. The training programme was attended by 26 MPEDA officials from different regions. They were explained about the CAA regulation and the procedure for collection of shrimp samples for testing of antibiotics and reporting to CAA, in accordance with the CAA regulations.
- A training programme on "Inspection and Monitoring in SPF L. vannamei Farming" was conducted for the state fisheries officials at SIFT Kakinada Andhra Pradesh on O





MPEDA officials on training at CAA

at SIFT, Kakinada, Andhra Pradesh on 02.02.2011, where 25 officials attended. The training programme was mainly focused on the inspection and monitoring of





Active participation of AP state fisheries officials in the Presentation



SPF L. vannamei farms. A detailed presentation on Guidelines for import of broodstock, seed production and farming of SPF L. vannamei was made and discussed elaborately. The participants were





Active participation of AP state fisheries officials in the field

also taken to a CAA registered farm wherein the different aspects of inspection and monitoring were explained and demonstrated. The training programme was inaugurated by Director CAA and presided by the Principal, SIFT.

(v) Follow up action on the Recommendations of FVO Mission's visit 2008

As a follow up on the recommendations made in the report of FVO Inspection carried out in November-2008, information required in respect of Coastal Aquaculture Authority were furnished to Export Inspection Council of India on the status regarding farm registration as well as authorization and use of pharmacologically active and other substances in food producing animals.

(vi) US FDA Audit

US FDA team visited India during 27th April to 7th May, 2010. Member Secretary attended the opening and closing meetings and provided inputs with regard to CAA activities particularly on registration of aquafarms and authorization and use of pharmacologically active and other substances in aquaculture. Shri Manas Kumar Sinha, Asst. Director (Tech) represented CAA in the Team and accompanied for visit of farms in west Godavari and Nellore districts of Andhra Pradesh during 30.04.2010 to 05.05.2010 and provided required information pertinent to coastal aquaculture in India to the team.





Participation of CAA with US FDA team during farm visits

(vii) Meeting to discuss issues relating to empanelment of pathologists to prescribe medicines to treat fish diseases

On behalf of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, a meeting was convened by the Member Secretary, CAA at Chennai on 29th April, 2010 with a group of experts in fish pathology, veterinary medicine and Central Drug Standard Control Organisation, South Zone, Chennai as well as the teaching faculty of fisheries and veterinary medicines with a view to evolve suitable recommendations to assist the Government in the task of empanelling suitable consultants to prescribe medicines to treat fish and shell fish diseases in aquaculture. The issues discussed were:

- · Approval of medicines for aquaculture
- Competence of persons to diagnose and prescribe aquaculture medicines and the legal provisions
- Procedures to be adopted for developing and standardizing aquaculture drugs, etc.

Major recommendations of the meeting were:

- Establishment of a Fisheries / Aquaculture Council on the lines of the Veterinary Council of India through appropriate legislation
- Restructuring the syllabus of fishery science (B.F.Sc.)
- Introduction of refresher courses on aquaculture medicines to equip fish pathologists to prescribe aquaculture medicines
- Listing of aquaculture medicines for the approval of Drug Controller General of India,
- Clinical trials of aquaculture medicines by national fisheries institutes for standardization along with protocols for each species, etc.

The recommendations have been sent to the Ministry of Agriculture for suitable follow-up action.







Discussion on issues relating to empanelment of pathologists in progress



(viii) Meeting of the Task Force to finalise comments on Draft Standards for Responsible Shrimp Aquaculture proposed by Shrimp Aquaculture Dialogue

A Task Force was constituted by the DAHD&F under the chairmanship of Member Secretary, CAA and representatives from NFDB, CIBA, MPEDA, Society of Aquaculture Professionals (SAP) and Director (FE) of DAHD&F to finalise comments on draft standards for responsible shrimp aquaculture proposed by Shrimp Aquaculture Dialogue (SHAD) created in 2007 under the leadership of World Wildlife Fund. The Task Force had three sittings wherein all the indicators, standards and rationale on the various principles and criterion of the draft standards for responsible shrimp aquaculture proposed by SHAD were thoroughly deliberated and the recommendations of the Task Force were communicated to the Ministry.

9. Participation of CAA members / officers in meetings / seminars / symposia organized by other organisations

 Chairman CAA inaugurated the workshop on "Sustainable Development of Capture and Culture fisheries in Tamil Nadu" organized by the Fisheries Technocrats Forum, Chennai, CIBA and the Coastal Aquaculture Society of India, Chennai held at CIBA, Chennai on 29th and 30th September, 2010 and delivered inaugural address.







Inaugural function of the Workshop

- Chairman, CAA participated as Chief Guest in the awareness programme on "Emerging Opportunities in Shrimp Farming" organized by CAA at the Fisheries College and Research Institute, Thoothukudi, Tamil Nadu on 13.01.2011 and delivered inaugural address.
- Chairman, CAA took part in the inaugural function of Aqua Aquaria-2011 on 06.02.2011 organised by MPEDA during 6th to 8th February, 2011 at Chennai and delivered the key-note address.
- Member Secretary attended the 15th Executive Committee Meeting of NFDB held at New Delhi on 20th April, 2010.

- Member Secretary participated in the conference on Marine Biotechnology and Biodiversity Conservation at National Institute of Oceanography (NIO), Goa organised by National Bureau of Fish Genetic Resources (NBFGR), ICAR, Lucknow held on 21st and 22nd April, 2010 and made a presentation on Regulatory Framework on Fisheries and Aquaculture.
- Member Secretary attended the opening meeting of USFDA Team at Export Inspection Council (EIC), New Delhi on 27.04.2010 and closing meeting on 07.05.2010.
- Member Secretary attended the 3rd Sub-Committee Meeting on Moana Jump Start Programme convened by NFDB at New Delhi on 07.05.2010.
- Member Secretary attended the Indian Aqua Invest Congress and Expo-2010 at Central Institute of Fisheries Education (CIFE), Mumbai on 26th and 27th May, 2010 and co-chaired the session on Fisheries Policy.
- Member Secretary, Director (Tech.), Asst. Director (Tech.) and Shri S. Ramesh Kumar, Senior Technical Assistant, CAA participated in Indian Fish Festival "INFISH-2010" organized by NFDB and held at Hyderabad during 9th to 12th July, 2010.
- Member Secretary attended the 16th Executive Committee Meeting of NFDB held at New Delhi on 18 08 2010
- Member Secretary attended the Third Asia-Pacific Fishery C o m m i s s i o n Consultative Forum (APFIC) Meeting held at Jeju, South Korea from 01st to 04th September, 2010



Member Secretary, CAA, attending the 3rd APFIC at Jeju

• Member Secretary, Director (Tech), Asst. Director (Tech) and Advisor, participated in the workshop on "Sustainable Development of Capture and Culture Fisheries in Tamil Nadu" organized by the Fisheries Technocrats Forum, Chennai, CIBA and the Coastal Aquaculture Society of India, Chennai held at CIBA, Chennai during 29th and 30th September, 2010. Member Secretary delivered the presidential address.



Member Secretary, CAA, at the valedictory function of the Workshop



- Member Secretary attended the Inaugural function and delivered special address at the training on Marine Ornamental Fish Culture at Faculty of Marine Sciences, Centre of Advanced Studies in Marine Biology, Annamalai University, Parangipettai on 18 10 2010
- Member Secretary, Director (Tech), Asst. Director (Tech), Advisor, Consultant and Smt. G. Priya, Senior Technical Assistant participated in the "Aqua India 2010" organized by Society of Aquaculture Professionals held at Chennai during 29th and 30th October, 2010. Member Secretary delivered the key-note address.





Participation of CAA officials in "Aqua India 2010"

- Member Secretary attended the 17th Executive Committee Meeting of NFDB held on 30.12.2010 at Krishi Bhawan, New Delhi.
- Member Secretary attended the meeting convened by Joint Secretary (Fisheries), DAHD&F to discuss the agenda of FAO Committee on Fisheries held at Krishi Bhawan, New Delhi on 12.01.2011
- Member Secretary, Director (Tech) and Asst. Director (Tech) participated in the "Asia-Pacific Aquaculture-2001" organized by World Aquaculture Society held at Cochin, India during 17th to 20th January, 2011. Member Secretary chaired the technical session on "Policy and Regulations" and also made a presentation on "Policy and Regulation of Aquaculture in India". Director made a presentation on "Status of biosecured SPF *L. vannamei* farming in India".
- Member Secretary attended the meeting convened by Hon'ble Agriculture Minister to discuss the memorandum submitted by All India Shrimp Hatcheries Association held at Krishi Bhawan, New Delhi on 28.01.2011.
- Member Secretary attended the Research Advisory Committee meeting of Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) held on 8th February, 2010 at Chennai.

- Member Secretary attended the Preliminary Meeting of Expert Group to formulate guidelines for SPF L. vannamei farming in freshwater at NFDB, Hyderabad on 09.02.2011.
- Member Secretary attended the Meeting of Agricultural Scientists Recruitment Board at Pusa, New Delhi on 15.02.2011 as Selection Committee Member.
- Member Secretary attended and chaired the Research Advisory Committee Meeting of Central Institute of Freshwater Aquaculture (CIFA), Bhubaneswar on 16th and 17th February, 2011
- Member Secretary attended the 1st Expert Group Meeting on Aquatic Animal Disease Management convened by Fisheries Division, DAHD&F at New Delhi on 18.02.2011.
- Member Secretary attended the 2nd Meeting of Expert Group to formulate guidelines for SPF *L. vannamei* farming in freshwater at NFDB, Hyderabad on 25.03.2011.
- Director (Tech) attended the meeting for exploring registration for the traditional aquaculture farms of West Bengal convened by MPEDA at Kolkata on 9th June, 2010.
- Director (Tech) participated in the meeting connected with the Indo-Scotland Wokshop on Vision on Off-shore Wind Energy in India proposed to be organized by Ministry of New & Renewable Energy (International Relations Division) in the Centre for Wind Energy Technology C-WET at Chennai on 23rd June, 2010.
- Director (Tech) participated in the workshop on the Results Framework Document (RFD) as part of Performance Monitoring and Evaluation System (PMES) organized by DAHD&F at New Delhi on 22nd and 23rd July, 2010.
- Director (Tech) attended the programme entitled "Winning, Augmentation and Renovation (WAR) on water" for developing strategy for seawater framing organised by M/s. M S Swaminathan Research Foundation (MSSRF) on 21st and 22nd October, 2010 at Chennai.
- Director (Tech) attended MPEDA-NaCSA- NACA Project Final Workshop on Group Certification of Aqua Societies at NaCSA headquarters, Kakinada on 27th and 28th October, 2010.
- Director (Tech) attended the meeting on the "Establishment of Fish Disease Diagnostic Laboratories" organized by NFDB at Hyderabad on 16th December, 2010.



- Director (Tech) attended the Training programme on "Entrepreneurship Development in Coastal Aquaculture" at CIBA, Chennai during 27th December, 2010 to 1st January, 2011 and made a presentation on the topic "Coastal Aquaculture Authority Guidelines for Sustainable Development of Coastal Aquaculture".
- Director (Tech) and Smt. G. Priya, Senior Technical Assistant, CAA participated in the awareness programme held at Fisheries College and Research Institute, Thoothukudi, Tamil Nadu on 13th January, 2011and made a presentation each on "Status of biosecured SPF *L. vannamei* farming in India" and "Coastal Aquaculture Authority and its guidelines for registration of farm, environmental protection and food safety" respectively.
- Director (Tech) attended the Workshop on "Results Framework Document (RFD) –
 An instrument for improving Government Performance" organized by the Performance
 Management Division of Cabinet Secretariat, Government of India at Vigyan Bhawan,
 New Delhi on 22nd February, 2011.
- Asst. Director (Tech) and Shri S. Ramesh Kumar, Senior Technical Assistant, CAA attended the Matsyagandha Maha Fish Festival, 2010 organised by Maharastra Fisheries Development Corporation at Mumbai during 26th 28th December, 2010 and exhibited the CAA activities through posters.
- Smt. G. Priya, Senior Technical Assistant, CAA participated in the Training on "EU's Rapid Alert System for Food Safety (RASSF) programme" organized by Export Inspection Council (EIA) in collaboration with EU held at Cochin during 15th and 16th November, 2010.
- Smt. G. Priya, Senior Technical Assistant, CAA participated in the workshop on "Marine finfish farming with focus on cobia to improve the livelihood of fishers" conducted by Fisheries College and Research Institute, Thoothukudi, Tamil Nadu on 11th and 12th January, 2011.
- Shri S. Ramesh Kumar, Senior Technical Assistant attended the short-term course on "Engineering and Management in Fisheries and Aquaculture" conducted by IIT, Kahragpur during 8th to 16th December, 2010.
- CAA officials participated in the International Exhibition on Aquaculture & Ornamental Fish "Aqua Aquaria India 2011" organised by MPEDA, Cochin held at Chennai during 6th to 8th February, 2011.

III B. Activities likely to be taken up during 2011-12

- i) **Registration:** Registration and renewal of coastal aquaculture farms and hatcheries is a continuous processes. It is expected that more coastal aquaculture farms and hatcheries of the country would be registered during the period between April 2011 and March 2012.
- ii) **Approval for** *L. vannamei* **culture :** About 2,000 ha of additional pond area would be brought under *L. vannamei* culture.
- iii) **Inspection and Monitoring:** Periodic monitoring of the facilities, especially the quality of waste water discharged from shrimp farms are to be taken up to ensure meeting of the standards prescribed by the Authority. Besides the regular testing, specific tests would also be conducted in case complaints are received.
- iv) Standards for aquaculture inputs: Standards for shrimp feed would be drafted.
- v) **Awareness Programmes :** Awareness programmes relating to environment protection, sustainable development of coastal aquaculture activities and best management practices (BMPs) are to be organised.
- vi) Advertisement and Publication: Public notices are to be issued on the important matters to caution stakeholders and for taking precautionary measures. The Newsletter of the Authority would be published.
- vii) **Preparation of Manuals / Brochures:** The compendium on Coastal Aquaculture Authority Act, Rules, Guidelines would be edited incorporating all the Regulations, Guidelines and notifications issued by the Ministry. A manual on Good Management Practices would be brought out for the benefit of the farmers.
- viii) **Workshops and Meetings:** Stakeholders meetings would be organised for combating the problems encountered in the coastal aquaculture activities, where experiences of various groups on technological improvements and other aspects, would also be shared.
 - CAA would be representing in workshops, exhibitions, seafood fairs and aqua shows organised by other agencies on coastal aquaculture activities, whenever possible.
- ix) Capacity building: Training and study visits would be organised for technical and administrative staff for the effective implementation of regulatory measures as well as for improving the knowledge in their sphere of work.

IV. FINANCE

Summary of Actual Financial Results and Activities during the financial year 2010-2011.

The Accounts pertaining to the financial year 2010-11 was audited under the section 19(2) of the CAG's (DPC) Act, 1971 by the Principal Accountant General (Civil Audit), Tamil Nadu and Puducherry, Chennai and its report is presented in ANNEXURE.

As per Section 16 and 17 of the Coastal Aquaculture Authority Act 2005, the grant-in-aid, based on budget estimation made by the CAA, was provided in four installments. Administrative Ministry has sanctioned a budget estimation of ₹ 275 lakhs for the financial year 2010-11 vide its letter No.33036/5/2007-Fy (T-2) dated 1st April, 2010. However, in the month of November 2010, this office has submitted Revised Estimate for ₹ 260 lakhs but Administrative Ministry has admitted ₹ 245 lakhs.

Budget Estimates / Revised Estimates and Expenditure for the financial year 2010-2011 are as follows:

Major Head 2405

Sub Head - 090031 Grant-in-Aid (₹ in Lakhs)

BE admitted	RE admitted	Amount	Amount	Unspent
by the Ministry	by the Ministry	Received	Spent	Balance
275	245	245	245	

(₹ in Lakhs)

Sl.	No	Name of the Scheme	Sub-head	BE 2011-12
1	1	Coastal Aquaculture Authority	090031 Grant-in-Aid	300

V. Staff and existing organizational structure of the Authority

At present, CAA has got a sanctioned strength of 21 posts and the staff position during the financial year 2010-2011 is as follows:

Sl. No.	Group	Posts	Sanctioned strength	Number of Staff at the beginning	Number of staff repatriated during the financial year	Number of new staff during the financial year	Staff at the end of the financial year
1	A	Director	1	1	-	-	1
		Asst. Director	1	1	-	-	1
		Sr. Admn. Officer	1	1	-	-	1
	В	Private Secretary	2	2	-	-	2
		Superintendent	1	-	-	1	1
		Accountant	1	1	1	-	-
		Sr. Technical Assistant	2	2	-	-	2
		Steno Gr. 'C'	2	2	2	-	-
	С	Sr. Clerk	2	1	-	-	1
		Jr. Clerk	2	1	-	-	1
		Steno Gr. 'D'	1	-	-	1	1
		Car Driver	1	-	-	1	1
	D	MTS	4	4	-	-	4
		Total	21	16	3	3	16

In addition to the above, three clerical staff, two Lab Technician and two supporting staff have been appointed on contract basis through a manpower agency. The process for filling up of the posts of Accountant, Sr. Clerk and Steno Gr. 'C' was taken up and is expected to be completed by 2011-2012.

VI Right to Information

Totally eleven applications were received under RTI Act during the year 2010-11. Requested information were furnished.

ANNEXURE

Annual Accounts and Separate Audit Report of the CAG for the year 2010-11

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

BALANCE SHEET AS AT 31-03-2011

(Amount - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILIITIES			
Corpus/Capital Fund	1	1,11,19,378	57,81,487
Reserves and Surplus	2	0	0
Earmarked/Endowment Funds	3	49,90,275	31,04,452
Secured Loans and Borrowings	4	0	0
Unsecured Loans and Borrowings	5	0	0
Deferred Credit Liabilities	6	0	0
Current Liabilities and Provisions	7	2,71,530	2,38,154
Total		1,63,81,183	91,24,093
ASSETS			
Fixed Assets	8	1,01,86,573	45,07,448
Investments - From Earmarked / Endowment Funds	9	16,11,362	15,00,000
Investments - Others	10	0	0
Current Assets, Loans, Advances etc.	11	45,83,248	31,16,645
Miscellaneous Expenditure (To the extent not written off or adjusted)		_	_
Total		1,63,81,183	91,24,093
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

Sd/-

Sr. Admin. Officer

Sd/Member Secretary

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31-03-2011

(Amount - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
A. INCOME			
Income from Sales/Services	12	0	0
Grants/Subsidies	13	2,45,00,000	75,18,000
Fees/Subscriptions	14	7,530	3,450
Income from Investments			
(Income on Investment from earmarked /			
endowment Funds transferred to Funds)	15	0	0
Income from Royalty, Publication etc.	16	0	0
Interest Earned	17	2,23,181	0
Other Income	18	1,582	0
Increase/(decrease) in stock of		_	_
finished goods and works-in-progress	19	0	0
Total (A)		2,47,32,293	75,21,450
B. EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	94,39,742	80,87,126
Other Administrative Expenses etc.	21	86,93,845	70,31,938
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	0	0
Interest	23	0	0
Depreciation (Net Total at the year-end			
corresponding to Schedule 8)		12,60,815	6,78,036
Total (B)		1,93,94,402	1,57,97,100
Balance being excess of Income over			
Expenditure (A-B)		53,37,891	82,75,650
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to / from General Reserve			
Balance Being Surplus / (Deficit)			
Carried to Corpus/Capital Fund			
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

Sd/-Sr. Admin. Officer Sd/-Member Secretary

COASTAL AQUA

GOVERNMENT OF INDIA,

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe,

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR

(Amount-₹)

Receipts	Current Year	Previous Year
1. Opening Balances		
a) Cash in hand	3000	0
b) Bank Balances i) In Current accounts	19,05,772	2,61,128
ii) In Deposit accounts	17,05,772	2,01,120
iii) In Savings accounts		
2. Grants Received		
a) From Government of Indiab) From State Government	2,45,00,000	75,18,000
c) From Other Sources		
(Grants for Capital & Revenue expenses to		
be shown separately)		
3. Income on Investments from	1 11 262	
a) Earmarked/Endowment Funds (FDR Int.)	1,11,362	
b) Own Funds (Other Investment)		
4. Interest Received	2 21 111	
a) On Bank depositsb) Loans, Advances etc.	2,21,111 2,070	
5. Other Income (Specify)	2,070	
Examination fees		3,450
Tender fees	7,500	3,130
Miscellaneous Income	1,582	
RTI fees	30	
6. Amount Borrowed		
7. Any other receipts (given details)	1 20 520	1 41 000
Performance Security Deposit	1,30,530	1,41,000
Computer Advance Recovery	30,000	
Stamps in Hand	28,248	
Letter of Credit	11,21,000	20 42 224
Endowment Fund (Farm Fees)	21,83,141	28,43,324
Total	302,45,346	107,66,902

Sd/-Sr. Admin. Officer

CULTURE AUTHORITY

MINISTRY OF AGRICULTURE

26 Haddows Road, Chennai-600006

THE PERIOD/YEAR ENDED 31-03-2011

(Amount-₹)

Payments	Current Year	Previous Year
1. Expenses		
a) Establishment Expenses		
(Corresponding to Schedule 20)	94,39,742	11,27,768
b) Administrative Expenses (Corresponding to Schedule 21)	86,93,845	23,26,472
2. Payments made against funds for various projects	00,93,043	25,20,472
(Name of the fund or project should be shown along with		
the particulars of payments made for each project)		
3. Investments and deposits made		
a) Out of Earmarked/Endowment Funds (FDR in IOB)	1,11,362	15,00,000
b) Out of Own Funds		
4. Expenditure on Fixed Assets & Capital work-in-Progress	10.02.022	27.52.000
a) Purchase of Fixed Assets b) Even diture on Conital Work in progress	18,93,933 50,46,007	27,52,890
b) Expenditure on Capital Work-in-progress5. Refund of surplus money/loans	30,40,007	
a) To the Government of India		
b) To the State Government		
c) To other providers of funds		
6. Finance Charges (Interest)		
7. Other Payments (Specify)		
a) Letter of credit (Indian Overseas Bank)	4,12,916	11,21,000
b) Computer advance	0	30,000
c) Festival Advance	21,600	
d) State Deduction & Remittance	97,154	
e) Expenditure out of Earnmarked fund f) Medical Advance	4,08,680 29,096	
8. Closing Balances	27,070	
a) Cash in hand		3,000
b) Bank Balances		,
i) In Current accounts		19,05,772
ii) In Deposit accounts		
iii) In Savings accounts	40,91,011	
Total	3,02,45,346	107,66,902

Sd/-Member Secretary

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2011

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND

(Amount - ₹)

	Current Year	Previo	ous Year
Cost of Assets as on 1-04-2010		36,03,643	
Less: Depreciation up to 31-03-2010		25,72,826	10,30,817
Stamps in Hand			1,44,753
			11,75,570
Balance at the Begning of the year 1-4-2010	57,81,487		
Add: Contributions towards Corpus /			1 20 01 567
Capital Fund	57 01 407		1,28,81,567
Less /(Deduct) : Balance of net income/	57,81,487		1,40,57,137
(expenditure) transferred			
from the Income and			
Expenditure Account	53,37,891		82,75,650
Balance as at the Year-End	1,11,19,378		57,81,487

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

	Current Year	Previous Year
Capital Reserve As per last Account Addition during the year		
Less: Deductions during the year 2. General Reserve As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year		
Total	0	0

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY, CHENNAI

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2011

SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount - ₹)

	Hund	Fund-wise Rreak un	1		Totale	
	niin i	-wise Dicar	4		Iorais	
	Farm	Processing Fees for	g Fees for	<u>-</u>	7	
	Registration L. vanammei Fees Farms	L.vanammei Farms	L.vanammei Hatchery	rund ZZ	Current	Frevious year
a) Opening balance of the funds	22,42,120	7,42,332	1,20,000		31,04,452	2,61,128
b) Addition to the Funds i) Donations/grants ii) Income from Investment made on account of funds iii) Fees	1,11,362 14,24,499	5,98,642	1,60,000		1,11,362 21,83,141	28,43,324
Total (a+b)	37,77,981	13,40,974	2,80,000		53,98,955	31,04,452
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds i) Capital Expenditure - Fixed Assets - Others Total ii) Revenue Expenditure - Salaries, Wages and Allowances etc Travelling Expenses on Inspection of Farms Etc - Expenses on Review Workshop on L. vannamei	1,37,268				1,37,268	
Total (c)	4,08,680	0			4,08,680	
Net Balance as at the Year-End (a+b-c)	33,69,301	13,40,974	2,80,000		49,90,275	31,04,452

¹⁾ Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
2) Plan Funds received from the Central / State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2011

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Central Government		
2. State Government (Specify)		
3. Financial Institutions		
a) Term Loans		
b) Interest accrued and due		
4. Banks:		
a) Term Loans		
 Interest accrued and due 		
b) Other Loans (specify)		
 Interest accrued and due 		
5. Other Institutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Others (Specify)		
Total	0	0

Note: Amounts due within one year

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2011

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
Central Government		
2. State Government (Specify)		
3. Financial Institutions		
4. Banks		
a) Term Loans		
b) Other Loans (Specify)		
5. Other Institutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Fixed Deposits		
8. Other (Specify)		
Total	0	0

Note: Amounts due within one year

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES

	Current Year	Previous Year
 Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets Others 		
Total	0	0

Note: Amounts due within one year

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2011

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Amount - ₹)

	Curre	nt Year	Previo	us Year
A. Current Liabilities				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors				
a) For Goods				
b) Others				
3. Performance Security Deposit		1,41,000		1,41,000
a) M/s. Akshaya Sales, Chennai	25,000		25,000	
b) M/s. Foss India (P) Ltd., Mumbai	57,000		57,000	
c) M/s. Rands Instruments				
Company, Chennai	5,000		5,000	
d) M/s. Sincere Traders, Chennai	5,000		5,000	
e) M/s. Smart Labtech Pvt. Ltd.,	44.000		44.000	
Hyderabad	44,000		44,000	
f) M/s. Systronics, Chennai	5,000	1 20 520	5,000	
4. Earnest Money Deposit		1,30,530		
a) M/s. Merit Enterprises	20,280			
b) M/s. Orbit Tecnologies	44,250			
c) M/s. Sartorius Metchatronics				
India Pvt. Ltd.	4,500			
d) M/s. SV Instrument Analytical				
Pvt. Ltd.	61,500			
5. Interest accrued but not due on				
a) Secured Loans/borrowings				
b) Unsecured Loans/borrowings				

(Contd.)

SCHEDULE 7 CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS (Contd.)

(Amount - ₹)

	Curren	t Year	Previou	s Year
6. Statutory Liabilities	0	0		42,794
a) New Pension Scheme				
(Employee Contribution)			14,496	
b) New Pension Scheme			14.406	
(Employer Contribution)c) Contributory Provident Fund			14,496	
(Member Secretary)			13,802	
d) General Provident Fund			,	44,000
Shri Manas Kumar Sinha, A.D.			14,000	ĺ
Smt. Durga, P.S			20,000	
Shri T. S. Rao, Stenographer			10,000	
e) CGEGIS				360
Shri Manas Kumar Sinha, A.D.			240	
Shri T. S. Rao, Stenographer			120	
7. Other current Liabilities	0	0		10,000
a) Computer Advance Recovery (Shri Manas Kumar Sinha)			1,000	
b) G.P.F Advance Recovery (Shri Manas Kumar Sinha)			8,000	
c) Motor Cycle Advance			,	
Recovery				
(Shri Manas Kumar Sinha)			1,000	
Total (A)		2,71,530		2,38,154
B. Provisions		0		0
1. For Taxation				
2. Gratuity				
3. Superannuation/Pension				
4. Accumulated Leave Encashment				
5. For Depreciation				_
Total (B)		0		0
TOTAL (A+B)		2,71,530		2,38,154



GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2011

AS AT 3 SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS

(Amount - ₹)

			9	Gross Block				Depreciation	ation		Net Block	lock
	Rate	Cost /	Addition during the year	ring the year	Deduc-	Cost		ē	On			
Item	Depre- ciation	Valuation as at beginning of the year	Up to 30-09-10	After 30-09-10	tion during the year	Valuation at the year end	As at the beginning of the year	Addition during the year	tion during the year	Total up to the year end	As at the Current year end	As at the Previous year end
Land	Ι	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Plant & Machinery	15%	5,93,327	12,24,868	0		18,18,195	44,500	2,66,054		3,10,554	15,07,641	5,48,827
Office Equipment	15%	19,21,565	12,272	0		19,33,837	8,19,053	1,67,218		9,86,271	9,47,566	11,02,512
Car	15%	3,30,860	0	0		3,30,860	2,76,742	8,118		2,84,860	46,000	54,188
Furniture & Fixtures	10%	27,80,488	1,12,232	32,920		29,25,640	7,13,160	2,19,602		9,32,762	19,92,878	20,67,328
Computers & Peripherals	%09	13,63,361		3,91,283		17,54,644	659'56'6	3,38,006		13,33,665	4,20,979	3,67,702
Library Books	%09	7,68,709	18,442	1,01,916		8,89,067	4,01,748	2,61,817		6,63,565	2,25,502	3,66,961
A. Total of Current Year		77,58,310	13,67,814	5,26,119		96,52,243	32,50,862	12,60,815		45,11,677	51,40,566	45,07,448
Previous Year												
B. Capital Work-in- Progress											50,46,007	
TOTAL (A + B)											1,01,86,573	45,07,448

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2011

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Fixed Deposit Receipts (IOB)	16,11,362	15,00,000
Total	16,11,362	15,00,000

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS

	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint ventures		
6. Others (to be specified)		
Total	0	0

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2011

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.

(Amount - ₹)

	Current Year	Previ	ous Year
A. CURRENT ASSETS			
1. Inventories			
a) Stores and Spares	(0
b) Toolsc) Stock-in-trade			
- Finished Goods			
- Work-in-Progress			
- Raw Materials			
2. Sundry Debtors			
a) Debts outstanding for a period			
exceeding six months			
b) Others			
3. Cash balances in hand (including cheques/ drafts and imprest)			3,000
4. Bank Balances			3,000
a) With Scheduled Banks			
- On Current Accounts (IOB)			19,05,772
- Letter of Credit (includes margin money)			11,21,000
- On Savings Accounts	40,91,011		
b) With non-Scheduled Banks- On Current Accounts			
- On Current Accounts - On Deposit Accounts			
- On Savings Accounts			
5. Post Office - Savings Accounts			
6. Stamps in Hand			
a) Stamps (Franking Machine)	25,545	34,020	34,020
b) Stamps (Postal)	3,080	22,853	22,853
Total (A)	41,19,636		

(Contd.)

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2011

SCHEDULE 11-CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS 1. Loans a) Staff b) Other entities engaged in activities/ objectives similar to that of the entity c) Other (specify) 2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received a) Computer Advance to Shri T. S. Rao b) Pre-payments (Annexure-1) c) Staff Festival Advance (Annexure-1) d) Medical Advance	0 4,12,916 21,600	Previous Year 30,000
 c) Staff Festival Advance (Annexure-1) d) Medical Advance	21,600 29,096	
d) Others (includes income due unrealised - ₹)4. Claims Receivable	4 (2 (12	20.000
Total (B) TOTAL (A+B)	4,63,612 45,83,248	30,000

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31-03-2011

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Income from Sales		
a) Sale of Finished Goods		
b) Sale of Raw Material		
c) Sale of Scraps		
2. Income from Services		
a) Labour and Processing Charges		
b) Professional / Consultancy Services		
c) Agency Commission and Brokerage		
d) Maintenance Services (Equipment /		
Property)		
e) Others (Specify)		
Total	0	0

SCHEDULE 13 - GRANTS / SUBSIDIES

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

	Current Year	Previous Year
1. Central Government	2,45,00,000	75,18,000
2. State Government(s)		
3. Government Agencies		
4. Institutions / Welfare Bodies		
5. International Organisations		
6. Others (Specify)		
Total	2,45,00,000	75,18,000

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31-03-2011

SCHEDULE 14 - FEES / SUBSCRIPTIONS

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Entrance Fees		
2. Annual Fees Subscription		
3. Seminar / Programme Fees		
4. Consultancy Fees		
5. Examination Fees	0	3,450
6. Tender Fees	7,500	
7. RTI Fees	30	
Total	7,530	3,450

Note - Accounting Policies towards each item are not to be disclosed

SCHEDULE 15-INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on Investment from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)

		ent from arked	Investment - Others
1. Interest			
a) On Govt. Securities			
b) Other Bonds / Debentures			
2. Dividends			
a) On Shares			
b) On Mutual Fund Securities			
3. Rents			
4. Indian Overseas Bank FDR	1,11,362	0	
Total	1,11,362	0	
Transferred to Earmarked/ Endowment Funds			

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31-03-2011

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC (Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
Income from Royalty Income from Publications Others (granify)		
3. Others (specify)		
Total	0	0

SCHEDULE 17-INTEREST EARNED

	Current Year	Previous Year
1. On Term Deposits		
a) With Scheduled Banks		
b) With Non-Scheduled Banks		
c) With Institutions		
d) Others		
2. On Savings Accounts		
a) With Scheduled Banks	2,21,111	
b) With Non-Scheduled Banks		
c) Post Office Savings Accounts		
d) Others		
3. On Loans		
a) Employees / Staff	2,070	
b) Others		
4. Interest on Debtors and other Receivables		
Total	2,23,181	0

Note - Tax deducted at source to be indicated

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31-03-2011

SCHEDULE 18 - OTHER INCOME

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Profit on sale disposal of assets		
a) Owned assets		
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2. Export Incentives realized		
3. Fees for Miscellaneous Services		
4. Miscellaneous Income (Sale of Waste Paper)	1,582	
Total	1,582	0

SCHEDULE 19-INCREASE / (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS

	Current Year	Previous Year
1. Closing Stock		
- Finished goods		
- Work-in-progress		
2. Less: Opening Stock		
- Finished goods		
- Work-in-progress		
Net Increase/(Decrease) (1-2)	0	0

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31-03-2011

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Salaries and Wages	94,39,742	80,87,126
2. Allowances and Bonus		
3. Contribution to Provident Fund		
4. Contribution to Other Fund (specify)		
5. Staff Welfare Expenses		
6. Expenses on Emloyees' Retirement and Terminal Benefits		
7. Others (specify)		
Total	94,39,742	80,87,126

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31-03-2011

SCHEDULE 21 - OTHER ADMINSTRATIVE EXPENSES ETC

(Amount - ₹)

	~	
	Current Year	Previous Year
1. Advertisement and Publicity	5,69,711	3,98,494
2. Publication	2,09,746	2,01,432
3. Domestic Travelling Expenses	18,98,824	17,09,500
4. Medical Expenses	87,382	37,500
5. Supply & Materials	2,30,841	
6. Office Expenditure		
- Repairs and maintenance (Vehicle)	67,220	16,633
- Electricity and Power	1,36,915	32,614
- Rent, Rates, and Taxes	13,20,748	4,50,889
- Photostate Expenses	2,543	1,469
- Postage, Telegram	2,77,374	99,880
- Printing, Stationary and Consumables	3,99,947	1,05,513
- Water Charges	21,610	3,853
- Library Expenses (Periodicals & Journals)	3,902	2,375
- Liveries (Uniform)	1,268	2,228
- Telephone Expenses	2,03,230	50,817
- Professional Charges	4,96,710	1,02,581
- Vehicle Hire Charges	9,97,946	4,34,893
- Meeting Expenses	1,57,045	31,16,019
- Telephone and Mobile Reimbursement		
Expenses	55,759	17,077
- Miscellaneous Expenses	2,25,028	50,198
- Seminar / Workshops / Training Expenses	5,05,422	500
- Other Contractual Service	6,39,004	1,76,102
- Website Maintenance Charges	63,422	0
- AMC Expenses (A.C., Computers,	1.10.664	0
Office Equipment Etc.)	1,18,664	0
- Annual PRA Maintenance Charges(NSDL)	2,219	0
- Bank Charges	1,365	6,481
Total	86,93,845	70,31,938

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31-03-2011

SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
 Grants given to Institutions / Organisations Subsidies given to Institutions / Organisations 		
Total	0	0

Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants / Subsidies are to be disclosed

SCHEDULE 23-INTEREST

	Current Year	Previous Year
1. On Fixed Loans		
2. On Other Loans (including Bank Charges)		
3. Others (specify)		
Total	0	0

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULE - 24

ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Convention

The Financial Statement are prepared under the historical cost convention, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), the applicable mandatory Accounting Standards (AS) issued by ICAI and relevant Presentational requirements for Central Autonomous Bodies as prescribed by CGA. The Coastal Aquaculture Authority follows Cash Basis method of accounting in respect of all items of Expenditure and Income except where otherwise stated.

2. Fixed Assests

- a) Fixed Assets are accounted for after these are taken on charge duly inspected.
- b) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation cost comprises the purchase price, inward freight, duties & taxes and any other directly attributable cost of bringing the Assets to its working conditions for its intended use. Financing cost relating to acquisition/construction of qualifying fixed assets are also included to the extent they relate to the period till such assets are ready for their intended use.
- c) Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of ₹1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA.
- d) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at value stated by corresponding credit to capital fund. Fixed Assets received as free gift are taken into account at nominal value of ₹1/-
- e) Fixed Assets acquired against specific grant-in-aid accounted for as fixed assets in the Authority's account. Cost of assets created out of grants-in-aid is credited to Capital Fund. Depreciation on those assets is also charged over the useful life of the assets at the rates prescribed by the Income Tax Act and Rules and is recognized in the income and Expenditure Account.
- f) Fixed Assets acquired against specific grant-in-aid accounted for as fixed assets in the Authority's account. Cost of assets created out of grants-in-aid is credited to Capital Fund. Depreciation on those assets is also charged over the useful life of the assets at

the rates prescribed by the Income Tax Act and Rules and is recognized in the Income and Expenditure Account.

3. Depreciation

- a) Depreciation is provided on Written Down Value method as per rate Specified in Income tax Act, 1961
- b In respect of additions / deductions of fixed assets during the year, full depreciation is charged at the rates specified in the Income Tax Rules on the assets acquired in the first half of the financial year and 50% of depreciation is charged on the assets acquired in the second half of financial year.
- c) Each item of fixed assets costing ₹ 5,000/- and below are fully depreciated in the year of acquisition.

4. Lease / Rent

Lease / Rent rentals are accounted as expenses according to the terms and conditions of lease.

5. Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceeds its recoverable value. The impairment loss is charged to Income & Expenditure Statement for the year in which the assets is identified as impaired. The impairment loss is recognized or recoverable amount.

6. Govt. Grants / Subsidies

Capital expenditure *i.e.* cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to "Capital Fund" account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account". Excess of grant over the expenses is transferred to Capital Fund Account at the end of the year.

7. Retirement Benefits

- a) Coastal Aquaculture Authority's contribution paid / payable during the year to new pension scheme is recognized in the Income and Expenditure Statement.
- b) The liabilities in respect of Gratuity, which is ascertained annually on actuarial valuation at the year and, will be provided and funded separately.

8. Taxation

The Coastal Aquaculture Authority is not liable to pay to Union / State in respect of wealth tax, income tax, service tax, CST or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

9. Provisions, Contingent Liabilities and Contingement Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent liabilities are not recognized but are disclosed in the Notes forming part of the accounts. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements

10. Income And Expenses

All the income and expenses of the year, except those specified later in this paragraph, are accounted for on accrual basis under the specific direct heads of accounts:

- (a) Income or Expenditure of earlier year, which arise as a result of errors of omissions in making provision / creating the liability in the one or more prior periods, is accounted for under "Prior period Adjustment" account.
- (b) If actual expenditure or income exceeds the liability created / provision made on expenditure basis, the same is accounted for on cash basis.
- (c) Expenditure / Income accruing to CAA on account of decision taken after the date of finalization of annual accounts and extra-ordinary items if any, having retrospective effect, is accounted for on cash basis.
- (d) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance sheet and / or Income and Expenditure Account, due consideration is given to the concept of materiality and hence pre paid / prior period items up to ₹ 1,000/- in each case are accounted for to the natural heads of account on cash basis.

11. Revenue Recognition

- a) Coastal Aquaculture Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that Authority is collecting Processing Fees for registration of *L. vannamei* farms and hatcheries. As per the existing policy of the Authority, fee is accounted as Earmarked/Endowment Fund of the Authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes.
- b) Interest income is recognized on a Cash basis taking into account the amount outstanding and rate applicable.
- c) Interest earned on investment of earmarked fund is also added to the earmarked fund and is used for its specified purpose.

12. Separate Disclosure

Separate disclosers are made in the Income and Expenditure Account in respect of:

- a) "Prior period" items which comprise material items of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of the financial statements of one or more prior periods.
- b) "Extra-ordinary" items, which are material items of income or expenses that arise from event or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and, therefore, are not expected to recur frequently or regularly.
- c) Any item under the head 'Miscellaneous Income' which exceeds ₹ 50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

Sd/-Sr. Admn. Officer Sd/-Member Secretary

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULE – 25

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

Contingent liabilities

As on 31st March 2011, there does not appear to be any case of contingent liability.

Fixed Assets

Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of ₹ 1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA. Depreciation on all the assets at the prescribed rate in Income Tax Rules have been calculated and charged for the financial year 2010-11 to Income and Expenditure Account. Library books are depreciated at 60% as per Income Tax Act.

Current Assets, Loans and Advances

Authority has taken Franking Machine from Post Office and the same is filled with stamps for a lump sum amount. In addition to that the Authority purchase Govt. Postal stamp from Post Office, the amount so paid is shown as stamps in hand. On the basis of register maintained for daily consumption of stamp, total expenditure incurred on stamps is debited to relevant expenditure head by corresponding credit to stamps in hand account on yearly basis. As on 31st March, 2011 the stamps in hand amounted to ₹28,625/-.

An imprest of ₹ 3,000/- has been sanctioned to DDO for meeting day-to-day routine expenses.

Current Liabilities

Security deposits of ₹ 2,71,530/- received as performance guarantee is retained till completion of its warranty period.

Taxation

The Authority is not liable to pay wealth tax, income tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

Government Grants Fees Collected

Capital expenditure *i.e.* cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to "Capital Fund" account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account". Excess of grant over the expenses is transferred to "Capital Fund Account" at the end of the year as on 31st March, 2011.

The Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC / SLC shared in the ratio of 70:30 between DLC / SLC and CAA. In addition to that Authority is collecting Processing Fees for registration of SPF L. vannamei farms and hatcheries. As per the exiting policy of the Authority, fee is accounted as Earmarked / Endowment Fund of the Authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes. Out of the Earmarked Fund a sum of $\stackrel{?}{\sim} 2,71,412$ /- was utilized towards review workshop on SPF L. vannamei held on 27.8.2010 and $\stackrel{?}{\sim} 1,37,268$ /- for expenses on inspection of farms and hatcheries in connection with registration of farms etc.

Previous year Figures

The accounting procedure laid down by the CAG for autonomous bodies, specifies to show the previous year's figures in the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payment account along with various schedules attached thereto.

Sd/-Sr. Admn. Officer Sd/-Member Secretary



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) तमिलनाडु एवं पुदुचेरी लेखा परीक्षा भवन 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (CIVIL AUDIT)

Tamil Nadu & Puducherry, "LEKHA PARIKSHA BHAVAN" 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

CAB/I/28-125/2011-12/153

Dated: 23-12-2011

To

The Secretary,
Ministry of Agriculture,
Department of Animal Husbandry, Dairying& Fisheries,
Government of India,
Shastri Bhavan,
New Delhi- 110 001.

Sir,

Sub: Audit Report on the accounts of Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2010-11.

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the accounts of Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2010-11 along with the statement of accounts for the year 2010-11.

Three copies of the Report for the year 2010-11 as presented to Parliament may also be sent in due course.

The receipt of this letter with enclosures may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/--

Deputy Accountant General / ISC II

Contd....

दूरभाष / Phone : 2431 6400, 2431 6401, 2431 6402

2431 6403, 2431 6404, 2431 6405

तार / Telegram : "AUDITONE" Chennai

फैक्स / Fax: 044 - 2433 0012

तार / E-mail: pagciviltnp@bsnl.in

Endt No: CAB/I/28-125/2011-12/154 Dated: 23-12-2011

Copy together with a copy of the certified accounts, copy of the Audit Report forwarded to the Member Secretary, Coastal Aquaculture Authority, Chennai 600 006. He is requested to furnish 3 copies of the Hindi version of the Audit Report and 3 copies of the Annual Report at an early date.

He is also requested to furnish the dates of presentation of the accounts to Parliament for the year 2010-11.

Deputy Accountant General / ISC II

V. Shrugel 26/2/1.

Annexure V

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year ended 31 March 2011

We have audited the attached Balance Sheet of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as at 31st March 2011 and the Income & Expenditure Account / Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the Authority's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit

- 2. This separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.
- 3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- 4. Based on our audit, we report that:
 - i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipt & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by Ministry of Finance.
 - iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by Coastal Aquaculture Authority, Chennai as required in the rules and regulations of the Authority in so far it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:

A Income and Expenditure Account

Understatement of income

As per Rule 15 of the Coastal Aquaculture Authority Rules, the Authority shall maintain accounts of all receipts and expenditure relating to every financial year. However, the accounts reflect only the 30% share of the Authority as receivable from the District Level Committees. The actual Registration Fees collected upto 2010-11 was $\ref{7}8,54,254$ /- whereas the Authority had accounted for receipts to the tune of $\ref{5}0,26,465$ /- upto 31.03.2011.

The non-accountal of the entire receipts of the Authority in the annual accounts had resulted in understatement of income by ₹ 28,27,789/-.

B General

Non maintenance of accounts under the Accrual System

The accounts have not been prepared under the Accrual System of Accounting as required by the uniform format of accounts prescribed by the Ministry of Finance.

As a result of non maintenance of the accounts under accrual basis, 30% share of Registration Fees receivable from DLCs/SLCs had not been accounted for in the accounts of the Authority.

C Grants-in-aid

Out of the grants-in-aid of $\stackrel{?}{\underset{?}{?}}$ 2.68 crore (Non-Plan: 2.45 and internal receipts: 0.23 crore) received during the year 2010-11, and $\stackrel{?}{\underset{?}{?}}$ 0.31 crore being unspent balance of the previous year, the Authority could utilize a sum of $\stackrel{?}{\underset{?}{?}}$ 2.99 crore leaving a balance $\stackrel{?}{\underset{?}{?}}$ 0.003 crore as at 31st March 2011.

- v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account / Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

- a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as at 31 March 2011; and
- b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Principal Accountant General (Civil Audit)
Tamil Nadu and Puducherry

Place: Chennai
Date: 23.12.2011

Annexure of Separate Audit Report

1 Adequacy of Internal Audit System:

The Authority does not have an internal audit systems as a result of which there is no assessment and review of the internal control systems. The accuracy and completeness of accounting records could not be ensured in audit.

2 Adequacy of Internal Control System:

The organization lacks an adequate internal control system.

3 Physical verification of Fixed Assets:

Physical verification of Fixed Assets was done upto 2010-11.

4 Regularity in payment of statutory dues:

The Authority is regular in depositing Income Tax and Service Tax with the appropriate authorities.

Audit Officer

Indhe. m. fr. 33/12/11

Grant-in-Aid

(Refer comment no. iv C of the SAR)

Projectwise details of Receipt and utilization of Grand-in-Aid during the year is given below:

In ₹

SI. No.	Name of the Project for which grants received or General Grants	Amount of Grant brought forward from previous year	Amount of grant received during the year	Total Grant received	Amount utilized during the year	Amount unutilized as on 31.03.2010 carried forward to next year	Remarks i. Target date of the Project ii. Audit comment on delay etc.
1	Plan	-	-	-	-	-	-
2	Non Plan	30,174	2,45,00,000	2,45,30,174	2,45,00,000	30,174	-
3	Internal Receipts	31,04,452	22,94,503	53,98,955	*53,98,955	-	-
	Total	31,34,626	2,67,94,503	2,99,29,129	2,98,98,955	30,174	-

^{*} Amount utilized during the year from internal receipts includes transfer of ₹ 49,90,275/- to the Endowment Fund.

Audit Officer

Replies to the Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year ended 31 March 2011.

1. Introduction

We have audited the attached Balance Sheet of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as at 31st March, 2011 and the Income & Expenditure Account/Receipt & Payment Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the Authority's management. Our responsibility is to express as opinion on these financial statements based on our audit.

- 2. This separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.
- 3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account / Receipt & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by Ministry of Finance.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by Coastal Aquaculture Authority, Chennai as required in the rules and regulations of the Authority in so far as it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:

Audit observation

Reply / Comments

A. Income and Expenditure Account

Understatement of current assets

As per section 15 of the Coastal Aquaculture Authority Act, the Authority shall maintain accounts of all receipts and expenditure relating to every financial year. However, the accounts reflect only the 30% share of the Authority as receivable from the DLCs. The actual registration fees collected upto 2010-11 is ₹ 78,54,254/-whereas, the Authority has accounted for receipts to the tune of ₹ 50,26,465/- upto 31,03.2011.

The non-accountal of the entire receipts of the Authority in the annual accounts has resulted in understatement of income by ₹ 28.27,789/-.

The District Level Committee (DLC) is part of the Coastal Aquaculture Authority (CAA), as both DLC and SLC have been set up by the Authority as per the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005 [Rule 9(1) and 9(4)] framed under the Coastal Aquaculure Authority Act, 2005.

As per the Section 9(3) of the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005 (read with Sub-Section (4) of Section 13 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005), the fees for the registration shall be payable to the Member Convener of DLC set up by the Authority.

Coastal Aquaculture Authority in its 17th Meeting decided the followings:

A. 17.04.01 It was resolved that the Registration Fees collected by the DLCs shall be shared in the ratio of 70:30 between the DLC/SLC and CAA. The 30% share of the CAA shall be remitted in the form of a Demand Draft by the DLCs to the CAA once in six months.

A.17.04.02 It was also resolved to advise the DLCs to open a joint account in the name of the "Coastal Aquaculture Authority District Level Committee" of their respective District and this account shall be jointly maintained by the nominee of the Collector and District Fisheries Officer

A.17.04.03 It was resolved to request the DLCs to send a half yearly statement showing the monthly deposits and closing balance to the CAA.

Audit observation	Reply / Comments
	Since DLCs/SLCs are involved in the processing of the applications, inspection of coastal aqua farms, collecting & testing samples, organizing meetings and awareness programmes, translation of extension brouchers/pamphlets etc. and all other activities assigned by CAA, 70% of the fee is shared by them. The above mentioned norms for utilizing 70% of fee has also been fixed by CAA.
	As per the decision of Authority, Coastal Aquaculture Authority is in receipt of 30% of fees and accounting the same in its books of accounts in the year of receipt by CAA.
B. General	
Non-Maintenance of accounts	under Accrual System
The accounts have not been prepared under the Accrual System of Accounting as required by the uniform format of accounts prescribed by the Ministry of Finance.	As replied in 'A' above, amount for registration fee cannot be accounted in accrual basis.
As a result of non-maintenance of the accounts under accrual basis, 30% share of Registration Fees receivable from DLCs/SLCs had not been accounted for in the accounts of the Authority.	

Audit observation	Reply / Comments
C. Grants-in-aid	
Out of the grants-in-aid of ₹ 2.68 crore (Non-Plan: 2.45 crore and internal receipts: 0.23 crore) received during the year 2010-11 and ₹ 0.31 crore being unspent balance of the previous year, the Authority could utilize a sum of ₹ 2.99 crore leaving a balance ₹ 0.003 crore as at 31st March 2011.	Stated unutilized amount of ₹ 30,174/-has been restored to the Ministry on 07 th October, 2011 itself.

- v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account / Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.
 - a. In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as at 31st March 2011; and
 - b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

Replies to the Annexure to Separate Audit Report 2010-2011.

	Audit Observation	Reply / Comments
1. Adequacy of Internal Audit System: The Authority does not have an internal audit systems as a result of which there is no assessment and review of the internal control systems. The accuracy and completeness of accounting records could not be ensured in audit.		No provision or rule for internal auditing system. As per Section 20(3) of the Coastal Aquaculture Act, 2005, accounts of this office is audited by the Comptroller and Auditor General of India.
2.	Adequacy of Internal Control System: The organization lacks an adequate internal control system.	All expenditure and payments are being made only after getting it sanctioned by the competent Authority. All the puchases are being made only after completing all codal formalities.
3.	Physical verification of Fixed Assets:	
	Physical verification of Fixed Assets was done up to 2010-11	
4.	Regularity in payment of statutory dues: The Authority is regular in depositing Income Tax and Service Tax with the appropriate authorities.	







तटीय जलकृषि प्राधिकरण



तटीय जलकृषि प्राधिकरण (भारत सरकार)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

(Government of India) दूसरी मंजिल, शास्त्री भवन एनेक्सी

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe २६, हडोस रोड़, चेन्नै – ६०० ००६, भारत

26, Haddows Road, Chennai - 600 006, India

टूरभाषा / Tel.: +91 44 2823 4683, फैक्स / Fax : +91 44 2821 6552 ई–मैल / E-mail : aquaauth@vsnl.net वेबसाइट / website: www.caa.gov.in